खण्ड-400, अंक-3
बुधवार, 3 माघ, शक संवत् 1912
(23 जनवरी, 1991 ई0)

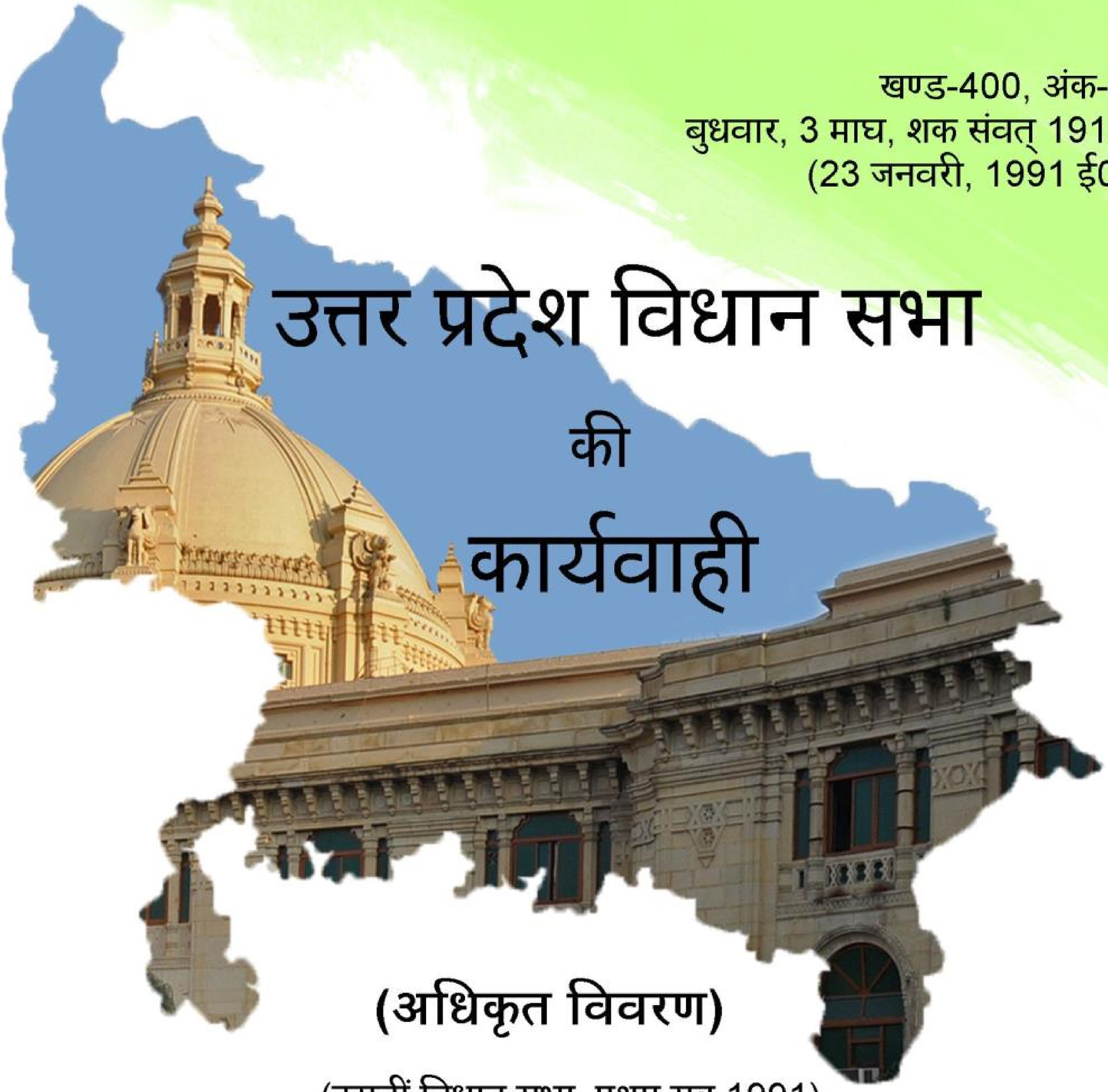

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	म
प्रश्नोत्तर	1
नियम 311 को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1–80
नियम 311 की सूचना	80
औचित्य के प्रश्न की सूचना	80
श्री अध्यक्ष के कक्ष में सभी दलों के नेताओं द्वारा लिए गये निर्णय की सूचना .	80
नत्थियां	81–94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 1991

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महाराजगंज
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरुण कुमार सिंह "मुन्ना", श्री	जौनपुर
अर्जुन सिंह यादव, श्री	जौनपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
कमला साहनी, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गनपत सिंह, श्री	महाराजगंज
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा
चन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
तेजपाल, श्री	बिजनौर
देवकुमार यादव, श्री	बांदा
दौलतराम, श्री	सीतापुर
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर
धर्मवीर सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
निवेन्द्र कुमार, श्री	खीरी
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बाल चन्द्र मिश्रा, श्री	कानपुर
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मदन गोविन्द राव, श्री	देवरिया
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
माधव, श्री	एटा
मास्टर कंवरपाल, श्री	सहारनपुर
मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रवीन्द्र नाथ तिवारी श्री	फैजाबाद
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री	इटावा
राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री	कानपुर
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम बख्श वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
रामरति बिन्द, श्री	वाराणसी
राम ललित, श्री	बस्ती
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विश्वनाथ सिंह, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शारदा प्रसाद शुक्ल, श्री	लखनऊ
शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी0 टी0 आई0, श्री	मैनपुरी

श्री प्रकाश उर्फ ज्ञानू, श्री	आजमगढ़
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सी0 बी0 इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुरेश चन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण, श्री	पीलीभीत
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर फूल सिंह, श्री	सहारनपुर
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर तथा श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर]

नियम 311 को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, 311 के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी ने सूचना दी है, सारे नियमों का निलम्बन कर पहले उस पर चर्चा करायी जाय । यहां यह सदन चल रहा है और हमारे साथी रासुका के अन्तर्गत जेल में बन्द हैं ।

(घोर व्यवधान)

(जनता दल के अनेक माननीय सदस्य ''अध्यक्ष विधान सभा न्याय करो'' के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री शारदा प्रताप शुक्ल, श्री मूलचन्द व अनेक जनता दल के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और ''अध्यक्ष विधान सभा न्याय करो'' के नारे लगाने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.30 बजे के लिये स्थगित करता हूं ।)

(इस समय 11 बजकर दो मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया,)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 1990 में हुये साम्प्रदायिक दंगों में जन-धन की हानि के ब्यौरे की मांग

**1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1990 में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? उनमें कितने व्यक्तियों की मौत हुई, कितने घायल हुए एवं कितने रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1990 में 12 वृहद तथा 13 लघु साम्प्रदायिक घटनाए हुई ।

वृहद घटनाओं में 355 तथा लघु घटनाओं में 49 (कुल 404) व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

वृहद तथा लघु साम्प्रादायिक घटनाओं में क्रमशः 571 एवं 134 (कुल 705) व्यक्ति घायल हुए ।

अब तक प्राप्त सूचनानुसार वृहद घटनाओं में 2,40,84,520/- रु0 तथा लघु घटनाओं में– 42,57,960/- रु0 (कुल 2,83,42,480/- रु0) की अनुमानित क्षति हुई है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में व्यापक सुधार एवं पुर्नगठन हेतु बसन्त कमेटी का गठन

**2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में व्यापक सुधार एवं पुनर्गठन हेतु बसन्त कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसे क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं ? क्या उक्त समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

टिप्पणी :–प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर सलाह देने के लिए श्री एन0 एस0 बसन्त, अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत परिषद् की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है:–

(क) क्या परिषद् के उपरान्त केन्द्रों (जेनरेटिंग स्टेशन) का राज्य में पहले से विद्यमान उत्पादन कम्पनी का अन्तरण करके विद्युत उत्पादन को पृथक करने से संगठन में और विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने में सुधार होगा ।

(ख) यदि ऐसा है, तो समिति सुझाव देगी कि–

(1) किस प्रकार से उसका कार्यान्वयन किया जाय और

(2) किस प्रकार परिषद् के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित बनाये रखा जाय ।

(ग) समिति परिषद् की उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से उसके कार्य संचालन के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । समिति को अपनी रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 1991 तक प्रस्तुत कर देने हेतु कह दिया गया है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0प्र0 सरकार द्वारा कतिपय निगमों को निजी उद्योगपतियों को बेचने के संबंध में, वस्तुस्थिति जानकारी की मांग

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री बिमल प्रसाद तिवारी, श्री राम लखन वर्मा तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कुछ निगमों को निजी उद्योगपतियों को बेंच दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में वस्तु स्थिति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

अपने व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में असफल एवं निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने अथवा उनका प्रबंध संचालन निजी क्षेत्र के उद्यमियों से कराये जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है । सम्प्रति किसी निगम को निजी उद्योगपतियों को बेंच दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

सरकार द्वारा, सार्वजनिक निगमों के घाटे को देखते हुये संबंधित सचिवों को प्रदत्त वाहन सुविधा की वापसी की मांग

*2–श्री अतीक अहमद, श्री मंजूर अहमद तथा श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन में ऐसे कितने सचिव हैं जिनके पास सार्वजनिक निगमों के एक या अधिक सरकारी वाहन हैं ? क्या सरकार निगमों के घाटे को देखते हुए उक्त सुविधा अविलम्ब वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सात (7) मितव्ययिता एवं निगमों की कार्यकुशलता को दृष्टिगत करते हुए उचित कार्यवाही की जायेगी ।

हार्टिको फैक्ट्री का, मार्डन फूड एवं पर्वतीय विकास विभाग को हस्तान्तरण एवं घाटे के कारणों की जांच की मांग

*3–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हार्टिको में हुए घाटे की जांच कराये बिना ही हार्टिको की फैक्ट्री को मार्डन फूड एवं पर्वतीय विकास विभाव को किन कारणों से हस्तान्तरित किया जा रहा है ? क्या मुख्य मंत्री जी हार्टिको के घाटे के कारणों की खुली जांच करवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री गोविन्द चौधरी)–

यू0 पी0 हार्टिको को मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज एवं पर्वतीय विकास विभाग को हस्तान्तरित करने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

निरन्तर घाटे की स्थिति सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही दिनांक 30-6-90 को उक्त संस्था को बन्द करके निगम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें दिनांक 15-7-90 को समाप्त कर दी गई हैं । अतः अब जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 1991, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विधायकों तथा मंत्रियों के नियम विरुद्ध, फ्लैट-आवंटन करने के संबंध में कृत कार्यवाही

*1–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के 15 मई, 1990 को कौन-कौन ऐसे मंत्री थे जिन्हें निवास के लिए बंगले के अलावा विधायक निवासों में फ्लैट मिले हुए थे और उक्त तिथि को कौन-कौन मंत्री ऐसे थे जिन्हें तब तक बंगला नहीं मिल सका था और वे विधायक निवासों के फ्लैटों में रह रहे थे तथा कौन-कौन विधायक उक्त तिथि को ऐसे थे जिनके पास दो सरकारी फ्लैट थे और कौन से विधायक ऐसे थे जिनको 15 मई, 1990 तक विधायक निवासों में आवंटित फ्लैटों में कब्जा नहीं दिलाया जा सका था ? उक्त नियम के विरुद्ध आवास आवंटन और कब्जा दिलाने में ढिलाई का क्या कारण था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

15 मई, 1990 को निम्नलिखित मा0 मंत्रीगणों को मंत्री आवास प्राप्त थे–

1–श्री राम शरणदास
2–श्री बेनी प्रसाद वर्मा
3–श्री अवधेश प्रसाद
4–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय
5–श्री शतरुद्र प्रकाश
6–श्री असलम खां
7–श्री आजम खां
8–श्री बर्फियालाल ज्वाठां
9–श्री रेवती रमण सिंह ।

बंगलों के अतिरिक्त मा0 मंत्रियों को विधायक निवासों में कोई भी कक्ष आवंटित नहीं थे ।

प्रश्नगत तिथि तक श्रीमती सुखदा मिश्रा मा0 मंत्री को आवंटित बंगले का कब्जा नहीं मिल पाया था और वे विधायक निवास-4 में निवास कर रही हैं ।

ऐसे मा0 विधायकों की सूची संलग्नक-1 द्वारा संलग्न है ।

ऐसे मा0 विधायकों की सूची संलग्नक-2 द्वारा संलग्न है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटन नियमानुसार किए गये थे और नियमानुसार आवंटित आवासों का कब्जा दिलाया गया था. अनधिकृत कक्ष रखनेवाले मा0 सदस्यों को विभाग द्वारा अनुरोधक पत्र भेजे गये थे तथा इस संबंध में अनुस्मरण भी कराया गया था । अतः ढिलाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 81 पर)

जनपद आजमगढ़ को भारत सरकार द्वारा ''सी'' श्रेणी में रखा जाना

*2–श्री पंचानन राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नयी उद्योग नीति के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ को उद्योग शून्य होते हुए भी ''सी'' श्रेणी में रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद आजमगढ़ भारत सरकार के वर्गीकरण में उद्योग शून्य जनपद की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि यह उद्योग शून्य नहीं है । जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इसे ''सी'' श्रेणी का जनपद घोषित किया गया था एवं नयी औद्योगिक नीति में वही वर्गीकरण प्रयोग में लाया गया है ।

दिनांक 29-4-90 को प्रधानमंत्री, भारत सरकार के लखनऊ आगमन पर हवाई अड्डे पर तैनात उपनिरीक्षक से मारपीट पर प्रशासनिक कार्यवाही

*3–श्री दया शंकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-4-90 को प्रधानमंत्री, भारत सरकार के लखनऊ आगमन के समय अमौसी हवाई अड्डे पर लखनऊ नगर जनता दल के अध्यक्ष श्री शिवचन्द्र साहू तथा श्री अचल मेहरोत्रा (सभासद लखनऊ नगर महापालिका) सहित अन्य लोगों द्वारा वहां तैनात उपनिरीक्षक की रिवाल्वर के कारतूस छीनने , पुलिस की वर्दी फाड़ने तथा ड्यूटी के समय मारपीट किए जाने के संबंध में उप निरीक्षक , पुलिस द्वारा थाना सरोजनी नगर, लखनऊ में कोई प्राथमिकी पंजीकृत करवायी गयी है ? यदि हां, तो प्राथमिकी में नामजद अधिकारियों को गिरफ्तार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 29-4-90 को नहीं बल्कि दिनांक 28-4-90 को मा0 प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर अमौसी हवाई अड्डे पर प्रश्न में उल्लिखित घटना की रिपोर्ट उप निरीक्षक श्री क्षेमणि तिवारी द्वारा पंजीकृत कराई गई । विवेचना से पंजीकृत घटना धारा-395 भा0दं0वि0 के अंतर्गत धारा 147/353/332/504/427/186 भा0दं0वि0 में परिवर्तित करके विवेचना प्रारम्भ की गयी विवेचना के पश्चात एफ0आई0आर0 के नामांकित अभियुक्त सर्वश्री शिवचन्द्र साहू तथा अचल मेहरोत्रा सभासद, लखनऊ के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-111 दिनांक 13-10-90 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रथम सूचना के नामजद अभियुक्तों को बन्दी बनाए जाने हेतु थाना सरोजनी नगर पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया गया परन्तु गिरफ्तारी न हो पाने के कारण नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

*4–श्री राज किशोर सिंह–

[2रे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 2 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1990-91 में ग्रामों को, ऊर्जीकृत किए जाने की मांग

*5–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1990-91 में कितने गांवों का विद्युतीकरण कराने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है ? क्या इसके लिए विद्युत सामग्री गोरखपुर को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण में विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गोरखपुर जनपद में (महराजगंज सम्मिलित करते हुए (वर्ष 1990-91 में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 78 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 40 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है ।

विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और नवम्बर, 1990 तक 22 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर एवं 11 ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार किया गया है ।

साधनों की उपलब्धता के अनुसार ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य संभव हो सकेगा ।

नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत, आगरा व मेरठ मण्डलों में चालू वास्तविक योजनाएं

-श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा व मेरठ मण्डलों के अंतर्गत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व उद्योग शून्य जनपद कौन से हैं ? इन जिलों में उद्योग के विकास हेतु चलायी जा रही योजनाएं तथा सरकार के पास विचाराधीन योजनाएं क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नई औद्योगिक नीति के अनुसार आगरा व मेरठ मण्डलों के अंतर्गत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपद निम्नलिखित हैं :-

आगरा मण्डल

मैनपुरी, एटा, मथुरा ।

मेरठ मण्डल

बुलन्दशहर ।

उपर्युक्त दोनों मण्डलों में कोई उद्योग शून्य जनपद नहीं है ।

उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

1-राज्य पूंजी उपादान योजना ।
2-प्रेस्टिज इकाइयों के लिए विशेष पूंजी उपादान योजना ।
3-तहसील स्तरीय पायनियर इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना
4-ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना ।
5-बिक्रीकर से छूट/आस्थगन की योजना ।
6-प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों को आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाए जाने से संबंधित योजना ।
7-अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणियों के उद्यमियों को विशेष सुविधाएं ।
8-प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष सुविधाएं
9-विशिष्ट सेक्टरों के वरीयता प्राप्त उद्योगों के लिए विशेष योजना ।
10-शत प्रतिशत निर्यातमूलक इकाइयों को विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना ।
11-सीड कैपिटल योजना ।
12-अंश पूंजी भागीदार योजना ।
13-एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना
14-जिला उद्योग केन्द्र-मार्जिन मनी ऋण योजना ।
15-अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को विशेष सुविधा की योजना ।

वर्तमान में कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई विभाग के, छटनीशुदा कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजनान्तर्गत समायोजन

*7-श्री कल्याण सिंह-

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 5604/12(9)-75-1899(13)/81, दिनांक 30 नवम्बर, 1985 द्वारा कृषि निदेशक को छटनी शुदा सिंचाई विभाग के कृषि स्नातक भूतपूर्व सहायक कृषि प्रभार निरीक्षकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना (टी0 एवं वी0 स्कीम) के अंतर्गत समायोजित करने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो 477 छटनी शुदा कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को उक्त आदेश के अंतर्गत समायोजित किया जा चुका है ? क्या शेष कर्मचारियों के समायोजन हेतु विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शंकर सिंह)–

जी हां ।

उक्त शासनादेश द्वारा निर्वाचित कर्मचारियों में से 204 कर्मचारियों को नियुक्त किया जा चुका है । शेष 273 कर्मचारियों को शासन द्वारा छटनीशुदा कर्मचारियों को खपाने की व्यवस्था की अवधि समाप्त हो जाने के कारण नियुक्त करना संभव नहीं है ।

सरकार द्वारा प्रदेश में मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन हेतु कृत कार्यवाही

*8–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत की मांग, इसकी आपूर्ति से अधिक है ? क्या विद्युत की मांग के अनुसार सरकार विद्युत का उत्पादन बढ़ायेगी ? यदि हां, तो इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सरकार की आगामी योजना क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश में विद्युत की कुल मांग सायंकाल पीक के समय लगभग 4000 मेगावाट तक पहुंच जाती है । विद्युत की अधिकतम उपलब्धता पीक के समय लगभग 3600 मेगावाट रहती है । जी हां, माह जुलाई, 90 से दिसम्बर, 90 के मध्य इस वर्ष, विगत वर्ष की तुलना में, विद्युत उत्पादन में स्पष्ट सुधार हुआ है । विद्युत उत्पादन में सुधार संबंधी जो कार्य हो रहे हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1–ओबरा, पनकी तथा हरदुआगंज तापीय विद्युत गृहों में नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य चलाया जा रहा है ।

2–टाण्डा तापीय विद्युत गृह की इकाई सं0 2 (110 मेगावाट) को व्यवसायिक भार पर चालू किए जाने हेतु तैयार कर लिया गया है ।

3–कोल इण्डिया तथा रेलवे को ढुलाई हेतु कुछ अग्रिम भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे कोयले की आपूर्ति बाधित न हो ।

प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने, प्लान्ट लोड फैक्टर में वृद्धि करने तथा लाइन हानियों में कमी करने के प्रयास जारी रहेंगे ।

उ0 प्र0 मण्डी शुल्क वसूली लक्ष्य प्राप्ति हेतु कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने की मांग

*9–डाक्टर दिनेश अहिरी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मण्डी समिति की स्थापना कृषकों की सहूलियत के लिए की गई थी ? क्या यह सही है कि मण्डी शुल्क वसूली का लक्ष्य इस वर्ष 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पैदावार 4-5 प्रतिशत बढ़ी है ? क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सिसौड़ा, ब्लाक करसण्डा, जनपद गाजीपुर में दिनांक 18-7-89 को हुए भीषण अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में शासकीय कार्यवाही

*10–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिसौड़ा, ब्लाक करसण्डा, जनपद गाजीपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से दिनांक 18-7-89 को भीषण अग्निकाण्ड हुआ था ? क्या उक्त सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता ने अग्निकाण्ड में हुई भारी क्षति पूर्ति के लिए उनका ध्यान आकृष्ट किया जिस पर उन्होंने अपने पत्र सं0 सी0 एम0 (वि0को0)एम0-1-व/21-107/90, द्वारा ऊर्जा सचिव को तत्काल राहत तथा मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो पीड़ितों को उक्त सुविधायें दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भगत पत्र प्राप्त हुआ था । इस संबंध में निदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0 प्र0 द्वारा की गयी जांच के अनुसार यह दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से विद्युत इस्तेमाल करने के कारण घटित हुई, फिर भी यदि विद्युत परिषद् के संबंधित खण्ड द्वारा लाइन का निर्माण नियमों के अनुपालन में कराया गया होता तो दुर्घटना बच सकती थी । इस विषय में पुनः जांच हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा को निर्देश दिए जा रहे हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में निर्णय लिया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु निर्धारित 21-सूत्रीय कार्यक्रम

*11–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या शासन ने कोई 21 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो वह 21 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है एवं उसको कब से लागू करने की योजना है ?

नियोजन एवं 21 सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)–

राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 21-सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया है जिसके प्रमुख बिन्दु संलग्नक में उल्लिखित हैं । कार्यक्रम के कार्यान्वियन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

[देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 85 पर]

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम रपड़ा में दि0 14-7-90 को घटित नरसंहार पर शासकीय कार्यवाही

*12–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम रपड़ा में दि0 14-7-90 को हुये नरसंहार के संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गयी और पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा क्या सहायता वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित घटना के संबंध में श्री राज किशोर पुत्र भगवान सिंह नि0 रपड़ा थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर की दिनांक 15-7-90 को समय 10.10 बजे को लिखित सूचना के आधार पर थाना जैतीपुर पर मु0 अ0 सं0 144/90 धारा 395/397/364/307/436/427/504 भा0द0वि0 27 ए0 एक्ट 22 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जो बाद में विवेचना से धारा 396/364/436/427/504/201/307 भा0 द0 वि0 427 शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित किया गया ।

घटना से संबंधित 18 अभियुक्तों को पूर्वित कुशल तत्परता के साथ दि0 30-7-90 तथा गिरफ्तार किया गया । 5 अभियुक्तों ने पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में दि0 1-8-90 तथा 21-8-90 को आत्म समर्पण किया । विवेचनोपरांत अभियोग में आरोप पत्र दि0 10-9-90 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । ग्राम स्तर की सीमा पर, सुरक्षार्थ, अस्थायी रूप से पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है । अपराधिक मामलों में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को राहत देने की शासन की कोई नीति नहीं है इसलिए प्रभावित परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

प्रदेश में, मुक्त रूप से आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस जारी करने की मांग

*13–श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आग्नेय शास्त्रों के लाइसेंस मुक्त रूप से जारी करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध है । इस प्रतिबन्ध से वर्तमान में सात श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है, जिनको जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अनिषिद्ध ओर के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

*14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[5वें गुरुवार में ता0प्र0सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में, दहेज हत्याओं की रोकथाम हेतु शासकीय कार्य

*14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में कितनी कितनी युवतियों की दहेज के कारण हत्या की गयी ? सरकार इन दहेज हत्याओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार दहेज के लिये अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पुरुष के दूसरे विवाह पर रोक लगाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1990 में प्रदेश में दहेज हत्याओं की कुल 1210 घटनाएं प्रकाश में आयीं ।

दहेज प्रथा के निषेध के लिए ''दहेज निषेध अधिनियम, 1961'' लागू किया गया । दहेज संबंधी विवादों के कारण महिलाओं द्वारा आत्महत्या के प्रयास, संदिग्ध अवस्था में हुयी महिलाओं की मृत्यु आदि की घटनाओं की रोक-थाम के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं :–

1–विवाहित नवयुवतियों के विवाह के प्रथम 10 वर्षों की अवधि में इस प्रकार की घटनाओं को पुलिस द्वारा गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तथा तत्परता से कार्यवाही की जाय ।

2–इस प्रकार की घटनाओं की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा न की जाय ।

3–पोस्टमार्टम दो चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जाय ।

4–बिना पोस्टमार्टम कराए शव के अंतिम संस्कार की अनुमति न दी जाय । यदि पोस्टमार्टम न कराया गया हो, तो पुलिस द्वारा ''कोई आपत्ति नहीं'' प्रमाण पत्र दिए जाने पर अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाय ।

5–पुलिस द्वारा उक्त आशय का ''कोई आपत्ति नहीं'' प्रमाण पत्र तब तक न दिया जाय, जब तक कि मृत महिला के शव को उसके माता-पिता, अभिभावकों या घनिष्ठ संबंधियों द्वारा देख न लिया जाय ।

दहेज के कारण महिलाओं के साथ होने वाली निर्दयता/उनकी हत्या/आत्म हत्या की घटनाओं को रोकथाम किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय दण्ड विधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं ।

शेष के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को नि:शुल्क आग्नेयास्त्र के लाइसेंस दिए जाने की मांग

*16–श्री खुर्शीद अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश के गांवों में बसे अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लोगों को दमन एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें नि:शुल्क आग्नेयास्त्र के लाइसेंस दिए जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आग्नेयास्त्र के लाइसेंस भारत सरकार के आयुध अधिनियम, 1959 एवं तद्संबंधी नियमावली, 1962 के प्राविधानानुसार जारी किए जाते हैं ।

आयुध नियमावली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जिन श्रेणी के व्यक्तियों को लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस देने से छूट प्रदान की गयी है, उनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या श्रेणी के व्यक्तियों को नि:शुल्क आग्नेयास्त्र लाइसेंस देने की शक्ति केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में हुए घाटे के मुख्य कारण तथा सरकारी विधान

*17–श्री रामलखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को 31 मई, 90 तक कुल कितना घाटा हुआ ? इस घाटे के मुख्य कारण क्या-क्या हैं और घाटा कम करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम 1985 के प्राविधान के अन्तर्गत लाभ हानि लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर बनाया जाता है । अतः 31-5-90 के अन्त तक के घाटे की राशि सूचित करना सम्भव नहीं है ।

31-3-90 तक के लेखे अभी तैयार किए जा रहे हैं ।

31-3-89 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त के अस्प्रेक्षित लेखों के अनुसार विद्युत परिषद् का कुल घाटा 594.31 करोड़ रुपया है ।

इस घाटे के निम्न कारण मुख्य हैं :–

(1) निजी नलकूपों को लागत से बहुत कम दर से बिजली देना ।

(2) परिषद् की पुरानी विद्युत मशीनों की उत्पादकता का कम होना ।

(3) विद्युत दरों का उपभोक्ता परिसर तक विद्युत पहुंचने के लक्ष्य से कम होना ।

(4) परिषद् की पारेषण एवं वितरण प्रणाली का धनाभाव के कारण सुदृढ़ीकरण न हो पाना एवं तकनीकी कारणों से लाइन हानियों का अधिक होना ।

(5) धनाभाव के कारण परिषद् के बिजली घरों, पारेषण लाइनों एवं वितरण प्रणाली का पूर्ण रूप से रख-रखाव न हो पाना ।

(6) बकाया राजस्व की वसूली न हो पाने के कारण वित्तीय संस्थानों से ब्याज पर ऋण लेना ।

(7) बिजली की चोरी एवं वितरण-लाइनों में हानियां ।

घाटा कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(1) विद्युत चोरी की बढ़ती समस्या के निदान हेतु विद्युत चोरी को गैर जमानती अपराध घोषित किया जा चुका है । छापे मारने हेतु 33 पुलिस प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है । क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ।

(2) कैम्प लगाकर विद्युत संबंधी समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं एवं विद्युत बिलों का भुगतान करवाया जा रहा है ।

(3) 5 अश्व शक्ति से अधिक औद्योगिक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा अपने परिसरों पर शंट कैपेसिटर अनिवार्य रूप से लगाने का प्राविधान विद्युत दल सूची (टैरिफ) में किया गया है ।

(4) घोषित विद्युत दरों में 100 अश्व-शक्ति से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को पावर फैक्टर 0.85 से कम आने पर अधिभार देने का प्राविधान किया गया है । साथ ही पावर फैक्टर 0.95 से अधिक आने पर रियायत देने का भी प्राविधान है ।

(5) घोषित विद्युत दरों में 150 के0 वी0 ए0 से अधिक व 1000 के0 वी0 ए0 तक के विद्युत भार के नए कनेक्शन 11 के0 वी0 पर देने का प्राविधान किया गया है तथा 1000 के0 वी0 ए0 से अधिक के नए कनेक्शन 33 के0 वी0 अथवा विभव पर देने का प्राविधान है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं :-

(1) कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ का पुनरीक्षण किया गया है ।

(2) पारेषण एवं विवरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं ।

(3) पुरानी तापीय इकाइयों के नवीनीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त योजना में, राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अंश में होने वाली कमी को दूर करने के लिए अधिक धन का आवंटन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

*18-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

वर्ष 1987 में, मेरठ में हुए साम्प्रदायिक उपद्रव के संदर्भ में कायम मुकदमों की वापसी की मांग

*19-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में मेरठ में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों में धारा 144 के उल्लंघन में चल रहे मुकदमों की वापसी के लिए जिलाधिकारी मेरठ की कोई अनुशंसा शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा इनको वापस लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस प्रकार की अनुशंसा मंगाकर इन मुकदमों की वापसी पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 1987 में मेरठ में हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों में धारा 144 के उल्लंघन में चल रहे मुकदमों की वापसी के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इनको वापस लिए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

इन मुकदमों को वापस लिए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

शासन द्वारा, डा0 हेडगेवार, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पं0 मदन मोहन मालवीय की प्रतिमाओं की स्थापना की मांग

*20–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ नेताओं की मूर्तियां लगाये जाने की सरकार की योजना में डाक्टर हेडगेवार, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पं0 मदन मोहन मालवीय का नाम भी शामिल है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक और कहा लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सांस्कृतिक कार्य एवं खेलकूद मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

शासना द्वारा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्तियां उनकी यादगार में लगाये जाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें पं0 दीनदयाल उलाध्याय का नाम भी शामिल है । उनकी मूर्ति गोण्डा में लगाया जाना प्रस्तावित है मूर्ति का निर्माण कराया जा रहा है । निर्माण के बाद ही तिथि निश्चित की जायेगी । डा0 हेडगेवार. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पं0 मदन मोहन मालवीय की मूर्तियों की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

कृषि निदेशालय में तिलहन सुपरवाइजरों के पदों का कामदार पदों के समकक्ष वेतनमान में परिवर्तन

1–श्री तेजपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के वर्ग-4 के तिलहन सुपरवाइजरों का पद स्थाई होने के बावजूद भी समाप्त कर इसे कामदार नाम के पद में परिवर्तित कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के दूसरे मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर में यह बताया गया था कि तिलहन सुपरवाइजरों को श्रेणी-3 में पदोन्नति देने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः मान लिया गया है ? यदि हां, तो इतने वर्षों के उपरान्त कितनों ने पदोन्नति दी गई एवं कितने अवशेष हैं ? क्या पदोन्नति पाये सभी अभ्यर्थीगण अभी भी पदोन्नति पर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ।

श्री शंकर सिंह–

तिलहन सुपरवाइजरों के पदों को समाप्त करते हुए उन्हें कामदारों के पदों पर समकक्ष वेतनमान में में समायोजित किया गया है ।

जी हां ।

नियमावली में कोई प्राविधान न होने के कारण किसी की पदोन्नति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के राव उमराव सिंह मार्ग (डी0 एस0 सी0) रोड पर ग्राम कलेसरा से तिलयता तक स्थापित औद्योगिक इकाइयों का विवरण तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्राप्त किया जाना

2–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के राव उमराव सिंह मार्ग (डी0 एस0 सी0) रोड पर ग्राम कलेसरा से तिलयता तक कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं ? क्या इन इकाइयों ने भू उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजियाबाद के राव उमराव सिंह (डी0 एस0 पी0) रोड पर ग्राम कुलेसरा से तिलयता तक 15 औद्योगिक इकाइयां हैं । 13 इकाइयों ने भू-उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	इकाई का नाम	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी	दिनांक
1	मे0 आरती स्टील रोलिंग मिल्स, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	4-4-87
2	मे0 पल्लवी फ्रोम इण्डस्ट्रीज, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	21-4-86
3	मे0 स्टेट टैक्सटाइल मिल्स, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	1989
4	मे0 गोरामल हरीराम प्रा0 लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	17-6-86
5	मे0 बदरइण्ड प्रा0 लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	1987
6	मे0 ऊषा माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल, प्रा0 लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	5-4-89
7	मे0 सुपर सर्किट गैस किट लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	29-3-86
8	ओम शक्ति रोलर फ्लोर मिल लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	12-1-87
9.	मे0 मेकावर बी0 के0 लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	29-7-88
10.	मे0 तोशा पिक्चर ट्यूब लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	10-5-89
11.	मे0 एस0 ए0 बी0 एग्रो एलाइड इण्ड प्रा0 लि0, सूरजपुर	एस0ओ0सी0	18-3-88
12.	मे0 बी0 आर0 फूड्स प्रा0 लि0, सूरजपुर	डी0डी0सी0	12-2-87
13.	मे0 हिन्द पोलीमार लि0, सूरजपुर	एस0डी0ओ0	8-9-88

मे0 एस0 आर0 एफ0 निप्पो डेन्सो लि0, सूरजपुर एवं मे0 रूही कैमिकल्स प्रा0 लि0, सूरजपुर, दो इकाइयां यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होने के कारण भू-उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के सेवा मण्डल में मण्डलीय अभियंता के पद पर प्रोन्नति प्राप्त अभियंता द्वारा की गयी अनियमितता

3–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के सेवा मण्डल में मण्डलीय अभियंता पद पर किन-किन व्यक्तियों की प्रोन्नति की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रोन्नत अभियंताओं पर विगत वर्षों में वित्तीय अनियमितताएं बरतने व भ्रष्टाचार करने के अनेक मामले लम्बित हैं ? यदि हां, तो उन अभियंताओं की प्रोन्नति किस आधार पर की गयी ? क्या इनकी प्रोन्नतियां निरस्त की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शंकर सिंह–

निगम के सेवा मंडल में निम्नलिखित व्यक्तियों की मंडलीय अभियंता पद पर प्रोन्नति की गयी–

1–श्री राजबीर सिंह

2–श्री विजय सिंह

3–श्री ए0 के0 मित्तल

4–श्री बी0 के0 अग्रवाल

5–श्री डी0 पी0 सिंह

6–श्री वी0 के0 गुप्ता

7–श्री डी0 डी0 अग्रवाल

8–श्री गुरू चरन सिंह

9–श्री एस0 डी0 त्यागी

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में पशु महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

4–श्री जय शंकर पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में पशु महाविद्यालय खोले जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पशु महाविद्यालय की योजना को कार्यान्वित कर देगी ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । यथास्थिति कार्यवाही की जावेगी ।

कृषि सेवा वर्ग-1 के (वनस्पति) के सदस्यों की उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 में तदर्थ प्रोन्नति

5–श्री राम बचन धूसिया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति शाखा में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (वनस्पति) से उत्तर प्रदेश शाखा से तथा कितनी प्रोन्नतियां फिजियोलोजी शाखा से दिनांक 27-10-87 को हुई है ? क्या यह सही है कि फिजियोलाजी शाखा में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के पद पर अनुमोदित श्री जयशंकर लाल श्रीवास्तव का अनियमित विनियमितीकरण वर्ग-1 में करके वरिष्ठता वनस्पति शाखा में देकर प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत इनका विनियमितीकरण किया गया तथा क्या ये विनियमितीकरण के पात्र थे ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत इनका विनियमित कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तथा गलत प्रोन्नति के अंतर्गत इनका विनियमित कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तथा गलत प्रोन्नति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शंकर सिंह–

कुल 23 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (वनस्पति) के सदस्यों की उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन सी (वनस्पति) शाखा के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति की गयी थी ।

फिजियोलाजी शाखा से कोई प्रोन्नति नहीं हुई है ।

पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

जनपद लखनऊ के मार्टिनपुरवा के मुन्ना यादव के कुएं के ऊपर से विद्युत कनेक्शन हटाने के संबंध में कृत कार्यवाही

6–श्री स्वामी नाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा तथा नव युवक सेवा समिति मार्टिन पुरवा, लखनऊ के महामंत्री श्री राधेलाल यादव का प्रार्थना-पत्र जो श्री मुन्ना यादव मार्टिन पुरवा, लखनऊ की भूमि व कुएं के ऊपर से अवैध रूप से बिजली कनेक्शन खींचे जाने के संबंध में था, अवर अभियन्ता (श्री शुक्ला जी) विद्युत पावर हाउस राजभवन कालोनी, लखनऊ को दिनांक 26-6-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कनेक्शन को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं बल्कि दिनांक 20-6-90 का एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

मामले की जांच कराने पर यह पाया गया कि प्रार्थना-पत्र में यह निवेदन किया गया था कि दो नये कनेक्शन पोल संख्या 9/3 से न देकर पोल संख्या 9/2 से दिए जायं ताकि तथा-कथित श्री मुन्ना यादव की भूमि व कुएं के ऊपर से लाइन न जाए । पोल संख्या 9/2 से कनेक्शन दिए जाने की स्थिति में पी0वी0सी0 केबिल पास के घर के छज्जे से बिल्कुल छूती हुई जाती जो विद्युत अधिनियम 1956 के विपरीत होते हुए खतरनाक भी साबित होती, जबकि पोल संख्या 9/3 से खींची गयी केबिल भूमि से छः मीटर से भी अधिक ऊपर है तथा कुआं एवं खड़न्जे की सड़क के ऊपर से जा रही है । प्राप्त सूचना के अनुसार, कुआं सार्वजनिक कुआं है तथा भूमि भी सार्वजनिक प्रतीत होती है । अतः उक्त केबिल को हटाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ के ग्राम बाजिदपुर की निवासिनी श्रीमती कृष्णावती सुखराना, मालेश्वरी पुत्री स्व0 श्री हुबलाल की सम्पत्ति के संबंध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

7–श्री कलियान सिंह दोहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कृष्णवती, सुखराना, मालेश्वरी पुत्री स्व0 श्री हुबलाल निवासिनी ग्राम बाजिदपुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ने चचेरे भाई श्री दर्शन द्वारा पिता की सम्पत्ति हथियाये जाने व मारपीट किए जाने के संबंध में कोई एफ0 आई0आर0 थाना शिवगढ़ में दिनांक 27-5-90 के आस-पास दर्ज कराया है ? यदि हां, तो घटना से संबंधित विवरण क्या है तथा उसके आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो सरकार अभियुक्तों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करके उक्त परिवार की सुरक्षा संबंधी उपाय करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती कृष्णावती द्वारा दिनांक 26-5-90 को थाना शिवगढ़ में प्रतिपक्षी (1) बाबूलाल पुत्र केतार यादव (2) रामहरष पुत्र मैकू (3) नन्दा पुत्र बाबूलाल (4) श्रीमती शिव कला पत्नी नन्दा निवासीगण बाजिदपुर के विरुद्ध उसके मकान के सामने गाडर रखने व कहने पर न हटाने के संबंध में उसे गालियां देने तथा उसे व उसकी बहिनों को मारपीट करने के संबंध में एक रिपोर्ट एन0 सी0 आर0 नं0-44/90 धारा 323/504 भा0 दं0 वि0 की अंकित करायी गई थी । चूंकि सूचना अहस्तक्षेपीय अपराध की थी, अस्तु न्यायालय से चारा जोई करने की सलाह दी गयी ।

जनपद बांदा में विद्युत सलाहकार की बैठक एवं चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

8—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में विद्युत सलाहकार की बैठक कब से नहीं हुई है ? वर्ष 1988-89 की बैठक में जनपद में कौन से गांव चयनित किए गए थे ? उनमें से कितनों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? कितने शेष हैं ? शेष चयनित गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बांदा जनपद में विद्युत सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25-10-90 के पश्चात नहीं हुई है ।

वर्ष 1988-89 की बैठक में निम्न ग्राम चयनित किए गए थे :—

क्रमांक	ग्राम	विकास खण्ड	कोड सं0
1.	इछावर	जसपुरा	16
2.	बड़ागांव	,,	20
3.	बिछवाही	सिन्दवारी	61
4.	इछवां	बड़ोखर	165
5.	उजरहेटा	,,	151
6.	बिगहना	महुआ	196
7.	गाँखिया वाया फौजदार का पुरवा बोधनपुरवा होकर	,,	1138
8.	पहाड़पुर वाया गजराजपुरवा होकर	,,	150
9.	गजपतीपुर खुर्द कला वाया भड़हाई होकर	नरैनी	274
10.	टोला काजी	बबेरू	7
11.	कुचौंदू	,,	83
12.	करिंगा	बिसण्डा	87
13.	शिवहारी (लमहेटा)	,,	112
14.	लोहरा	कमासिन	195
15.	मवईकलां	मऊ	12
16.	लपांव	,,	124
17.	तुरी (मजरा खण्डेहा)	,,	123
18.	कोटरा खम्भा	,,	151
19.	तितौली	[illegible]	148
20.	इटवां	रामनगर	63
21.	देवकली वाया पैकोरा	मानिकपुर	282
22.	कादरगंज	चित्रकूट	206

उपरोक्त में से 3 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 19 शेष हैं ।

शेष ग्रामों में से 5 ग्रामों को वर्ष 1990-91 के चयनित ग्रामों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और इनका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अन्य शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में इनके सलाहकार समिति द्वारा चयन होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद वाराणसी के मण्डी समिति पहारियां द्वारा हथियार से बाबतपुर व अनेई से धनंजयपुर सिसवा दादूपुर तक के मार्ग को निर्माण करने की मांग

9–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति पहारियां वाराणसी ने हथियार से बाबतपुर व अनेई से धनंजयपुर सिसवा दादूपुर मार्ग क्रमशः ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा को बनाने की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो ये दोनों मार्ग कब तक मण्डी समिति द्वारा बना दिए जायेंगे ? क्या कृषि मंत्री जी कठिरांव से तरसड़ा ओरा हरिनाथपुर मार्ग ब्लाक बडागांव को भी मण्डी समिति वाराणसी द्वारा बनाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी शंकर सिंह–

जी हां ।

जून, 1991 तक निर्मित करने का लक्ष्य है ।

प्रश्नगत मार्ग अध्यक्ष जिला चयन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

जनपद वाराणसी में ब्लाक पिंडरा के स्थान हिरामनपुर में स्थापित कृषि गोदाम की जांच तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान हिरामनपुर ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी में कृषि गोदाम का निर्माण आर0 ई0 एस0 वाराणसी के द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इस इमारत की छत खराब बनायी गयी है दरवाजे रद्दी लगाए गए हैं और पानी गोदाम के अन्दर चूता है ? क्या सरकार पी0 डब्लू0 डी0 के किसी इंजीनियर से इसकी जांच कराकर इमारत को ठीक करायेगी ? और इसके बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ?

चौधरी शंकर सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जांच के लिए लिखा गया है । आवश्यकतानुसार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के ग्राम टोकवार में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा दिनांक 15-5-90 को बदनियती से एक महिला को बन्द रखने पर कार्यवाही की मांग

11–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत ग्राम टेकवार में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री वागेश्वर पाण्डेय ने दिनांक 15-5-90 को खाता धारक गांव कलवारी की एक महिला को बदनियती से करीब 5 घण्टे तक बन्द रखा और क्षेत्रीय जनता के हल्ला गुल्ला करने पर शाखा प्रबन्धक फरार हो गये और पुलिस (खजनी) द्वारा ताला खोलकर महिला को निकाला गया ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

12–डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के थाना चन्दवक के श्री विरेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह द्वारा वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

13–श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयप्रकाश सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जनार्दन सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह, रमेश सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र देव सिंह, निवासी ग्राम कछबन्ध (पूर्व) थाना चन्दवक, तहसील केराकत जिला जौनपुर के विरुद्ध श्री विरेन्द्र विक्रम सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह द्वारा दिनांक 10-7-90 को मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 तथा पुलिस अधीक्षक जौनपुर को अपनी जान-माल की सुरक्षा तथा अपने बाग के पेड़ों की रक्षा हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और शिकायतकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्या उपाय किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री विरेन्द्र सिंह का 10 जुलाई, 1990 का प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ नहीं पाया गया, वरन् उक्त दिनांक का उनका प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, जौनपुर तथा पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को प्राप्त हुआ । प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की जांच किए जाने पर धमकी दिए जाने की बात प्रमाणित नहीं हुई । अतः किसी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है । दोनों पक्षों के मध्य बाग नं0-151 के संबंध में वाद मुंसिफ शाहगंज के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जाना समीचीन नहीं समझा गया । शिकायतकर्ता की सुरक्षा हेतु थानाध्यक्ष, चन्दवक को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं ।

उ0 प्र0 में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की सुरक्षा की मांग

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों के चुनाव के बाद अब तक कुल कितने प्रधानों की हत्या हुई है ? शासन द्वारा प्रधानों की सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत वितरण मण्डल बरेली के समस्त कार्यालयों को पावर हाउस प्रांगण में लाने की मांग

15–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण मण्डल बरेली के अनेक कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर किराये के भवनों में चल रहे हैं जिससे जनता को अपने काम कराने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है ? क्या बरेली स्थित पावर हाउस से बड़ी मशीनें हटा दिए जाने से वहां पर्याप्त स्थान उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विद्युत वितरण मण्डल बरेली के सभी कार्यालय पावर हाउस प्रांगण में ले जाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण मण्डल, बरेली के 6 कार्यालय बरेली में परिषदीय भवनों में कार्यरत हैं जिनमें से 5 कार्यालय एक ही स्थान काटजू मार्ग में हैं तथा एक कार्यालय रामपुरबाग, बरेली हाइडिल कालोनी में स्थित है । इन दोनों कार्यालयों की दूरी मात्र एक किलोमीटर है ।

बरेली स्थित पावर हाउस से बड़ी मशीनें हटा दिए जाने से जो स्थान उपलब्ध है उसमें सभी मण्डल कार्यालय खोलने के लिए लगभग 20 लाख रुपया भवन निर्माण में व्यय करना पड़ेगा क्योंकि भवन 1928 में निर्मित होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । सुरक्षा की दृष्टि से उक्त पावर हाउस में कार्यालय खोलना उचित नहीं है क्योंकि पावर हाउस परिसर में 132 के0वी0, 66 के0वी0, 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 विद्युत गृह स्थापित हैं । जिससे बरेली नगर के दो तिहाई भाग की विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

जनपद इलाहाबाद में, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक तैनात हुए सभी इन्सपेक्टरों व सब-इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण की मांग

16–श्री अतीक अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने सब इन्सपेक्टर तथा इन्सपेक्टर (पुलिस) ऐसे हैं जिनकी तैनाती उक्त जनपद में पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है ? क्या ऐसे पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण-स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद इलाहाबाद में नगर व ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर कुल 16 उप निरीक्षक ऐसे हैं, जो पांच वर्ष पूर्ण कर चुके हैं । इनका स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-5001/आठ-1-86, दिनांक 17-7-1986 में निहित निर्देशानुसार 6 वर्ष पूरा होने पर ही किया जा सकता है ।

पांच वर्ष की समयावधि पूरा करने वाले एक निरीक्षक हैं, जिनका स्थानान्तरण पुलिस महा-निरीक्षक, जोन, इलाहाबाद द्वारा झांसी परिक्षेत्र किया गया था, किन्तु हृदय रोगी होने के कारण विचारोपरान्त उनका झांसी परिक्षेत्र हुआ स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है ।

डिप्टी एस0 पी0 बाराबंकी के स्थानान्तरण की कार्यवाही

17–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी एस0 पी0 बाराबंकी का स्थानान्तरण लखीमपुर खीरी किए जाने के आदेश मुख्य मंत्री ने दिनांक 1-6-90 को स्पष्ट रूप से दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने वाले दोषी अधि-कारी कौन हैं ? उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं क्योंकि उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्नकर्ता के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पर पुलिस कार्यवाही

18–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट, बांदा को प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29-1-90 जरिये टेलीग्राम सूचना दी थी कि प्रश्नकर्ता के विरुद्ध पेशबन्दी एवं साजिसन झूठी रिपोर्ट की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता से भी जांच में पूछतांछ की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अभिलेखों से पाया गया कि प्रश्नकर्ता के विरुद्ध कोई रिपोर्ट अंकित न होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जांच अधिकारी ने तार प्राप्त के 10–15 दिनों के पश्चात प्रश्नकर्ता से बातचीत एवं पूछतांछ भी की थी ।

प्रश्नकर्ता के दिनांक 31 3-90 अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् फतेहगढ़ को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

19–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला तलैया साहबजादगान की पुरानी जीर्ण-शीर्ण विद्युत लाइनों को बदलने एवं नये खम्भे लगवाने के स्वीकृत कार्य को जनहित में शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-3-90 अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद्, फतेहगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इस कार्य को पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 31-3-90 अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध नहीं, हो पा रहा है ।

मोहल्ला तलैया साहबजादगान में विद्युत संबंधी कार्य दिनांक 5-1-91 को पूर्ण कर दिया गया है ।

पुलिस निरीक्षक मेरठ श्री परमेश्वर राय के लखनऊ में निर्माणाधीन भवन के सन्दर्भ में, सतर्कता विभाग से जांच एवं दण्डित करने की मांग

20–श्री एदल सिंह, श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस निरीक्षक मेरठ श्री परमेश्वर का लखनऊ नगर के मोहल्ला मोती नगर गौरी निवास तथा रेडियो ट्रेनिंग कालेज के सामने पचास लाख रुपये का भवन बन रहा है ? क्या जुलाई, 1990 के अन्तिम सप्ताह में इस संबंध में शासन के मुख्य सचिव व गृह सचिव को कतिपय विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, शिकायतें क्या हैं ? क्या सरकार इसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराकर दोषी पुलिस अधिकारी को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार मोहल्ला मोतीनगर, लखनऊ में श्री परमेश्वर राय, पुलिस निरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, जो वर्तमान समय में जनपद गाजियाबाद में पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं, का भवन बना हुआ है जिसकी लागत का आकलन अभी अप्राप्त है ।

जी हां ।

मुख्य शिकायती बिन्दु अवैध ढंग से धनार्जन करके भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में है ।

प्रश्नगत मामले में विभागीय जांच प्रचलित है । अतः सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है ।

पशुधन निदेशालय में संयुक्त निदेशक (पल्टरी) डा0 सिंह के निलम्बन की मांग

21–श्री मयंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश तथा श्री एदल सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशुधन निदेशालय में संयुक्त निदेशक (पोल्टरी) श्री सिंह कुक्कुट विकास निगम के एम0 डी0 का भी कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उप निदेशक पशुपालन के पद पर फैजाबाद में तैनाती के दौरान वे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के मामले में धन लेने में दोषी पाये गये थे जिसमें जांच अधिकारी ने जनवरी, 1990 में उन्हें तत्काल निलम्बित किए जाने की संस्तुति की थी? क्या इस बारे में निदेशालय द्वारा कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में निलम्बित नहीं किया जा सका ? क्या सरकार इस पर नये सिरे से विचार करते हुए उन्हें निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री जमुना प्रसाद बोस)–

जी नहीं ।

तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में जांच अधिकारी ने दिनांक 16-3-90 को डा0 सिंह को निलम्बित करने की संस्तुति की थी ।

जी नहीं ।

डा0 सिंह को दिनांक 17-4-90 से निलम्बित कर दिया गया है ।

पुलिस चौकी दुर्गागंज थाना सुरियावां, जिला वाराणसी के चौकी इंचार्ज, दीवान आदि द्वारा दिनांक 27-7-89 को विधायक एवं मजदूर नेता यूसुफबेग के साथ अभद्र व्यवहार

22–श्री मूलचन्द्र–

विधान सभा के तृतीय सत्र 90 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न सं0 181 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 27-7-89 ई0 को पुलिस चौकी दुर्गागंज थाना सुरियावां वाराणसी में जनता दल एवं कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सभाओं में हुए पथराव में दोनों पक्षों को चोटें आयी थीं ? क्या यह सही है कि कुछ लोगों के हाथ पैर टूटे हैं और सामान भी लूटा गया है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों का हाथ-पैर टूटा है तथा कितनी चोटें आयी हैं और कौन-कौन सामान लूटे गये हैं और उनके नाम और पते क्या हैं ? क्या सम्पूर्ण विवरण देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नकर्ता के हाथ में फ्रैक्चर हुआ तथा श्री यूसुफ बेग , सांसद के हाथ की अंगली एवं कान में चोटें आईं परन्तु जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति का कोई सामान नहीं लूटा गया ।

प्रश्नकर्ता के हाथ में फ्रैक्चर होने के अतिरिक्त प्रश्नगत घटना के अंतर्गत अन्य किसी व्यक्ति का हाथ-पैर नहीं टूटा । अन्य लोगों को केवल चोटें आई हैं । चूंकि कोई सामान घटना के दौरान लूटा नहीं गया है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नकर्ता को कुल 21 चोटें आईं ।

जनता दल व कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं के मध्य 27 जुलाई, 1989 को आयोजित सभा में पथराव किए जाने के कारण मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्री अन्ध नरायन, किशोरी लाल, वीरेन्द्र सिंह, आशीक अली, पारस नाथ, फौजदार, राम समुझ तथा गुलाब दुबे तथा जनता दल के सर्वश्री यूसुफ बेग, श्रीनाथ, दूधनाथ, चिन्तामणि, मैनेजर, जंग बहादुर, हरेराज चन्द्रभान, बिहारी, रामराज, बेचन तथा राज कुमार को चोटें आईं । प्रश्नगत घटना की जांच अपर परगना मजिस्ट्रेट (चंदौली) वाराणसी द्वारा की गई और उनकी जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी व्यक्ति का कोई सामान नहीं छीना गया न किसी व्यक्ति के साथ पुलिस के लोगों द्वारा मारपीट की गयी । ईंट पत्थर फेंके जाने के कारण दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आईं । किसी पुलिस कर्मी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध ज्यादती करने की बात प्रकाश में नहीं आई ।

ग्राम दानपुर पश्चिम पट्टी थाना सुरियावां जिला वाराणसी में एक स्कूटर एवं एक मोटर साइकिल को पुलिस कर्मियों के समक्ष जला देने की शिकायत

23–श्री मूलचन्द्र–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारां0 प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांचकर्ता कौन थे ? क्या यह सही है कि स्कूटर, राजदूत पुलिसकर्मियों के समक्ष जलायी गयी थी ? यदि हां, तो जलाने वाले कौन-कौन थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्पूर्ण विवरण देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

घटना की जांच सर्वप्रथम श्री बी0 डी0 दुबे, उप निरीक्षक द्वारा की गयी । श्री दुबे का स्थानान्तरण हो जाने पर इस घटना की जांच विशेष अनुसंधान वाराणसी द्वारा की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मजरा बहरौली ग्राम बेहहली जनपद बाराब्की में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हरिजन बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण हेतु भू0 पू0 विधायक भोपाल सिंह व कु0 कृष्णा रावत के उपरिपत्र के साथ ग्रामीण निवासियों का सामूहिक हस्ताक्षर युक्त 28-5-87 को प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त मजरे बहरौली में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

बहरौली व ग्राम सभी बेलहरी विकास खण्ड पूरे-डलई का एक मजरा है । चूंकि बाराबंकी जनपद में मजरों के विद्युतीकरण की कोई स्वीकृत योजना नहीं है, अतः मजरा बहरौली का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

25–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

विश्व बैंक योजना के अंतर्गत, जनपद आगरा में ऊर्जा हेतु स्वीकृत धन

26–श्री हरद्वार दुबे–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में विद्युत मशीनें , तार तथा खम्भों की दशा को सुधारने हेतु विश्व बैंक योजना के तहत कितना धन स्वीकृत हुआ है ? यह धन कब से प्राप्त हो रहा है तथा कितना कार्य इस परिपेक्ष्य में हुआ है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस हेतु विश्व बैंक योजना के तहत कोई धन स्वीकृत हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग के छटनीशुदा कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजनान्तर्गत समायोजन

27–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 5604/12(9)/85-1899(13)/81 दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तथा पृष्ठांकन संख्या 5604/(1)/12(9)-85 द्वारा 447 कर्मचारियों (छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक) की नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना के अन्तर्गत लिये जाने के आदेश दिये थे ? क्या उक्त योजना अन्तर्गत लगभग 250 छटनीशुदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है ? यदि हां, तो शेष कर्मचारियों को कब तक उक्त योजना में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

उक्त योजना के अन्तर्गत 1980 में 200 कर्मचारी, 1984 में 48 कर्मचारी और 1986 में

204 कर्मचारियों की नियुक्तियां करी गई हैं । अब तक कुल 452 छटनी शुदा कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों को शासन द्वारा छटनी शुदा कर्मचारियों को खपाने की व्यवस्था की अवधि समाप्त हो जाने के कारण नियुक्ति करना संभव नहीं है ।

प्रश्नकर्ता के दिनांक 18-6-90 के मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर शासकीय कार्यवाही

28–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1985 में जनपद पीलीभीत, आसाम रोड चौराहा पर श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18-6-90 को विशेष सचिव मुख्य मंत्री महोदय को प्रेषित खत्र पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मृतक के आश्रित दो पुत्रों सर्वश्री सरतेश कुमार सक्सेना तथा दिनेश सक्सेना को मुख्यमंत्री सहायता कोष से ढाई-ढाई हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

प्रसंगत पत्र आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में था तथा पूर्व में ही विचारोपरान्त मुख्य मंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया की गोरखपुर इकाई के संबंध में वस्तुस्थित

29–श्री केदार नाथ सिंह तथा श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया की गोरखपुर इकाई उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार इस समय बन्द है और उसे कहीं और ले जाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वस्तु स्थिति से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया की गोरखपुर इकाई को सहायक कारखाना निदेशक के निदेशानुसार बन्द किया गया । कारखाने को किसी अन्य जगह ले जाने का कोई प्रस्ताव प्रदेश शासन की जानकारी में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के जीमनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

30–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक संगठन द्वारा कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या भ्रष्टाचार निरोधक संगठन द्वारा कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । सम्प्रति जांच प्रचलित है ।

जी हां । शिकायतकर्ता एवं उनके पक्ष के साक्षीगणों को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 6-1-90 के संदर्भ में कार्यवाही की मांग

31–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पंजीकृत पत्रांक 105/रा0/90 दिनांक 6-1-90 द्वारा राज्य कृषि विपणन अधिकारी उ0 प्र0 द्वारा निष्पक्ष चयन रद्द करवाकर नियुक्तियां करने/कराने की शिकायत की गयी थी ? और जांच करवाकर उनको दण्डित करते हुये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निवेदन किया गया था तथा पत्रांक 139/रा0/90 दिनांक 25-1-90 पत्रांक 262/रा0/90 दिनांक28-2-90 तथा पत्रांक 325/रा0/90 दिनांक 7-4-90 द्वारा अनुस्मारक भी दिए गए थे ? यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन हो जाने के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया विधि विरूद्ध पाई गयी जिसके कारण नियुक्तियां नहीं की गयी ।

ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद के अनुसूचित जाति के श्री बाबूलाल, पिछड़ी जाति के श्री रामगोपाल वर्मा को ग्राम प्रधान द्वारा उत्पीड़ित किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

32–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के द्वितीय बुधवार दिनांक 27-6-90 को लिये निर्धारित अतारा0 प्रश्न सं0 75 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में जांच हरिजन सेल के किस अधिकारी द्वारा की गयी और जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में किस किन अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के बयान लिये गये ? क्या मुख्य मंत्री उक्त प्रकरण में साक्षियों से लिये गये बयान को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच हरिजन सेल के किसी अधिकारी द्वारा नहीं वरन् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के माध्यम से क्षेत्राधिकारी अयोध्या द्वारा सम्पन्न करायी थी । जांच के दौरान अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के व्यक्ति श्री शीतला प्रसाद धोबी पुत्र राम समुझ, श्री प्रेम चन्द्र वर्मा पुत्र जिया लाल, श्री राजाराम पुत्र राम अंतार, श्री भगदम पुत्र मातादीन, श्री काशीराम पुत्र हर प्रसाद, श्री मुहम्मद रफीक पुत्र मुहम्मद जर्मा, श्री मुहम्मद अनवर पुत्र मुहम्मद यार, श्री राम नाथ कोरी पुत्र लोधे, श्री छेदी पासी पुत्र रामदास, श्री शिवपाल पुत्र उदल, श्री मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद आरिफ, श्री शंकरनाथ नाई पुत्र देवी दास, श्री राम नरेश पुत्र श्री रामरतन पासी, श्री बाबादीन पुत्र रामनरेश पासी, श्री मंगल पुत्र पूदन पासी, श्री राम नवल पुत्र रामनाथ पासी, श्री बाबू लाल पुत्र रामअंतार कोरी श्रीमती रामवती पत्नी जेठू राम, के बयान लिये गये ।

सदन के पटल पर रखे जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को प्रबन्ध निदेशक बीज एवं तराई विकास निगम के भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रेषित पत्र दिनांक 21-3-90 के संदर्भ में कार्यवाही की मांग

33–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रबन्ध निदेशक बीज एवं तराई विकास निगम के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 21-3-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

इन शिकायतों की जांच कराई गई थी । शिकायतें सही नहीं पायी गई ।

प्रश्नकर्ता द्वारा थाना बारादरी, जनपद बरेली के अपराध सं0 321/8823 के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 28-4-90 के संदर्भ में कार्यवाही

34–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 321/8823 के तहत थाना बारादरी जनपद बरेली के अन्तर्गत भा0 ज0 पा0 के दो प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ, पुलिस द्वारा दायर मुकदमें वापस लेने के विषय में प्रश्नकर्ता को कोई पत्र उन्हें 28-4-90 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 28-4-90 को प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम आंगनपुर तह0 मिलक जनपद रामपुर में दिनांक 1 मई 90 के आस-पास एक बराती बस में, करेन्ट उतरने से घटित दुर्घटना में शासकीय कार्यवाही

35–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि रामपुर जनपद के मिलक तहसील के अन्तर्गत ग्राम आंगनपुर में गत 1 मई, 90 के आस-पास बस में विद्युत करेन्ट आ जाने के कारण एक बारात के 5 लोग मर गये और लगभग 20 लोग घायल हुये ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन था ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, प्रश्नगत दुर्घटना में सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 9 व्यक्ति घायल हुए थे ।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा की गयी जांच के अनुसार यह दुर्घटना विद्युत परिषद् द्वारा त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन के कारण घटित हुई ।

दुर्घटना के पश्चात मिलक क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी व अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रुपये दस-दस हजार की अनुग्रह राशि की स्वीकृति परिषद् के कार्यालय ज्ञाप सं0 2088 से 2094 दिनांक 30-7-1990 द्वारा कर दी गयी है । घायलों के संबंध में चिकित्सा आख्या प्राप्त होने पर उनकी अर्जन शक्ति में हुए ह्रास के अनुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जायेगी ।

विगत पांच वर्षों के मध्य अपट्रान इण्डिया लि0 के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या तथा खर्च का विवरण

36–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में अपट्रान कम्पनी के कितने लोगों ने विदेश यात्रा की उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ तथा उनमें से कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दी ? क्या विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को विदेश से आने के बाद पुनः उनकी सेवायें 5 वर्ष या 10 वर्ष कम्पनी को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पिछले पांच वर्षों में अगस्त 1985 से अगस्त 1990 तक अपट्रान इण्डिया लि0 के 85 लोगों ने विदेश यात्रा की तथा उन पर लगभग 60 लाख रुपये का व्यय हुआ और उनमें से 42 लोगों ने कम्पनी की नौकरी छोड़ दी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनी के अधिकारियों को व्यवसायिक अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य से ही विदेश यात्रा पर भेजा जाता है । व्यवसायिक कार्यों से विदेश जाने वाले अधिकारियों की विदेश से वापसी पर न्यूनतम सेवा करने का बाण्ड भराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे कम्पनी के हित में एक विशिष्ट कार्य के लिये जाते हैं । ऐसे अधिकारी जो प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे जाते हैं, उनमें प्रशिक्षण अवधि के अनुसार कम्पनी की सेवा में रहने के लिए बाण्ड भरने का प्राविधान है ।

एक माह अथवा उसके कम अवधि के लिए विदश प्रशिक्षण जाने से पूर्व कम्पनी की सेवा न्यूनतम एक वर्ष तक तथा एक माह से अधिक अवधि के प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व न्यूनतम दो सेवा का बाण्ड भराये जाने का प्राविधान है । इससे अधिक अवधि का बाण्ड भरने से सम्बन्धित अधिकारी तैयार नहीं होते हैं । साथ ही कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उपरक्त अवधि में प्रशिक्षण का लाभ कम्पनी की टेक्नालजी में ग्रहण हो जाये ।

महानगर, लखनऊ के विद्युत-बिल बकाएदारों से वसूली की मांग

37–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महानगर में कितने ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध विद्युत का एक हजार रुपये से अधिक बकाया है ? इसकी वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इन रुपयों को कब तक वसूला जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ महानगर के बिल्ड उपभोक्ताओं में से 44490 कनेक्शनों पर माह नवम्बर तक एक हजार रुपये से अधिक विद्युत बिलों का बकाया है ।

(अ) वर्तमान में प्रयोग में आ रहे विद्युत कनेक्शनों को यथासम्भव विच्छेदित किया जा रहा है तथा समाप्त किये जा चुके कनेक्शनों के विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में जिला प्रशासन के माध्यम से कराई जा रही है ।

(ब) विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु शिविर आयोजित किये जा रहे हैं ताकि विद्युत बीजकों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराकर विद्युत बकायों को तेजी से वसूल किया जा सके ।

बकाये की धनराशि की सम्पूर्ण वास्तविक वसूली निम्न मुख्य बातों पर निर्भर करती है :–

(1) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का निस्तारण ।

(2) विभिन्न सरकारी विभागों एवं नगर महापालिका को शासन द्वारा विद्युत बिलों के भुगतानों हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराया जाना ।

(3) सेक्शन–5 नोटिस के तहत बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली जिला प्रशासन द्वारा कराया जाना ।

(4) उपरोक्त व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि समस्त बकाया धनराशि की वास्तविक वसूली कब तक कर ली जाएगी ।

38–श्री प्रागी लाल अहिरवार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मा0 उच्च न्यायालय के दि0 9-2-90 के आदेशानुसार श्री आद्या प्रसाद द्विवेदी को, सभी देयों के भुगतान की मांग

39–श्री मंजूर अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि याचिका सं0–9265/89 श्री आद्या प्रसाद द्विवेदी बनाम लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन और अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने श्री आद्या प्रसाद द्विवेदी को बहाल करते हुए उन्हें उनके पद के सम्पूर्ण पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 9 फरवरी, 1990 को पारित किये हैं ? यदि

हां, तो क्या श्री द्विवेदी को उनके सम्पूर्ण पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? श्री द्विवेदी को उनके सम्पूर्ण पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री चन्द्रपाल सिंह)–

जी हां ।

जी हां । इन्हें सम्पूर्ण अवशेष रु0 14,797-10 पैसा का भुगतान दिनांक 4-10-1990 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के हरिजन छात्र श्री राजीव कुमार के दि0 31-7-90 को मा0 मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

40–श्री दयाराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कुछ छात्रों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र श्री राजीव कुमार की दिनांक 30 जुलाई, 1990 को पिटाई किये जाने और उन्हें अपमानित किये जाने तथा उसको रिपोर्ट कैन्ट थाना गोरखपुर में न लिखे जाने विषयक उक्त छात्र का पत्र दिनांक 31-7-90, 2-8-90 एवं 3-8-90 को मुख्य मंत्री, गृह सचिव तथा जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजीव कुमार का एक दिनांक रहित पत्र शासन को तथा मा0 विधायक के पत्र दिनांक 3-8-90 के साथ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को एवं श्री राजीव कुमार का एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-7-90 थाना कैन्ट में प्राप्त हुआ । प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 282/90 दर्ज कर कार्यवाई की गई । मुकदमें से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25-8-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया । विवेचनोपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

ग्राम पुकारी तथा करतल, जनपद बांदा की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

41–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद ब्लाक नरैनी के ग्राम पुकारी तथा करतल का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन गांवों की हरिजन बस्तियों का अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच बाहर के किसी उच्च अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । ग्राम पुकारी के विद्युतीकरण के समय 2 खम्भे लगाकर उसकी हरिजन बस्ती को भी विद्युतीकृत किया गया था । इसी प्रकार ग्राम करतल की हरिजन बस्ती का एक खम्भा लगाकर विद्युतीकरण किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

(2रे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 163 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम मवई थाना बिसन्डा जनपद बांदा में जुलाई 1989 में पड़ी डकैती प्रकरण पर शासकीय कार्यवाही

43–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद के थाना बिसन्डा अंतर्गत ग्राम मवई में माह जुलाई, 1989 में कुम्हार जाति के घर भीषण डकैती पड़ी थी जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या इस पूरे प्रकरण की जांच जनपद के बाहर के किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी और जुर्म छिपाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना के संबंध में थाना बिसन्डा पर मुकदमा अपराध सं0-188/90 धारा 395 भा0 दं0 वि0 दिनांक 12-7-90 को पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है । इस अभियोग के पंजीकरण में हुए बिलम्ब की भी जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

इस प्रकरण में अन्य जनपद की पुलिस से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

बांदा जनपद के ग्राम डुवरिया पुरवा में पुलिस एवं जनता से संतोषा यादव गैंग के मध्य हुई मुठभेड़ में दो व्यक्तियों की मृत्यु

44–श्री राम प्रसाद सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–52 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-पहाड़ी गांव रानीपुर के शिवरतन मजरव दुवरिया के खीकरन यादव के पुत्र ओम प्रकाश यादव की थाना पहाड़ी के उपनिरीक्षक द्वितीय व तीन सिपाहियों एवं सत्रह नामजद बन्दूकधारियों ने मिलकर 4-3-88 को हत्या कर दी थी ? क्या इस संबंध में 5-3-88, 7-3-88 तथा 21-5-88, 29-8-88 व 16-9-88 को एस0 पी0 बांदा व मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी अपने पत्रांक-अ 37/386, दिनांक 23-12-88 द्वारा संबंधित अपराधियों के पकड़ने, असलहों को जब्त करने के लिए लिखा गया था ? यदि हां, तो इन उपरोक्त पत्रों के आधार पर की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के पशु-चिकित्सालय ग्राम पृथ्वीपुर के भवन का निर्माण

45–सुरेश विक्रम सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के पशु चिकित्सालय ग्राम पृथ्वीपुर के भवन का निर्माण 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और आज तक पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

इस पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सरोज अध्यक्ष अखिल भारतीय शोषित कल्याण परिषद् जनपद इलाहाबाद को सुरक्षार्थ शैडो/गनर की मांग

46–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सरोज अध्यक्ष अखिल भारतीय शोषित कल्याण परिषद्, जिला-इलाहाबाद के ऊपर कई बार कातिलाना हमला किया गया और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से शासन के 26-5-88 के आदेश पर दिनांक 28-8-89 को उनके लिए शैडो

नियुक्त किया गया था ? क्या उक्त शैडो को दिनांक 28-11-89 को वापस ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री सरोज को सुरक्षा हेतु शैडो/गनर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद सरोज पर कातिलाना हमले की सूचना नहीं है । श्री सरोज की गांव के हरिजनों से झगड़े में उभय पक्षों द्वारा धारा 307 भा0 दं0 वि0 में क्रास केस थाना हण्डिया (इलाहाबाद) में एवं एक अन्य मुकदमा इनके विरुद्ध धारा 307 भा0द0वि0 में दिनांक 29-4-89 में थाना कर्नेलगंज (इलाहाबाद) में पंजीकृत हुआ था । दिनांक 27-8-88 को शासन द्वारा सीमित अवधि के लिए श्री सरोज के साथ एक कैडी नियुक्त किया था ।

जांच आख्या से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर उक्त शैडो दिनांक 27-11-89 को वापस कर लिया गया था । इन्हें शासन द्वारा पुलिस सुरक्षा दिये जाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं पाया गया है ।

ग्राम कारीपाकर थाना महोली जनपद सीतापुर निवासी श्री बृहमादीन को उनकी जमीन व मकान वापस दिलाने की मांग

47--श्री ओम प्रकाश गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कारीपाकर थाना महोली जनपद-सीतापुर के ग्राम प्रधान एवं अन्य द्वारा उक्त ग्राम के ही निवासी श्री बृहमादीन की जमीन, मकान पर जबरिया कब्जा कर लेने विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-10-89 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री बृहमादीन को उनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बृहमादीन उर्फ बृहमा प्रसाद गुप्ता का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-6-89 जिलाधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ जिस पर जांच कराई गई । जांच से संबंधित विवाद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रथम पक्ष के बृहमादीन व द्वितीय पक्ष के 7 व्यक्तियों चन्द्रभाल मुनीम पुत्र पुत्तूलाल, कमले मिश्रा पुत्र आशाराम, मन्ना लाल पुत्र राम स्वरूप, मगरे कहार पुत्र चित्तर कहार, कल्लू पुत्र आशाराम, आशाराम पुत्र जुगनू व रामपाल पुत्र जुगनू के विरुद्ध धारा 107/116/(3) जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई थी । अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के संबंध में विपक्षीगणों को धारा 448 भा0द0वि0 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने के उपरान्त दिनांक 14-7-90 को बृहमादीन की सम्पत्ति को विपक्षीगणों द्वारा छोड़ दिया गया था । प्रार्थी के मकान का आधा बैनामा है और आधा बगैर बैनामा वाला हिस्सा खाली पड़ा है जिस पर विपक्षी का कोई कब्जा नहीं है ।

उपरोक्त विवाद में दोनों पक्षों ने दिनांक 14-7-90 को प्रश्नकर्ता के समक्ष ही समझौता करा लिया है ।

श्रीमती राम देवी, थाना पिसांवा जनपद सीतापुर के घर लूटपाट व उसकी पुत्री के अपहरण विषयक, प्रश्नकर्ता के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र दि0 28-5-90 पर शासकीय कार्यवाही

48--श्री ओम प्रकाश गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-5-90 जो पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रेषित किया गया है और जिसमें दिनांक 25/26-5-90 की रात्रि 12 बजे श्रीमती राम देवी पत्नी श्री नत्थू निवासी रंगबइया थाना-पिसांवा जनपद सीतापुर के घर लूट-पाट एवं उसकी पुत्री कु0 चन्द्रिकली का अपहरण कर लिये जाने का उल्लेख था, पर अब तक क्या कार्यवाही

की गयी ? क्या यह सही है कि प्रार्थिनी द्वारा अथक प्रयासों के बावजूद संबंधित थाने की पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-5-90 व 29-5-90 प्राप्त हुआ जिस पर जांच कर अभियुक्त किशनपाल पुत्र मूलचन्द्र आरख के कब्जे से अपहृता कुमारी चन्द्रकली को दिनांक 17-7-90 को बरामद कर जेल भेजा गया । अभियुक्त मेवालाल पुत्र मूलचन्द्र आरख निवासी कपसाकलां थाना पिसांवा को दिनांक 31-7-90 को हाजिर अदालत कर जेल भेजा गया । विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है, जो विचाराधीन है ।

जहां तक प्रार्थिनी द्वारा पुलिस पर रिपोर्ट न लिख जाने का आरोप है, प्रार्थिनी ने अपनी तहरीर दिनांक 16-6-90 में अंकित किया है कि काफी तलाश व इंतजार के बाद भी मेरी लड़की नहीं मिली, रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा करें । उक्त दिनांक 16-6-90 को प्रार्थिनी राम देवी की तहरीरी सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । अतः पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने का आरोप निराधार है ।

प्रश्नकर्ता के दिनांक 29-5-90 पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रेषित पत्र पर शासकीय कार्यवाही

49–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थाना मिश्रिख में कार्यरत सिपाही श्री हुकुम सिंह द्वारा ग्राम सभा परसेपुर के हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29-5-90 पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सिपाही को अभी तक अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण है ? क्या उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हुकुम सिंह का स्थानान्तरण थाना मिश्रिख से पुलिस चौकी शेखसराय थाना खैराबाद किया जा चुका है । उक्त पत्र दिनांक 29-5-90 की जांच प्रभारी निरीक्षक मिश्रिख श्री सोबरन सिंह द्वारा कराई गई । जांच से आरक्षी 872 हुकुम सिंह के विरुद्ध आरोप अप्रमाणित रहे ।

ग्राम लखनीपुर थाना मवई जनपद बाराबंकी निवासी डा0 जगदीश प्रसाद खरे द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की मांग

50–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ग्राम लखनीपुर थाना मवई जनपद बाराबंकी के डा0 जगदीश प्रसाद खरे ने दिनांक 22-12-88 को पुलिस कप्तान बाराबंकी को थाना मवई के तत्कालीन दरोगा सर्वश्री चौबे और मौर्या के विरुद्ध उन्हें अकारण दिनांक 16-12-88 को मार-मार कर हाथ व पैर की हड्डी तोड़ डालने आदि के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में उपरोक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना-मवई पर मुकदमा अपराध सं0 132/88 धारा 392/323/325 भा0दं0वि0 बनाम उपनिरीक्षक सूर्यपाल मौर्या व उपनिरीक्षक कपिल देव चौबे कायम किया गया । इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ द्वारा कराई जा रही है । विवेचना अभी प्रचलित है ।

उ0 प्र0 मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत श्री अरुण कुमार, उन्नाव की नियुक्ति तृतीय श्रेणी में किए जाने की मांग

51–श्री कासिम अली–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री श्रीकृष्ण प्रसाद कनौजिया सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड गंज मुरादाबाद जनपद उन्नाव की मृत्यु दिनांक 16-1-90 को सेवाकाल में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित अरुण कुमार द्वारा तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की लिखित प्रार्थना करने पर भी उन्हें अभी तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है ? क्या यह भी सच है कि श्री अरुण कुमार तृतीय श्रेणी की योग्यता रखते हैं और विभाग द्वारा उन्हें चतुर्थ श्रेणी में रखे जाने की पेशकश की जा रही है ? क्या मंत्री जी तत्काल मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार श्री अरुण कुमार की नियुक्ति तृतीय श्रेणी (लिपिकीय पद) में किए जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां , लेकिन उन पर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है । पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस लाइन, जनपद बाराबंकी में रहने वाले पुलिस कर्मियों से माह जून, 1988 से सितम्बर, 89 तक बिजली बिलों के भुगतान हेतु काटी गयी धनराशि

52–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में पुलिस लाइन के नव-निर्मित आवासों में रहने वाले पुलिस कर्मियों से बावत बिजली मद का पैसा वेतन से रु0 20/- व 25/- प्रतिमाह की दर से माह जून 1988 से सितम्बर, 89 तक काटा गया है ? यदि हां, तो उक्त धन किस मद में खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त धन कहां, है ? क्या माह सितम्बर, 89 के पश्चात उपरोक्त मद का पैसा कटना बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों और उपरोक्त धन किसके आदेश से काटा गया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस प्रयोजन हेतु काटी गयी धनराशि बिजली के बिलों के भुगतान हेतु जमा की गई ।

जी हां । पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कर्मचारियों द्वारा बिजली के बिलों का पैसा स्वयं जमा करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप उनके वेतन से उक्त मद में पैसा काटना माह सितम्बर, 89 के पश्चात बन्द कर दिया गया है ।

स्व0 महातम सिंह की विद्युत स्पर्श से दुर्घटना के संबंध में, श्री बी0पी0 फुल्लर मु0 वि0 निरीक्षक की दि0 9-2-84 को आख्यानुसार क्षतिपूर्ति

53–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 बी0 फुल्लर मुख्य विद्युत निरीक्षक, लखनऊ ने दिनांक 9-2-84 को शासन तथा सचिव उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को स्व0 महातम सिंह की विद्युत स्पर्श से दुर्घटना की जांच रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित भेजा है परन्तु अभी तक पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति परिषद् द्वारा नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

स्व0 महातम सिंह के आश्रितों को राज्य विद्युत परिषद् के ज्ञाप संख्या 142 ईए/राविप दिनांक 11-1-91 द्वारा रु0 10,000/- की अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

अध्यक्ष/सचिव उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् लखनऊ को प्रेषित, प्रश्नकर्ता के दिनांक 2-5 90 के पत्र पर कार्यवाही

54–श्री केदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि0 2-5-90 को अध्यक्ष/सचिव उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को सेवा निवृत्त अधिशासी अभियन्ता श्री छेदी प्रसाद के पेंशन आदि के मामले निस्तारित करने हेतु कोई पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उनके पेंशन अनुतोषिक तथा राशिकरण की स्वीकृति के आदेश 24 अगस्त, 1990 में ही प्रसारित कर दिये गये थे ।

जनपद जौनपुर के ग्राम-गौरा विकास खण्ड तथा तहसील बदलापुर के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

55–श्री लालता प्रसाद यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारां0 प्रश्न सं0–17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव के विद्युतीकरण के पूर्व ग्राम बेसहूपुर का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है जबकि उक्त गांव का प्राक्कलन ग्राम गौरा के बाद स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि ग्राम गौरा के विद्युतीकरण में प्रयोग होने वाले सामानों एवं बिजली के खम्भे इत्यादि लग गये हैं और शेष सामान ग्राम प्रधान के आवास पर सुरक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी तत्काल विद्युतीकरण किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम बेसहूपुर के एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण हेतु कोई प्राक्कलन नहीं बना है । यह ग्राम वर्ष 1980 में केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत हुआ था ।

ग्राम गौरा के विद्युतीकरण हेतु कुछ सामान पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गया था जिसे ग्राम तक पहुंचा दिया गया था । शेष सामान का चालू वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध करके ग्राम का विद्युतीकरण 30-10-1990 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य वि0 परिषद् वितरण खण्ड प्रथम व द्वितीय, जनपद गाजीपुर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आरक्षित कोटे को भरने की मांग

56–श्री खुर्शीद अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् वितरण खण्ड प्रथम व द्वितीय, गाजीपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? क्या उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा भरा जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण कोटा कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय गाजीपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 435 पद स्वीकृत हैं । वर्तमान में कोई भी पद रिक्त नहीं है । आरक्षित कोटे के 87 पदों के विरुद्ध कुल 81 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जनपद हरदोई, तह0 सन्डीला के ग्राम गौरी खालसा ब्लाक कछौना में विद्युतीकरण के संबंध में सरकारी कार्यवाही

57–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की तहसील सण्डीला में ग्राम गौरी खालसा ब्लाक कछौना में विद्युतीकरण हेतु खम्भे डाले गये थे परन्तु वहां से अधिकारियों द्वारा अकारण खम्भे उठवा कर ग्राम सरसंड मजरा सुभान खेड़ा में लगा दिये गये ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से खम्भे उठाए गए हैं और किस अधिकारी के आदेश से सरसंड ग्राम के मजरे सुभान खेड़ा में लगाये गये ? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम गौरी खालसा ब्लाक कछौना के विद्युतीकरण हेतु खम्भे नहीं डाले गये थे । नहर के किनारे खम्भे ग्राम सरसंड के मजरा सुभानखेड़ा के विद्युतीकरण हेतु डाले गये थे और वहीं लगाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम भटियारा, तह0 बीकापुर, जनपद फैजाबाद स्थित हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

58–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद स्थित ग्राम भटियारा में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भटियारा राजस्व ग्राम कौराह का एक पुरवा है । कौराह का एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण नहीं हुआ है । अतएव हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण भी सम्भव नहीं है ।

दिनांक 30 जनवरी, 1990 को ग्राम पूरे पलिहार मजरे बेखौना, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली में पड़ी डकैती के सन्दर्भ में पुलिस कार्यवाही

59–श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे पलिहार मजरे बेखौना, थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली के अन्तर्गत दिनांक 30 जनवरी, 1990 को हुई डकैती के सम्बन्ध में थाना नसीराबर्ष में एफ0 आई आर0 वर्ष दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो इस मामले की विवेचना से क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा कितने डकैतों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मामले में शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मो0 इसहाक पुत्र मो0 हबीब जां निवासी पूरे पलिहार की सूचना पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 10/90 धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचनोपरान्त 9 अभियुक्त प्रकाश में आये । 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया 3 अभियुक्त अदालत हाजिर हुए । 4 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र 31-5-90 तथा एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-10-90 को न्यायालय प्रेषित किया गया । 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है ।

विवेचना में कोई शिथिलता पुलिस द्वारा बरती नहीं गयी । अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत श्री गिरीश चन्द्र सिंह, गाजीपुर की नियुक्ति किए जाने की मांग

60–श्री राम लक्ष्मी नारायण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय मुरलीधर सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पुत्र श्री गिरीश चन्द्र सिंह ग्राम मेदनीपुर जनपद गाजीपुर का उ0 प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अंतर्गत सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने से संबंधित प्रार्थना-पत्र जिला कृषि अधिकारी वाराणसी के पत्र दिनांक 17-10-1989 द्वारा कृषि निदेशक उ0 प्र0 को संस्तुति सहित भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? सरकार श्री गिरीश चन्द्र सिंह को नियमानुसार सरकारी सेवा में कब तक नियुक्त करेगी ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

पद उपलब्ध होने के कारण नियुक्त के संबंध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

श्री कृष्णानन्द श्रीवास्तव की नियुक्ति, कृषि सेवा वर्ग-3 में करने के संबंध में दिनांक 14-9-89, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन

61–श्री असगर अली–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णानन्द श्रीवास्तव कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारी ने माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 14-9-89 को फैसला प्राप्त किया कि मैरिट के आधार पर इनकी नियुक्ति कृषि सेवा वर्ग-3 में तत्काल की जाये? क्या उक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद लगभग 10 महीने से न्यायलय आदेशों की अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पुनर्विचार के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान परिषद् मतदान दिनांक 15-5-90 के संबंध में परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस फतेहपुर बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही

62–श्री असगर अली–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी के पोलिंग स्टेशन पर विधान परिषद् मतदान तिथि दि0 15-5-90 के संबंध में परगना मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस फतेहपुर बाराबंकी ने कोई अपनी जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को दी थी ? क्या उक्त संयुक्त रिपोर्ट में जनपद तथा प्रदेश स्तर की कानून व्यवस्था भंग होने का उल्लेख किया गया था ? यदि हां, तो उसमें किन-किन अधिकारी/कर्मचारी तथा क्षेत्र के लोगों को दोषी बताया गया है ? दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । प्रदेश स्तर पर कानून व्यवस्था भंग होने का कोई उल्लेख उक्त संयुक्त रिपोर्ट में नहीं किया गया है ।

संयुक्त रिपोर्ट में सिर्फ तत्कालीन थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर खाला, श्री नरेन्द्र सिंह यादव व कान्स0 वीरेन्द्र सिंह की कर्तव्यहीनता, अकर्मण्यता तथा निष्क्रियता के सम्बन्ध में टिप्पणी की गई

थी । क्षेत्र के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया था । संयुक्त रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के आधार पर नरेन्द्र सिंह यादव व कान्स0 वीरेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है ।

थाना फतेहपुर, बाराबंकी एवं फैजाबाद परिक्षेत्र के अपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति का प्रकरण

63–श्री असगर अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद परिक्षेत्र में कितने उप निरीक्षकों का थानाध्यक्ष पद पर तैनाती का प्रकरण डी0 आई0 जी0 कार्यालय में लम्बित है ? उनका अनुमोदन/प्रोन्नति कब किया जायेगा ? क्या यह सच है कि थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के वर्ष 87-88 से अभी तक कार्यरत उप निरीक्षक का प्रोन्नति संबंधी प्रत्यावेदन भी लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? निस्तारण कार्यवाही में विलम्ब का कारण क्या है ? उनके दोषी प्राधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार फैजाबाद परिक्षेत्र में थानाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति हेतु किसी भी उप निरीक्षक का प्रकरण डी0 आई0 जी0 कार्यालय फैजाबाद में लम्बित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–65–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के 222 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद के परिणाम एवं नियुक्ति की मांग

66–श्री चैनसुख भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, 1990 में विद्युत परिषद् में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 222 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पदों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार होने के बाद परीक्षाफल अभी तक घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त परीक्षा परिणाम घोषित करके शीघ्र नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर भर्ती हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों का परीक्षाफल दिनांक 6-9-90 को घोषित किया जा चुका है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के 172 चयनित अभ्यर्थियों को माह सितम्बर, 1990 में नियुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिये गये हैं ।

ब्लाक प्रमुख सूरतगंज एस0 ओ0 मोहम्मदपुर तथा फतेहपुर बाराबंकी पर वर्ष 1989-90 में सिद्ध पाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में शासकीय कार्यवाही

67–श्री असगर अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख सूरतगंज बाराबंकी श्री राजेन्द्र सिंह के साथ नरेन्द्र सिंह यादव, एस0 ओ0 मोहम्मदपुर बाराबंकी तथा लोकनाथ यादव, इन्सपेक्टर कोतवाली फतेहपुर पर पुलिस की वर्दी में चोरी राहजनी, तस्करी तथा निर्वाचन के समय बूथों पर अवैधानिक ढंग से कब्जा कराने का आरोप 1989-90 में सिद्ध पाया गया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तार व पुलिस कर्मियों के निलम्बन तथा जनपद बाराबंकी से बाहर जनपद में स्थानान्तरण के आदेश जनहित में शासन द्वारा कर दिये गये ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामदास सिंह हे0 का0 गोरखपुर द्वारा, निलम्बन कालीन जीवन-निर्वाह भत्ता हेतु एस0 पी0 को जनवरी, 89 में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

68–श्री दया शंकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदास सिंह हे0 का0 गोरखपुर ने दिनांक जनवरी, 89 को निलम्बन कालीन जीवन निर्वाह भत्ता रोकने संबंधी आवेदन-पत्र एस0एस0पी0जी0आर0पी0 को दिया था ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र में मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता अब भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो श्री सिंह को जीवन निर्वाह भत्ता अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी0आर0पी0 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद नहीं है । आवेदन पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिया गया था ।

आवेदन पत्र में मुख्य बातें यह अंकित है कि उक्त हेड कान्सटेबिल दिनांक 3-1-89 को पुलिस लाइन गोरखपुर के कैश कार्यालय में जीवन निर्वाह भत्ता लेने गया परन्तु उसे धनराशि का भुगतान नहीं दिया गया और यह कहा गया कि उसे धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा क्योंकि एस0 एस0 पी0 महोदय ने रोक लगाया है । एस0एस0पी0 अथवा किसी अन्य अधिकारी का कोई आदेश नहीं दिखाया गया फिर भी मौखिक आदेश पर जीवन निर्वाह भत्ता रोक दिया गया ।

यह सत्य है कि उक्त हेड कान्सटेबिल पुलिस लाइन गोरखपुर के कैश कार्यालय में जीवन निर्वाह भत्ता लेने आया परन्तु चूंकि वह गैर हाजिर चल रहा है और अभी स्टोर में सरकारी किट दाखिल नहीं किया है इसलिए धनराशि का भुगतान नहीं किया गया । जीवन निर्वाह भत्ता रोकने के संबंध में एस0 एस0 पी0 अथवा किसी अधिकारी के लिखित अथवा मौखिक आदेश नहीं हैं ।

जी हां ।

दिनांक 3-1-89 के बाद उक्त निलम्बित हेड कान्सटेबिल, जीवन निर्वाह भत्ता लेने पुलिस लाइन गोरखपुर उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।

जिला जज (प्रथम) गोरखपुर के आदेश दिनांक 30-11-89, श्री रामदास सिंह हे0 का0 के वेतन से जुर्माना जमा करने की कार्यवाही

69–श्री दया शंकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) गोरखपुर ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को यह आदेश दिया था कि श्री रामदास सिंह हे0 का0 के वेतन से 100/- कटकर न्यायालय में जमा करावें और तदनुसार श्री सिंह के वेतन से 100/- काटकर दिनांक 8-1-90 को न्यायालय में जमा किया गया था ? यदि हां, तो उस वेतन का शेष धन क्या श्री रामदास सिंह को भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

न्यायालय के आदेश दिनांक 30-11-89 द्वारा हे0का0ना0पु0 रामदास सिंह के वेतन से 100/- रुपये का जुर्माना जमा कराने के आदेश हुए थे, जिसे माह अक्टूबर 1989 के वेतन से काटकर न्यायालय में जमा कर दिया गया है । शेष वेतन का रु0 542.55 हे0के0 के दिनांक 2-3-89 से अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ में 4 फरवरी , 1983 को वकीलों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज पर गठित मा0 न्यायमूर्ति श्री गुरुशरण लाल आयोग की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की मांग

70–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में 4 फरवरी, 1983 को वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गये निर्मम लाठी चार्ज की जांच के लिए न्यायमूर्ति श्री गुरुशरण लाल की अध्यक्षता में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब प्राप्त हुयी ? क्या उसे सदन के पटल पर रखा जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आयोग की रिपोर्ट शासन को दिनांक 31-5-1986 को प्राप्त हो गई है ।

रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरांत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना संभव होगा ।

हल्द्वानी, नैनीताल की छात्रा कु0 सीमा जौहरी के अपहरण एवं हत्या पर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

71–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी जनपद नैनीताल की एक छात्रा कुमारी सीमा जौहरी का अपहरण कर हत्या कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट थाना हल्द्वानी में अपराध संख्या 377/90 धारा 302/20/भा0 दं0 वि के अंतर्गत लिखी गयी है ? यदि हां, तो इस अपराध में कौन लोग लिप्त हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस अपराध में 5 अभियुक्तों का लिप्त होना पाया गया । अभियुक्त खुशाल सिंह, दीवान सिंह तथा कु0 कला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । शेष दो अभियुक्तों का काफी प्रयास के बाद भी पता नहीं चल सका । वर्तमान में मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

जनपद फजाबाद के इनायतनगर विद्युत सब स्टेशन के सामने रायबरेली मार्ग पर विभाग की जमीन पर दुकान निर्माण पर विभागीय कार्यवाही की मांग

72–बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फैजाबाद जनपद के इनायत नगर विद्युत स्टेशन के सामने फैजाबाद रायबरेली मार्ग पर विद्युत विभाग की जमीन पर विद्युत विभाग के अधिकारी की साजिश से दुकान बन गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अनधिकृत कब्जा हटवाकर इसमें शामिल विद्युत विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । फैजाबाद जनपद के इनायत नगर विद्युत सब-स्टेशन के सामने रायबरेली मार्ग पर विद्युत विभाग की जमीन पर दुकान नहीं बनी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा नेवादा, सुभाढ़ापुर, नेकलढ़तपुर की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराने की मांग

73–श्री खुर्शीद अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर तहसील गाजीपुर के गांव सभा नेवादा,

सुभाढ़ापुर, नेकबढ़तपुर की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला गाजीपुर में ग्राम सभा नेवादा सुभाखरपुर तथा नेकबढ़तपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण मुख्य ग्राम के विद्युतीकरण के साथ ही किया जाता है और उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ।

यह उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु चयन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

ग्राम खरगीखेड़ा ग्राम सभा तौरा ब्लाक बिछिया, उन्नाव के विद्युतीकरण विधायक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

74--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खरगी खेड़ा, ग्राम सभा तौरा ब्लाक बिछिया जनपद उन्नाव के विद्युतीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 जून, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है जिसे मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0वि0को0/एम-2/354-120/फै0(2)/90 द्वारा ऊर्जा सचिव को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

मा0 सदस्य का पत्र सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया था परन्तु उक्त ग्राम विद्युतीकरण हेतु विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं था । अतः उसके विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण, विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन किए जाने के बाद ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-6-90, श्री सत्य प्रकाश उर्फ छोटू की हत्या में हाटा थाने (देवरिया) की स्थानीय पुलिस निष्क्रियता के संबंध में सी0 आई0 डी0 जांच की मांग

75--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को श्री भोला प्रसाद कसौधन ग्राम हाटा, थाना हाटा जनपद देवरिया के शिकायती-पत्र को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 29-6-90 के साथ प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा श्री भोला प्रसाद कसौधन के पुत्र श्री सत्य प्रकाश उर्फ छोटू की हत्या में हाटा थाने की स्थानीय पुलिस निष्क्रियता की शिकायत करते हुए सी0 आई0 डी0 से जांच कराये जाने की मांग की गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और वस्तु स्थिति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

मुकदमें की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये कस्बा हाटा, देवरिया के ही तीन अभियुक्त तूफानी वर्मा पुत्र लालजी वर्मा, मकबूल पुत्र बक्शीश व गिरीश बेलदार पुत्र रामा उर्फ कोदई बेलदार की क्रमशः दि0 30, 3, 90 व 6, 4, 90 तथा 1, 5, 90 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त मकबूल की निशानदेही पर उक्त चोरी सहित हत्या के अपराध में प्रयुक्त चाकू खून आलूदा व सभी माल मसरूका (नकद) धनराशि बरामद हुआ। मुकदमें के विवेचनोपरान्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है । स्थानीय पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप निराधार पाते हुए मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मुरादाबाद के कुख्यात असलम उर्फ भौंदा गिरोह को पकड़ने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी

76–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्परिक्षेत्रीय डाकू सरगना असलम उर्फ भौंदा ने जनपद रामपुर, नैनीताल, बिजनौर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत तथा मुरादाबाद के विभिन्न थानों में कुल कितनी वारदातें की हैं ? उसकी गिरफ्तारी के संबंध में दि0 18-8-90 तक कब कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? अब तक गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैंग नं0 आई0 आर0-2 (एम) की परिभाषा क्या है तथा जो 45 सदस्य गैंग में सक्रिय हैं उनके नाम व उन पर घोषित इनाम की धनराशि क्रमशः कुल कितनी है ? गैंग के जिन आठ सदस्यों को पकड़ने के लिए इनाम की धनराशि में वृद्धि की गयी है, उनके नाम तथा बढ़ी हुई धनराशि किस पर कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फल एवं उद्यान विभाग में दैनिक वेतन पर लिपिक वर्ग में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के समायोजन की मांग

78–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फल एवं उद्यान विभाग में दैनिक वेतन पर लिपिक पद पर कितने कर्मचारी कितनी अवधि से कार्यरत हैं, उनमें से अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी हैं ? क्या यह सही है कि फल एवं उद्यान विभाग में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो दैनिक वेतन पर कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को अब तक समायोजित न किए जाने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

पर्वतीय क्षेत्र में लिपिक कार्य हेतु दैनिक वेतन पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । निदेशालय (मैदानी क्षेत्र) में लिपिक कार्य हेतु दैनिक वेतन पर 22 कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से कोई भी कर्मचारी अनुसूचित जाति का नहीं है । इन कर्मचारियों की कार्य अवधि का विवरण संलग्न है । उद्यान निदेशालय के अधीन मैदानी क्षेत्र के कार्यालयों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है । आरक्षण कोटे को पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 86 पर)

उ0 प्र0 पुलिस वायरलेस मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत हेड आपरेटरों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के भवन निर्माण पर कार्यवाही की मांग

79–श्री गोमती यादव–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस वायरलेस मुख्यालय लखनऊ में कार्यरत कितने हेड आपरेटरों ने बिना विभाग के अनुमति के ही अपने या अपनी पत्नी के नाम से लखनऊ में भवन का निर्माण करा लिया है ? शासनादेश की अवहेलना करने के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या पुलिस विभाग में यह भी आदेश है कि यदि किसी पुलिस कर्मी ने किसी स्थान पर स्थायी भवन बना लिया हो तो वहां पर उसकी तैनाती नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन उक्त विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

एक आपरेटर के विरुद्ध ऐसा मामला प्रकाश में आया है ।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां, किन्तु यह व्यवस्था लखनऊ शहर को छोड़कर अन्य जनपदों में लागू होती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिवानी बिहार, कल्याणपुर, खुर्रमनगर लखनऊ के व्यक्तियों को नए घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

80–श्री गोमती यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर सब स्टेशन कायम कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो वहां पर कुछ व्यक्तियों को कनेक्शन तीन-तीन हजार रुपया लेकर किस नियम के तहत दिया गया है ? क्या शेष व्यक्तियों को भी कनेक्शन उसी आधार पर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत शिवानी बिहार क्षेत्र के 30 निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अनुरोध करने पर नियमानुसार एक प्राक्कलन बनाया गया । इस प्राक्कलन की धनराशि को उन 30 आवेदकों में विभक्त कर प्रत्येक को नियम व शर्तें प्रेषित की गयीं जिसके अनुसार प्रत्येक को लगभग 2700 रुपए की धनराशि जमा करनी थी किन्तु दिसम्बर, 90 तक केवल 20 व्यक्तियों ने ही अपने हिस्से की धनराशि जमा की थी । इनमें से दो लोगों को कनेक्शन दिया जा चुका है ।

तीस व्यक्तियों में से केवल 20 व्यक्तियों द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के फलस्वरूप प्राक्कलन का पुनरावलोकन किया जा रहा है एवं तद्नुसार उनके द्वारा वांछित धनराशि जमा करने एवं नियमानुसार अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के कृषि रक्षा अधिकारी के विरुद्ध, कीटनाशक दवा खरीद प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

81–श्री अशोक सिंह चन्देल–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के कृषि रक्षा अधिकारी के विरुद्ध 25 ई0 सी0 एकालम्स नामक कीटनाशक दवा की खरीद में घपला पकड़ा गया है ? क्या सन् 1989-90 में महोबा और मौदहा के स्टोर सील किए गये थे ? क्या जनपद हमीरपुर से जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कृषि रक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को निलंबित कर सी0 सी0 ए0 नियमों के अंतर्गत जांच की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष बिंवार, जनपद हमीरपुर द्वारा अ0सं0 40/90 में गलत लोगों को फंसाने के संबंध में सी0 आई0 डी0 की जांच व न्याय की मांग

82–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के थाना बिवांर के थानाध्यक्ष, श्री ईश्वर दीन ने अ0 सं0 40/90 धारा 302/307/404 के मामले में गलत लोगों को फंसाया है जबकि

मृतक मान बहादुर की रायफल बसंता गैंग के सक्रिय सदस्य के इन्काउन्टर में बरामद हुयी है ? क्या इस संबंध में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर निर्दोष लोगों को न्याय देने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दि0 28-4-90 को श्री शिव कुमार पाण्डेय पुत्र मान बहादुर पाण्डेय निवासी ग्राम भरसंवा थाना बिवांर ने कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध उसके पिता पर बन्दूक व रायफल से जान से मारने की नियत से फायर करने के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने एवं मृतक की लाइसेन्सी रायफल व रिवाल्वर मय कारतूस के ले जाने के संबंध में थाना बिवार पर लिखित सूचना दी । इस सूचना पर अ0सं0 40/90 नहीं बल्कि 91/90 धारा 302/307/404 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त के कब्जे से मृतक की लाइसेन्सी रिवाल्वर व कारतूस बरामद हुए । इस संबंध में अपराध संख्या 92/90 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

मु0अ0सं0 91/90 धारा 302/307/404 भा0 दं0 वि0 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी को दिनांक 31-7-90 को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

83–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी मंडल को दि0 31 जुलाई 1990 को थानाध्यक्ष बिवांर श्री ईश्वर दीन के विरुद्ध 25 मामलों से आरोपित ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में कितने आरोप सही पाये गये और थाना-ध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता का ज्ञापन दिनांक 31-7-90 जिसमें थानाध्यक्ष बिवांर श्री ईश्वरदीन के विरुद्ध 25 मामले लगाये गये थे, पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ । आरोपों की जांच के दौरान थानाध्यक्ष श्री ईश्वरदीन को थानाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है । जांच अभी प्रचलित है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 2-2-90 को पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को श्री जफर अली कानपुर देहात के संबंध में प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

84–श्री राम स्वरुप वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2-2-90 को पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को भेजा गया श्री जफर अली उर्फ तारबाबू निवासी ग्राम बढ़ौली, थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात का कोई शिकायती पत्र उन्हें कत्ल के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 319/89 धारा 147/148/149/307/302, भा0 दं0 वि0 थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात पर पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना एस0 एस0 आई0, एस0 द्वारा की जा रही है ।

विद्युत खण्ड जनपद बांदा में सहायक पदों पर नियुक्ति की मांग

85–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि विद्युत खन्ड बांदा में इस समय सहायक के पदों की करीब ढाई सौ रिक्तियां हैं ? क्या इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय विद्युत श्रमिक संगठन शाखा बांदा ने नवम्बर, 89 से धरना दिया था ? यदि हां, तो इसमें अब तक कार्यवाही की गयी ? रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत खण्ड बांदा में सहायक नाम से कोई भी पद स्वीकृत नहीं है अतः उनके रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के श्री रतन सिंह आदि द्वारा पहाड़ की ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में दिनांक 20-12-89 को जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की मांग

86–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के अंतर्गत ग्राम मटौंध के रतन सिंह, योगेन्द्र सिंह, रामेश्वर सिंह, अमर सिंह, अरिमर्दन सिंह आदि ने दिनांक 20-12-89 को पहाड़ की ब्लास्टिंग सम्बन्धी जिलाधिकारी बांदा को कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री रतन सिंह आदि का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-12-89 पहाड़ की ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ है ।

आवश्यक जांच करा ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम दबेथुआ ब्लाक बड़ागांव जनपद वाराणसी स्थित लोगों के पम्पिंग सेट के कनेक्शनों की वस्तुस्थिति

87–श्री उदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव दबेथुआ ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में किन-किन लोगों के पास पंपिंग सेट का कनेक्शन कितने दिनों से है ? क्या दबेथुआ के किसी कालेज में भी 3 हार्स पावर का कनेक्शन दिया गया है ? क्या उन पर कोई धन बकाया भी है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? क्या यह सही है कि वहां पर कुछ लोगों को दिए गए फर्जी कनेक्शन हैं जिसको कागजात में दर्ज नहीं किया गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गांव दबेथुआ ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में निम्न लोगों के पास पंपिंग सेट के कनेक्शन उनके सामने अंकित तिथियों से चल रहे हैं :–

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	कनेक्शन की तिथि
1.	सर्वश्री श्यामचरण सिंह	30-3-79
2.	,, रामाशंकर शुक्ला	20-3-89
3.	श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी श्री प्रभूनारायन सिंह	24-3-85
4.	सर्वश्री रामानरायन सिंह	12-7-69
5.	श्रीमती ननकेसरा देवी	31-3-77
6.	सर्वश्री शिव श्याम सिंह	31-5-87
7.	देव प्रकाश शर्मा	3-6-87
8.	रामाधार पुत्र श्री मग्गू	4-3-89
9.	बेचन मौर्या	22-2-81
10.	लालजी सिंह और राम नारायन	23-7-88
11.	रामाधार वगैरह	24-5-80
12.	राम लखन यादव	31-3-80

गांव दबेथुआ के किसी भी कालेज में 3 हार्स पावर का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, अतः धन बकाया होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 17-9-85 को श्री जगदीश चन्द्र, निवासी पीलीभीत की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के संदर्भ में जांच एवं मुआवजे की मांग

88–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17-9-85 को श्री जगदीश चन्द्र पुत्र मन्दलाल मो0 97, कुंवरगढ़ जनपद पीलीभीत की अपसमरोड चौराहे पर कुछ आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी थी और यह मामला मु0 संख्या 313/85 धारा 302, 394 के तहत थाना मुनगढ़ी जनपद पीलीभीत में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, मामले में की गई जांच/विवेचना के दौरान अभियुक्त शीशा सिंह उर्फ बक्शीश सिंह निवासी पंजाब, मोना सरदार, पीपल सिंह पुत्र गुरूबचन सिंह निवासी दादोंपुर थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर का एच0 एस0 नं0 42बी0 एवं पाल सिंह पुत्र गुरूबचन सिंह निवासी बढ़ी वाला थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर का एच0 एस0 नं0 74ए0 प्रकाश में आए थे जिनकी गिरफ्तारी के पूर्व प्रयास किए गए परन्तु विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण पंजाब के आतंकवादियों में शामिल हो गये । अभियुक्त पीपल सिंह एवं पाल सिंह के विरुद्ध धारा 82/83 सी0 आर0 पी0 की कार्यवाही की गयी थी । परन्तु इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो सकी । अभियोग में अन्तिम आख्या न्यायालय में भेजकर विवेचना समाप्त की जा चुकी है ।

मृतक के पुत्रगण सर्वश्री सुरतेश कुमार सक्सेना एवं दिनेश सक्सेना को मुख्य मंत्री सहायता कोष से ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आबिद खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दौभिया, हरदोई के विरुद्ध सितम्बर, 89 से 30 जून, 90 तक पंजीकृत अभियोगों पर पुलिस कार्यवाही

89–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री आबिद खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दौभिया, फतेपुर, विकास खण्ड टण्डियावा, तहसील व जिला हरदोई के विरुद्ध सितम्बर, 89 से 30 जून, 90 तक थाना टण्डियावा (हरदोई) में कितने अपराध किन-किन धाराओं में दर्ज किए गए ? कितने अपराधों में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी तथा कितने अपराधों में अभी तक विवेचना चल रही है ? क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के ग्राम प्रधान के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आबिद खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दौभिया, फतेपुर विकास खण्ड टण्डियावा, तहसील व जिला हरदोई के विरुद्ध सितम्बर, 89 से 30 जून, 90 तक कोई अभियोग थाना टण्डियावा जनपद हरदोई पर पंजीकृत होना नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र) लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने व सेवा में नियमित करने की मांग

90–श्री मुन्शी लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र) उ0 प्र0, 2 सप्रू मार्ग, लखनऊ में कितने दैनिक वेतन भोगी नैत्यक लिपिक कब से कार्यरत हैं

और उनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ? निदेशालय में नैत्यिक लिपिकों के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उक्त जाति के दैनिक वेतन भोगी नैत्यिक लिपिकों को उक्त कोटों में न खपाए जाने का क्या कारण है ? और इन्हें कब तक नियमित सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

22 अभ्यर्थी लिपिकीय कार्य हेतु दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं । यह सभी अभ्यर्थी वर्ष 82 से 89 के मध्य समय-समय पर नियुक्त किए गए हैं । इनमें अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं है ।

जी नहीं । अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं है, अतः नैत्यिक लिपिक वर्ग में इन वर्गों के अभ्यर्थियों की आगामी वर्षों में आरक्षण के अनुसार नियमित नियुक्ति की जायेगी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की तालकटोरा स्थित कालोनी में श्रेणी एक व दो के आवासों में बाउण्ड्री वाल के निर्माण की मांग

91–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की तालकटोरा कालोनी में श्रेणी एक व दो के आवासों में बाउण्ड्री वाल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त कालोनियों की समस्याओं को देखते हुए वहां बाउण्ड्री वाल बनाना आवश्यक है ? यदि हां, तो संबंधित अभियंता से आगणन मंगाकर कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । विशिष्टियों के अनुसार इन श्रेणी के आवासों के आगे बाउण्ड्री वाल का निर्माण कराया जाना अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की तालकटोरा एवं मोती झील कालोनी के भवनों में व्याप्त सीलन को दूर करने हेतु, धन व्यवस्था की मांग

92–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कालोनी तालकटोरा एवं मोती झील के भवनों में सीलन सदैव बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सीलन दूर करने हेतु धन की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मंजूरी देकर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण सीलन हो जाती है ।

जी नहीं ।

आगणन प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के थाना जलालपुर में लापता बालक विनोद कुमार के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही

93–श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर थानान्तर्गत बड़ागांव निवासी 4 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र राम उजागर के दिन दहाड़े गायब हो जाने की रिपोर्ट अगस्त 88 में जलालपुर थाने में दर्ज हुयी है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त बालक का पता न लग पाने के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय से सितम्बर, 89 में उत्तर प्रदेश

के मुख्य सचिव तथा अक्टूबर 89 में जिलाधिकारी को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मामले में अगस्त, 88 में नहीं वरन नवम्बर, 88 में थाना जलालपुर में मु0अ0सं-219/88 धारा 363 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था । काफी प्रयासों के बावजूद 4 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र राम उजागिर, सा0 बड़ागांव थाना जलालपुर का पता नहीं चल सका ।

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के माध्यम से करायी गयी । अथक प्रयासों के बावजूद बालक का पता नहीं चला ।

भूतपूर्व सैनिक संगठन सीतापुर के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र पर संबंधित दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व सैनिक संगठन सीतापुर के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी सीतापुर को दिनांक 31 मार्च 1990 को दिया था जिसमें अवकाश पर आये एक सैनिक एवं उसकी पत्नी के साथ मिश्रिख थाना के सब इन्सपेक्टर श्री राम सहाय द्वारा अभद्रता किये जाने और उनकी जंजीर एवं रुपये निकाल लिये जाने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो संबंधित दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र की जांच परगनाधिकारी, मिश्रिख द्वारा की गई एवं साथ ही इस प्रकरण से संबंधित मामला मु0अ0सं0–109/90 अन्तर्गत धारा 332/504 भा0दं0वि0 थाना मिश्रिख में पंजीकृत किया गया । इस अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 16-3-90 न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा, पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रेषित श्रीमती रज्जो की दहेज हत्या विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

95–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गजोधर प्रसाद निवासी ददुआपुर थाना लहरपुर जिला सीतापुर का उनकी बहन रज्जो की दहेज के कारण हत्या कर दिए जाने के बारे में जानकारी देते हुये 2-4-90 को प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-4-90 को गजोधर प्रसाद पुत्र श्री फत्तू निवासी ददुआपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर का पत्र प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत घटना के संबंध में रपट संख्या–19 दिनांक 2-4-90 को थाना सकटन पर पंजीकृत किया गया । मृतिका का पंचायतनामा करके शव को विच्छेदन हेतु भेजा गया था । शव विच्छेदन से मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका । विसरा सुरक्षित किया गया है । दिनांक 8-6-90 को श्री गजोधर पुत्र फत्तू निवासी ददुआपुर निवारी थाना लहरपुर द्वारा न्यायालय में दाखिल किया हुआ एक शपथ पत्र प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 2-4-90 के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी थी गजोधर द्वारा स्वयं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया अतएव दिये गये शपथ पत्र के आधार पर कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर ग्राम भूपगोंटिया में हथगोला फटने से एक परिवार के घायल होने की रिपोर्ट पर, पुलिस कार्यवाही

96–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम भूपगोंटिया में दिनांक 1 जून, 90 को एक भयानक हथगोला के फटने के कारण एक परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह घायल हो गये थे ? यदि हां, तो उक्त घटना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-5-90 को दोपहर 12.30 बजे वादी श्री रामपाल सिंह पुत्र तारा सिंह ग्राम भूपगोंटिया मजरा कोटा थाना जैतीपुर ने थाना जैतीपुर पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि वादी से रंजिशवश उसके ही गांव के रतीराम, हेतराम, रघुवर तथा रामदास गड़रिया अपने-अपने हाथों में लाठियां लेकर वादी के मकान पर आकर गालियां दीं और जान से मारने की नियत से हथगोला फेंका जिससे उसके परिवार के पांच सदस्य घायल हो गये । इस सूचना के आधार पर उक्त थाने पर मु0अ0सं0 110/90 धारा 307/338/427/506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ । इस अभियोग में नामजद अभियुक्त रतीराम के विरुद्ध अपराध धारा 307/338/427/504 भा0द0वि0 एवं 3/5 वि0 प0 अधि0 का प्रमाणित हुआ और आरोप पत्र दि0 29-8-90 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा के वस्त्र विक्रेता की दुकान पर लूटपाट एवं चोरी की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

97–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के कस्बा मीरानपुर कटरा में दिनांक 3-5-90 को एक वस्त्र विक्रेता की दुकान पर दिन में ही लूटपाट की गयी तथा 15 हजार के सामान नकदी व जेवर लूट लिए गये, जिसकी रिपोर्ट थाना मीरानपुर कटरा में 3-5-90 को ही दर्ज है ? यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार सर्राफे के दुकान के स्वामी श्री महेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा दिनांक 3-5-90 को दुकान खोलते समय उनके द्वारा बाहर रखे थैले में से नकदी एवं जेवर चोरी किए जाने के संबंध में थाना कटरा पर प्रथम सूचना पंजीकृत कराई गई जिसके आधार पर मु0अ0सं0 107/90 धारा 379 भा0 द0 वि0 कायम किया गया । विवेचनोपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त की गिरफ्तार कर दिनांक 14-5-90 को जेल भेजा गया, तथा दिनांक 16-5-90 को आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया ।

98–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम दाउदनगर थाना गोसाईगंज के श्री राजकुमार के विरुद्ध दि0 19-6-90 को एस0 डी0 एम0 मोहनलालगंज द्वारा निर्गत आदेश का परिपालन

99–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला लखनऊ के ग्राम दाउदनगर, तहसील मोहनलालगंज, थाना गोसाईगंज के श्री राजकुमार पुत्र श्री पच्चू कुम्हार के विरुद्ध दिनांक 19-6-90 को एस0 डी0 एम0 (श्री श्रीनाथ श्रीवास्तव) ने थानाध्यक्ष को श्री हीरा सिंह की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने तथा निर्माण कार्य रोकने के संबंध में आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हीरा सिंह निवासी ग्राम दाउदनगर थाना गोसाईगंज लखनऊ ने स्वयं परगनाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ का निर्माण कार्य स्थगन आदेश एवं एक प्रार्थना पत्र छप्पर के काम को रुकवाने के लिए थाना गोसाईगंज पर दिया था जिस पर स्थानीय पुलिस ने ग्राम दाउदपुर जाकर राजकुमार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को रुकवा दिया । कब्जा हटाने अथवा आवेदक को कब्जा दिलाने से संबंधित कोई भी आदेश थाने पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव थानान्तर्गत उरूवा बाजार ग्राम बलुआ में पड़ी डकैती के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

100–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव, थाना अन्तर्गत उरूवा बाजार, ग्राम बलुआ में दिनांक 4-8-89 के रात्रि में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस संबंध में विवेचना से प्रकाश में आए 9 अभियुक्तों में से दो अभियुक्त विजय बहादुर सिंह व हरेन्द्र दुबे को जेल भेजा गया एवं शेष अभियुक्तों में पप्पू राय उर्फ अतुल कुमार विद्या दुबे, राम नगीना सिंह, राणा प्रताप विभिन्न तिथियों में अदालत में हाजिर हुए । अभियुक्त दुर्ग विजय को दिनांक 01/07/90 को गिरफ्तार किया गया । सभी अभियुक्तों की शिनाख्त कराई गयी जिसमें अभियुक्तगण विजय बहादुर सिंह, पप्पू राय उर्फ अतुल कुमार राय, हरेन्द्र उर्फ सुरेश एवं दुर्गविजय लेदार जिनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियुक्तगण विद्या दुबे, रनजीत सिंह, राम नगीना सिंह, राला प्रताप सिंह की पहचान न होने के कारण रिहा कर दिए गए । अभियुक्त परभंस की गिरफ्तारी शेष है ।

वाराणसी महानगर में विद्युत व्यवस्था को सुचारु व्यवस्था हेतु विचाराधीन योजना

101–श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गर्मी तथा बरसात के दिनों में वाराणसी महानगर में कब-कब और कितने समय के लिए बिजली आपूर्ति किन क्षेत्रों में ठप रही ? इसका कारण क्या है ? क्या यह सही है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिजली उत्पादन में कमी नहीं हुई ? यदि हां, तो बिजली आपूर्ति में व्यवधान के लिए जिम्मेदार ''वेसू'' के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या वाराणसी में विद्युत व्यवस्था को सुचारु करने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी महानगर की विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी के 9 अदद विद्युत उपकेन्द्रों के 31 अदद 11 के0वी0 प्रपोषकों द्वारा की जाती है । वर्ष 1989 के गर्मी एवं बरसात (अर्थात् अप्रैल से सितम्बर तक) में 11 के0 वी0 पोषकों पर औसत विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन 23.10 घण्टा रही जबकि वर्ष 1990 में उसी अवधि में औसत विद्युत आपूर्ति 22.55 घंटे प्रतिदिन रही । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 8 घण्टे से अधिक बन्द रही ।

(1) दिनांक 23-7-90 को 11 के0 वी0 ब्रिज इनक्लेव की विद्युत आपूर्ति 10.05 घंटे के लिए बन्द रही जिसका कारण ट्रांसफार्मर फाल्ट एवं तार का टूटना था ।

(2) दिनांक 28.7.90 को 11 के0 वी0 लंका फीडर 11.40 घंटे के लिए बन्द रहा है जिसका कारण 11 के0 वी0 पीन इन्सुलेटर का पंचर होना रहा है ।

(3) 24-7-90 को लगभग 24.00 घंटे बन्द रही जिसका कारण 160 के0 वी0 ए0 के एक ट्रांसफार्मर का जलना रहा । यह ट्रांसफार्मर सुन्दरपुर क्षेत्र का था ।

(4) दिनांक 15-7-90/16-7-90 को 11 के0 वी0 के टाउन हाल फीडर का चौक के पास केबुल बाक्स जलने के कारण विद्युत आपूर्ति लगभग 17.30 घंटा बन्द रही । प्रभावित क्षेत्र ठठेरी बाजार, रामघाट, सूत टोला, चौखम्भा एवं आस पास के क्षेत्र ।

(5) दिनांक 3-6-90 से 8-6-90 तक गढ़वाली टोला एवं नेपाली खपड़ा क्षेत्र में 250 के0वी0ए0 के एक ट्रांसफार्मर के जलने से तीन फेज आपूर्ति के स्थान पर एक फेज आपूर्ति की गयी ।

(6) दिनांक 1-8-90 को रामघाट एवं ठठेरी बाजार क्षेत्र में 11 के0 वी0 केबुल बाक्स के जलने से लगभग 12.30 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप्प रही ।

(7) दिनांक 13-7-90 को प्रातः 2.15 बजे गोदौलिया फीडर फाल्ट के कारण ट्रिप हुआ तथा फीडर के विभिन्न सेक्शन को काट कर 19.45 बजे सायंकाल चालू कर दिया गया केवल बांस-फाटक वाले क्षेत्र में 11 के0 वी0 केबिल में खराबी पता चली तथा इस क्षेत्र के 2 ट्रांसफार्मर 250 के0 वी0 ए0 व 400 के0 वी0 ए0 प्रभावित हुए । इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति हेतु सरस्वती फाटक 400 के0 वी0 ए0 डेढसी का पुल 400 के0 वी0 ए0 चितरंजन पार्क 400 के0 वी0 ए0 व फूल कटरा 400 के0 वी0 ए0 वाले ट्रांसफार्मरों से आंशिक विद्युत आपूर्ति दी गयी जिससे इस क्षेत्र में केवल पंखा बत्ती ही उपयोग में लाया जा सका परन्तु घुघरानी गली का अधिकांश क्षेत्र अंधकार में रहा ।

बांसफाटक क्षेत्र में जगह-जगह खोदकर केबिल का फाल्ट 13-7-90 की रात्रि में ही ढूंढ़ निकाला गया तथा उस समय भारी वर्षा हो रही थी । दिनांक 14-7-90 को दिन में केबिल की खुदाई जारी रही यद्यपि वर्षा हो रही थी व 14/15-7-90 की रात्रि व 15-7-90 को दिन में भी 2 नग केबिल बक्से (स्टेट थ्रो) भरे गए व गोदौलिया का यह भाग भी अपरान्ह 15-7-90 14.32 बजे चालू कर दिया गया ।

परन्तु कुछ देर बाद ही उक्त फीडर में मजदा के पास 11 के0 वी0 इन्सुलेटर व गोदौलिया में स्थित 630 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर के 11 के0 वी0 पेनल की सीटी जल जाने के कारण फीडर पुनः 14.35 बजे ट्रिप हो गया । इसी बीच गोदौलिया क्षेत्र में मजदा वाले सेक्शन को काटकर फीडर को 20.35 बजे चालू कर दिया गया । मजदा सेक्शन व गोदौलिया ट्रांसफार्मर की सीटी का फाल्ट दूर कर यह भी सेक्शन दिनांक 16-7-90 को 2.58 बजे चालू कर दिया गया । लगातार बरसात एवं बूंदाबांदी के कारण आपूर्ति को चालू करने में विलम्ब हुआ ।

इस प्रकार वर्ष गर्मी एवं बरसात में विद्युत आपूर्ति गत वर्ष के लगभग बराबर ही की गयी है । महानगर की वितरण प्रणाली बहुत पुरानी है जिसकी क्षमता में काफी ह्रास हुआ है जाकि कालान्तर में वितरण प्रणाली पर विद्युत भार में बहुत वृद्धि हुई है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुए हैं जो कि स्वाभाविक है जिसके लिए कोई कर्मचारी या अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ।

वाराणसी महानगर के विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से करने के लिए एक कार्य योजना शासन परिषद् से स्वीकृत हो चुकी है जिसके अन्तर्गत सुधार कार्य इस वर्ष से शुरू कर दिए गए हैं ।

वाराणसी महानगर के वर्णित थानों में जनवरी, 1990 में आपराधिक घटनाओं का विवरण एवं विफल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102–श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 90 से अब तक वाराणसी महानगर के दशाश्वमेध, चौक, कोतवाली, भेलूपुरा, चेतगंज, सिगरा तथा लक्सा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत हत्यायें, चोरी, डकैती, छिनैती, तथा अन्य प्रकार की क्रमवार कितनी आपराधिक घटनायें हुईं तथा इन घटनाओं में लिप्त कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में तथा संबंधित माल आदि को बरामद करने में क्रमानुसार थानों के पुलिस को सफलता मिली ? अपराधों पर काबू पाने में विफल थानों के अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी में जनवरी, 1990 से अक्टूबर, 1990 तक हत्यायें, चोरी, डकैती, छिनैती तथा अन्य प्रकार की घटनाओं का थानावार विवरण संलग्न है ।

घटनाओं में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या एवं बरामद किए गए माल (रु0 में) का थानावार विवरण संलग्न है ।

अपराधों पर काबू पाने के लिए संबंधित थानों द्वारा समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की गई है । पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं ।

(देखिए नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ. . . . . पर)

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा कस्बे के मोहल्ला पीरजादी गढ़ी का विद्युतीकरण न होने का कारण

103–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत पुरवा कस्बे के मोहल्ला पीरजादी गढ़ी का विद्युतीकरण शीघ्र करवाये जाने के संबंध में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव ने अपने पत्र संख्या (मंत्री पर्यावरण एवं वन) 15/89-3788/3569 दिनांक 7 सितम्बर, 89 द्वारा स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी, उन्नाव को दिया था ? यदि हां, तो विद्युतीकरण अब तक क्यों नहीं कराया गया ? विद्युतीकरण अब तक न किए जाने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस संबंध में जिलाधिकारी, उन्नाव के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत मोहल्ले के निवासियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने और 15 प्रतिशत प्रतिलाभ उपलब्ध न होने के कारण इसमें विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रदेश के जनपदों में सांसद/विधायकों हेतु गांवों में विद्युतीकरण के लिए निर्धारित कोटा

104–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के गांवों में विद्युतीकरण कराने हेतु क्षेत्रवार विधायकों का कोटा निर्धारित है ? इस निर्धारण में क्या विधान परिषद् सदस्य एवं सांसदों को भी कोटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसी प्रकार प्रदेश के अन्य किन-किन जनपदों में इस प्रकार का कोटा निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रदेश के किसी जनपद में इस प्रकार का कोटा निर्धारित नहीं है ।

प्रत्येक जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत विकास खण्डवार ग्रामों का चयन उपभोक्ता सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है जिसमें जनपद के माननीय सांसद एवं विधायक भी होते हैं । परन्तु किसी भी माननीय सांसद/विधायक का कोटा निर्धारित नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली के ग्राम बाँधीखुर्द की मालती द्वारा अपराधियों की, की गई शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

105–श्री दयाराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाँधीखुर्द, थाना कोतवाली मुहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी की मालती का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त कोतवाली के कोतवाल एवं अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराधों के बारे में डी0 आई0 जी0 पुलिस, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी, खीरी को दिनांक 26 मार्च, 1990 को और इसी संबंध में मालती के ससुर श्री अशर्फीलाल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-8-90 प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ माननीय मुख्य मंत्री और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती मालती देवी के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-5-90 व 28-5-90 प्राप्त हुए थे जिसके आधार पर रामेश्वर, रोशन लाल, अमरपाल पुत्रगण टुन्नी कन्जर तथा कटरू पुत्र बल्देव कन्जर, निवासीगण ग्राम बाँधी खुर्द, कोतवाली मोहम्मदी जनपद खीरी के विरुद्ध धारा 107/116(3) दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत मामला न्यायालय में दिनांक 29-11-90 को प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज पटवान गली निवासी श्री राम सिंह गौतम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटवाने हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

106–श्री दयाराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम सिंह गौतम, निवासी पटवान गली, कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद ने 10-6-90 को रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र अवैध अतिक्रमण हटवाने हेतु उनको दिया तथा प्रश्नकर्ता ने प्रार्थना-पत्र पर अपनी संस्तुति के साथ पत्र दिनांक 3-7-90 को उनको दिया है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने कब की ? क्या उक्त अतिक्रमण हटवाया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित मामले की जांच उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह द्वारा दिनांक 27-7-90 को तथा उप निरीक्षक श्री ओम वीर सिंह द्वारा दिनांक 23-10-90 को की गई । अवैध अतिक्रमण से संबंधित वाद न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण अतिक्रमण हटाया जाना उचित नहीं पाया गया ।

जनपद बांदा के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के थानों में टेलीफोन की व्यवस्था की मांग

107–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जनपद बांदा के सभी थानों में टेलीफोन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बांदा में कुल 26 पुलिस थाना हैं जिनमें से 11 थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था उपलब्ध है शेष 15 थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था एक्सचेन्ज न होने के कारण नहीं हो सकी है किन्तु सभी 26 थानों में वायरलेस की व्यवस्था उपलब्ध है ।

राज्य सम्पत्ति की विभिन्न कालोनियों में श्रेणी-2 की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

108–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि तालकटोरा, महानगर, बादशाहनगर राजकीय कालोनियों में श्रेणी दो के आवासों में मिरर, तौलिया राड, अलमारी आदि श्रेणी-2 की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी ? यदि नहीं, तो क्या फ्लैट रेन्ट व मकान किराए भत्ते की कटौती में उक्त कालोनी के अध्यासियों को छूट प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केवल बादशाहनगर राजकीय कालोनी के श्रेणी-2 के आवासों में अलमारी की सुविधा उपलब्ध है । शेष अन्य सुविधाएं प्रश्न में उल्लिखित किसी भी कालोनी में उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फ्लैट रेन्ट व मकान किराए भत्ते की कटौती में छूट प्रदान किए जाने का नियम में कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया के पुलिसकर्मियों द्वारा लल्लू व गंगा का इनकाउण्टर तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

109–श्री ऊदल तथा श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 20-6-90 को रोहनिया थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा गंगा व लल्लू का टोंडरपुर थाना रोहनियां, वाराणसी में डाकू बताकर इनकाउण्टर कर दिया गया है ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-7-90 को उक्त के संबंध में पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार मृतक गंगा कुर्मी एक शातिर अपराधी था उसने लगभग दो दर्जन हत्या, लूट व डकैती आदि जैसे जघन्य अपराध किए थे । वर्तमान में हत्या, डकैती तथा हत्या का प्रयास किए जाने आदि विषयक अपराधों के सन्दर्भ में 6 मामलों में वांछित था । मृतक का दूसरा साथी लल्लू कुर्मी भी हत्या व डकैती के दो अभियोगों में वांछित था । इन दोनों का इनकाउण्टर थाना रोहनियां, जनपद वाराणसी के पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-7-90 का माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

110–श्री कुंवर सर्वराज सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बरेली के विकास क्षेत्र परसा खेड़ा में फल मण्डी बनाये जाने का प्रस्ताव

111–कुंवर सर्वराज सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र परसा खेड़ा, जनपद बरेली में फल मण्डी बनाए जाने की योजना शासन द्वारा प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद उक्त स्थल पर अभी तक फल मण्डी का निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? मण्डी स्थल का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

भूमि के चयन एवं अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है । उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर फल एवं सब्जी मण्डी स्थल का निर्माण सम्भव होगा ।

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के विकास हेतु उद्योग लगाने की मांग

112–श्री बिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के विकास हेतु ग्राम हरिहरपुर में नये उद्योग लगाये जाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में लगभग रु0 6.00 लाख की लागत से एक मिनी औद्योगिक आस्थान का निर्माण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में उद्योग लगाने की मांग

113–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र उद्योग शून्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । भारत सरकार द्वारा देवरिया जनपद को उद्योग शून्य घोषित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के थाना बरहद के ग्राम पिछौरा के हरिजनों को मजदूरी न देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

114–श्री दयाराम भास्कर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-5-89 को ग्राम पिछौरा थाना बरहद, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों को मजदूरी की मांग के संबंध में कुछ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपराध सख्या 935/89 दर्ज है ? उक्त संबंध में 20-6-89 को एस0एस0पी0 आजमगढ़ 27-7-89, 9-8-89 जिलाधीश व एस0एस0पी0 को दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार वर्णित घटना के संबंध में मु0अ0सं0 935/89 नहीं बल्कि मु0 अ0 सं0-107/89 दर्ज है । प्रश्न में उल्लिखित तिथियों के प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि दिनांक 15-5-89 6-6-89, 20-6-89 तथा 20-9-89 के प्रार्थना-पत्र थाना बरहद पर प्राप्त हुए हैं जिसमें आवश्यक कार्यवाही की गई एवं उक्त मुकदमा के विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध, आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त उभय पक्षों के विरुद्ध 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही भी की गई है ।

जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर कुवार बजार जॉसिरी मुसहर की मृत्यु की जांच

115–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुवार बाजार थाना फूलपुर जिला वाराणसी में ता0 22 व 23 मार्च, 89 को जहरीली शराब पीने से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और दसियों बेहोश रहे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ता0 22 मार्च, 89 को सर्वप्रथम जॉसिरी मुसहर स्थान कुवार की मृत्यु हो गयी और उसकी लाश को बिना पोस्ट मार्टम कराये फूलपुर थाना वाराणसी की सहायता से ग्राम प्रधान कुवार ने साधारण मृत्यु दिखाकर टैक्सी नं0–यू0एस0एच0-150 से ले जाकर आखिरी संस्कार कर दिया और प्रमाण-पत्र भी दे दिया और पांच सौ रु0 जॉसिरी मुसहर कुवार

की स्त्री जहरी को परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी द्वारा जिलाधीश की ओर से दिलवा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और लाश को पोस्ट मार्टम न कराये जाने के अपराध में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 22/23 मार्च, 1989 को कुवार बाजार में जहरीली शराब पीने से 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 7 व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया था ।

जौसिरी मुसहर की मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु समझकर ग्राम प्रधान कुवार बाजार द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर बिना पोस्टमार्टम कराये उसके शव का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर कर दिया गया था । मृतक के परिवार वालों ने शव को ले जाने के लिए टैक्सी नं0 यू0एस0एच0-150 का प्रयोग किया था तथा जिलाधिकारी की ओर से 500/- की धनराशि मृतक की विधवा को दी गयी थी ।

मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

जिलाधिकारी वाराणसी को सी0पी0आई0 (एम) व सी0पी0आई0 द्वारा दिया गया ज्ञापन तथा घटना की जांच

116–श्री ऊदल–

क्या वह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-7-90 को जिलाधिकारी वाराणसी के यहां सी0पी0आई0 (एम) व सी0पी0आई0 द्वारा संयुक्त प्रदर्शन में 25 हजार हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन जिलाधीश को इस आशय का दिया गया कि गंगा व लल्लू को रोहनियां थाना जिला वाराणसी के एस0 ओ0 व एस0आई0 तथा पुलिस कर्मियों ने दिन में 20-6-90 को गांव टोंडरपुर में एक मुठभेड़ दिखाकर गोली से उड़ा दिया है और मांग की गयी है कि इनके ऊपर 302 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम करके इन लोगों को निलम्बित किया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश से करा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा प्रदर्शन में लगभग 8600 हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन दिया गया है ।

इस घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच प्रचलित है । प्रश्नगत घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा नहीं की जा रही है ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत पुनेरा गधेरा में लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मांग

117–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत पुनेरा गधेरा में लघु जल विद्युत परियोजना का सर्वेक्षण कुछ वर्ष पूर्व किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन इसके निर्माण पर विचार कर रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बदायूं के काश्तकारों के निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने की मांग

118–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जनपद में 1 जनवरी, 89 से 1 मई, 90 तक

कितने कास्तकारों ने निजी नलकूपों को विद्युत देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं एवं कितने कास्तकार उसकी लागत का पैसा जमा कर चुके हैं ? वर्ष 89 के ऐसे कितने कास्तकार हैं जिनका पैसा जमा हो गया है किन्तु उनके नलकूपों को लाइन नहीं दी गयी है और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बदायूं में 1 जनवरी, 1989 से 1 मई, 1990 तक 533 कास्तकारों ने निजी नलकूपों के विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिए हैं । इनमें से 286 कास्तकार विद्युत कनेक्शन की लागत हेतु पैसा भी जमा कर चुके हैं ।

वर्ष 1989 के ऐसे 250 कास्तकार हैं ।

संसाधनों की कमी के कारण अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं ।

कृषि निदेशालय लखनऊ में कार्यरत श्री मोती लाल लेखाकार को उत्पीड़ित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119–श्री दशरथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय, लखनऊ के एक लेखाकार श्री मोती लाल के उत्पीड़न संबंधी मामले में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को पारित आदेशानुसार शासन के कृषि विभाग द्वारा कतिपय निर्णय लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के फलस्वरूप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त यह पाया गया कि किसी अधिकारी द्वारा श्री मोतीलाल का उत्पीड़न नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में स्थित जल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग

120–श्री दशरथ सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19 मई, 90 को भानु प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थना-पत्र जल निगम गोण्डा के भ्रष्टाचार संबंधी पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक को दिया गया और उनके आदेश पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद इकाई को जांच दी गयी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या कोई रिपोर्ट आयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या शासन उक्त जांच पूरी करने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, ठेकेदार जल निगम, गोण्डा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) उ0 प्र0, लखनऊ को दिए गए शिकायती पत्र पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच की गयी । जांच से विदित हुआ कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जल निगम, गोण्डा के सहायक अभियन्ता श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल को श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, परिवाद कर्ता से उसके बिलों के भुगतान के प्रतिफल में दिनांक 11-5-89 को 1000 रुपए उत्कोच लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था । उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की फैजाबाद इकाई द्वारा विस्तृत अभिसूचनात्मक जांच पूरी कर ली गयी है । चूंकि इस जांच में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पदाधिकारी उ0 प्र0 जल निगम विभाग के उच्च पद पर कार्यरत हैं, जिनके विरुद्ध खुली जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन के क्षेत्राधिकार से बाहर है । अतः पत्र में उल्लिखित आरोपों की खुली जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायें जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद शाहजहांपुर में कु0 मंजू व कु0 संतोष के परिवारजनों को आर्थिक सहायता की मांग

121–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जून, 90 के आखिरी सप्ताह में शाहजहांपुर में दो कुंवारी कन्याओं कुमारी मन्जू व कुमारी सन्तोष द्वारा दहेज के अभाव में शादी न हो पाने के कारण आत्म हत्या किए जाने पर इनके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में दिनांक 29-6-90 को प्रश्नकर्ता का पत्र उनको मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित कु0 मन्जू व कु0 सन्तोष द्वारा आत्म हत्या किए जाने के संबंध में थाना रामचन्द्र मिशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27-6-90 में दर्ज हुई । इस संबंध में प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है । तत्पश्चात् मृतकाओं के परिवार को रु0 5000 की आर्थिक सहायता की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

जनपद आगरा में यमुना के किनारे स्थित ऐतिहासिक तीर्थस्थल बटेश्वर के विकास हेतु विचाराधीन योजना

122–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जनपद व यमुना किनारे पर स्थित ऐतिहासिक तीर्थ स्थल ''बटेश्वर'' के समुचित विकास, सौन्दर्यीकरण तथा उसके जर्जर घाटों के पुनः निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है व कितना धन स्वीकृत किया गया है ? उस पर कितना कार्य हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बटेश्वर के सांस्कृतिक एवं पर्यटन संबंधी महत्व को देखते हुए कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री सरदार सिंह–

आगरा जनपद स्थित ऐतिहासिक तीर्थ स्थल ''बटेश्वर'' के पर्यटन की दृष्टि से विकास का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है । बटेश्वर स्थित बटेश्वरनाथ मंदिर सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है । वित्तीय वर्ष 1990-91 में इसके अनुरक्षण कार्य हेतु रु0 19,600 की धनराशि व्यय की जायेगी । घाटों के पुनर्निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बटेश्वरनाथ मंदिर के अनुरक्षण हेतु रु0 19,600 स्वीकृत किया गया है । यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । इस स्थल के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा रु0 2,00,000.00 की योजना तथा 20 शैया के यात्री निवास के निर्माण की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में लेने के लिए शासन के विचाराधीन है ।

जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज के ग्राम पतलकी में गोवध पर हुई मारपीट तथा लगे प्रतिबन्ध को कड़ायी से लागू करने की मांग

123–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर के थाना लालगंज के ग्राम पतलकी में 18/19 जून 90 को गोवध को लेकर बहुत मारपीट हुयी है ? यदि हां, तो सरकार ने तत्काल इसके विषय में क्या कार्यवाही की ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गोवध पर लगी पाबन्दी को कड़ाई से नहीं रोका जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और गोवध करने वालों को सजा नहीं दी जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार इस घटना के दौरान मौके पर आपस में कोई मारपीट नहीं हुयी है ।

दिनांक 18 जून, 1990 को प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंकित कराए जाने के उपरान्त प्रश्नगत

मामले में गांवध निवारण अधिनियम की धारा 3/8 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 429 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 162/90 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1990 को न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

गांवध पर लगी पाबन्दी का अनुपालन व्ड़ाई से सुनिश्चित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति

124–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों के स्थानान्तरणों के विषय में कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा मई, 1988 में जो नीति सुनिश्चित की गयी है क्या वह पुलिस विभाग पर लागू होती है ? क्या वर्ष 88 से 90 तक पुलिस में इस नीति को नजरअन्दाज किया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त नीति में गृह स्थान शब्द का अर्थ क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा फरवरी, 1988 में, न कि मई, 88 में वार्षिक स्थानान्तरण विषय पर वर्ष 1988-89 के लिए नीति निर्धारित की गयी थी । उक्त स्थानान्तरण नीति पुलिस विभाग के समूह ''ग'' के कार्यकारी दल के अधिकारियों/कर्मचारियों पर नहीं लागू होती अपितु मिनिस्टीरियल पुलिस, नान पुलिस कर्मियों एवं समूह ''घ'' के कार्मियों पर लागू होती है ।

जी नहीं ।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 3 जून, 1988 न कि मई, 88 के शासनादेश के अनुसार गृह स्थान का आशय स्पष्ट किया गया है । गृह स्थान का आशय गृह जनपद न होकर संबंधित कर्मचारी जिस नगर (नगर पालिका या नगर महापालिका परिक्षेत्र), टाउन एरिया, कस्बा, नोटिफाइड एरिया, ग्राम सभा अथवा ग्राम्य आबादी को किसी इकाई जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टी में रहता है, से है ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड महमदाबाद के ग्राम डामनपुरा के श्री जनार्दन प्रजापति की मृत्यु की जांच तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मांग

125–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ग्राम डामनपुरा विकास खण्ड मुहमदाबाद में दिनांक 22-2-87 को जनार्दन प्रजापति की मृत्यु विद्युत कर्मियों की लापरवाही के कारण हो गयी थी ? क्या उक्त घटना की जांच विभाग द्वारा की गयी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी मृतक की विधवा को क्षतिपूर्ति दिये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री जनार्दन प्रजापति जब शौच के बाद खड़े हुए तो उनका हाथ लकड़ी के पोल के स्टेवायर के सम्पर्क में आ गया जिससे वे विद्युत का झटका खाकर वहीं गिर पड़े । उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा हेतु भिजवाया गया जहां पहुंचने पर उनकी मृत्यु हो गयी ।

जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा की गयी है । सहायक विद्युत निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विद्युत लाइन की त्रुटियों को दूर कर दिया गया है और मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति करने की कार्यवाही की जा रही है ।

मृतक के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु क्षेत्रीय समिति की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिये मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को निर्देशित किया जा चुका है । संस्तुति प्राप्त होते ही अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी जायेगी ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के थाना कालीपुर के ग्राम उसमापुर के निवासी श्री शिव शंकर यादव पुत्र श्री अलगू यादव, श्री मनीराम यादव पुत्र श्री राम अजोर यादव, श्री उमा शंकर पुत्र श्री राम सुभग यादव के घर पर पड़ी डकैती के संबंध में स्थानीय विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

126–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवशंकर यादव पुत्र अलगू यादव, श्री मनीराम यादव पुत्र श्री राम अजोर यादव, श्री उमाशंकर पुत्र राम सुभग यादव आदि निवासी ग्राम उसमापुर थाना कालीपुर तहसील जलालपुर जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र 8-10-89 को घरों में पड़ी डकैती के संबंध में मुख्य मंत्री तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थानीय विधायक ने भी जिला फैजाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक 2-9-89 को कोई पत्र इसी ग्राम में पड़ी डकैती के संबंध में लिखा था ? यदि हां, तो संबंधित पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

स्थानीय विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर के संदर्भित पत्र को सी0 आई0 डी0 विवेचक को उपलब्ध करा दिया गया है । सम्प्रति अपराध अनुसन्धान विभाग की विवेचना प्रचलित है ।

जनपद फैजाबाद के थाना अकबरपुर के कस्बा शहजादपुर के सुफेल अहमद की बीबी श्रीमती शबनम की हत्या की जांच एवं लायक अहमद की जन्म तिथि में हेरा फेरी

127–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुफेल अहमद की बीबी श्रीमती शबनम की कस्बा शहजादपुर थाना अकबरपुर जिला फैजाबाद की हत्या के संबंध में सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 द्वारा की गयी जांच संख्या सी0 बी0 707/89 जो दिनांक 3-11-89 को बाद जांच विभाग को दाखिल की गयी है, में लायक अहमद की आयु मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त करने तथा अकबरपुर नगरपालिका जन्म रजिस्टर में लायक अहमद की जन्म तिथि में हेरा फेरी तथा आदर्श मान्टेसरी स्कूल शहजादपुर की छात्र पंजिका में लायक अहमद की जन्म तिथि में ओवरराइटिंग के संबंध में स्थानीय पुलिस को जांच करने के आदेश सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट में दिए थे ? यदि हां, तो इस पर स्थानीय पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा कराई गई । जांच से नगरपालिका के जन्म रजिस्टर तथा आदर्श मान्टेसरी स्कूल शहजादपुर की छात्र पंजिका में कोई कटिंग/ओवर राइटिंग नहीं पाई । डाक्टरी परीक्षण में लायक अहमद की आयु 8 वर्ष बताई गई । डाक्टरी परीक्षण एवं अभिलेखों में लायक अहमद की आयु में कुछ अन्तर अवश्य पाया गया जिसके संबंध में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने अपराध पंजीकृत करने का परामर्श नहीं दिया । अतः कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई ।

फर्रुखाबाद की तहसील सदर के परगना परमनगर में आवारा पशुओं से होने वाली हानियों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग

128–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित तारां0 प्रश्न संख्या–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवारा पशुओं से प्रति वर्ष कृषि

उपज की पैंतीस लाख छत्तीस हजार की हानि को देखते हुए जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए जायेंगे कि वे इन आवारा पशुओं को पकड़वाकर कांजी हाउस में बन्द कराने के लिए शासन स्तर पर अभियान चलवायें तथा ऐसे पशु चालकों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करायें ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब से प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

छुट्टा पशुओं से फसल की हानि को बचाने के लिए जिला परिषद् द्वारा परगना परमनगर के ग्रामों में कांजी हाउस खुलवा करके छुट्टा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है । क्षेत्रीय थानाध्यक्ष, कमालगंज को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे पशुओं के मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कांजी हाउस में जो छुट्टा पशु बन्द किए जाते हैं उनको कोई जबरदस्ती न छुड़ा ले जाय ।

जनपद वाराणसी के केन्द्रीय बीज भण्डार की शिकायत की जांच

129–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में जनपद वाराणसी के केन्द्रीय बीज भण्डार पर चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत अनुदान पर कृषि निवेशों के विवरण की शिकायत की जांच डा0 धर्म सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रसार) कृषि भवन द्वारा की गयी थी ? क्या उक्त जांच आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मालिनपुर पर कार्यरत प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री राम नगीन लाल की पुनः नियुक्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही

130–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र मालिनपुर जनपद बाराबंकी पर कार्यरत प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री राम नगीना लाल का स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार प्रक्षेत्र को घाटे पर देने के कारण किया गया था ? क्या श्री लाल स्थानान्तरण होने के उपरान्त बिना चार्ज दिए दस माह फरार रहे और पुनः उसी प्रक्षेत्र पर उनको प्रक्षेत्र अधीक्षक बना दिया गया ? यदि हां, तो श्री लाल की पुनः नियुक्ति का क्या औचित्य है ? क्या सरकार श्री लाल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री शंकर सिंह–

पूरे मामले की छानबीन की जा रही है । छानबीन के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा डिडोहा के समस्त पुरवों का विद्युतीकरण

131–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1990-91 में विकास खण्ड सदर, बस्ती के किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना प्रस्तावित है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा डिडोहा के समस्त पुरवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1990-91 में विकास खण्ड सदर, बस्ती के ग्राम हथिरजा (कोड सं0 748) तथा ग्राम ताडाजोत (कोड सं0 817) का विद्युतीकरण प्रस्तावित है ।

ग्राम सभा डिडोहा (कोड संख्या-464) के सभी पुरवों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल में पोस्ट मार्टम किए गए शवों की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग

132–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16 व 17 अप्रैल, 1990 को बस्ती जनपद में प्रतिदिन जिला अस्पताल द्वारा कितने-कितने शवों का पोस्ट मार्टम किया गया ? उन शवों की शिनाख्त का पूर्ण विवरण तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ? क्या इन तिथियों में किए गए पोस्ट मार्टमों की रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 16-4-90 को जनपद बस्ती के जिला अस्पताल में कुल 7 शवों का पोस्ट मार्टम किया गया एवं दिनांक 17-4-90 को किसी भी शव का पोस्ट मार्टम नहीं किया गया ।

शवों की शिनाख्त का विवरण पंचनामें एवं परिवार के सदस्यों के अनुसार निम्नवत् है :–

1–सुभाष पुत्र भादेव, आयु-14 वर्ष, ग्राम तिवारीपुर, थाना-वाल्टरगंज, बस्ती ।

2–अर्जुन पुत्र त्रिवेनी, आयु-35 वर्ष, ग्राम-रायपुर, थाना हर्रैया, बस्ती ।

3–सुधाकर पाण्डेय पुत्र राजेश्वर पाण्डेय, आयु-30 वर्ष, ग्राम-बभनी, थाना कोतवाली, जनपद बस्ती ।

4–बच्चू लाल पुत्र सीताराम, आयु-35 वर्ष, ग्राम कटरा, थाना परशुरामपुर, बस्ती ।

5–गोकरन पुत्र राम लोचन, आयु-35 वर्ष, ग्राम-कटरा, थाना-कोतवाली, बस्ती ।

6–परशुराम पुत्र शिवमूरत, आयु-25 वर्ष, ग्राम बारोघाट, थाना लाल गंज, जनपद बस्ती ।

7–दिनेश कुमार पुत्र रघुबीर, आयु-17 वर्ष, ग्राम छिपरा, थाना तेतरी, जनपद सिद्धार्थनगर ।

दिनांक 16-4-90 को जिन 7 मृतकों के शवों का पोस्ट मार्टम किया गया उनमें से क्रमांक 1 से 6 तक के व्यक्तियों की मृत्यु का कारण डाक्टर द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका है । क्रमांक 7 के मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम चोटें होना बताया गया है । इस मृतक से संबंधित अपराधिक घटना जनपद सिद्धार्थनगर से संबंधित है ।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर में औद्योगिक शोध सेन्टर की स्थापना

133–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद की कोटद्वार भावर में औद्योगिक शोध सेन्टर की स्थापना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो औद्योगिक शोध सेन्टर कब से कार्यारम्भ करने लगेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारत सरकार की शोध सेन्टर्स योजना के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल जिले के शिवराजपुर-पदमपुर क्षेत्र में एक शोध सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था । भारत सरकार को परियोजना रिपोर्ट भेजी जानी है । उसके स्वीकृत होने तथा उनके द्वारा धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर ही कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र अमेठी के विकास क्षेत्र मुख्यालय भेटुवा (नौगिरवा) भादर संग्रामपुर में विद्युत उपकेन्द्र लगाने की मांग

134–श्री हरिचरण यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा अमेठी जनपद सुल्तानपुर में विकास क्षेत्र मुख्यालय भेटवा (नौगिरवा) भादर संग्रामपुर में 33 के0 वी0 पावर हाउस विद्युत उपकेन्द्र कायम करने हेतु पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश दिया था ? यदि हां, तो प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र को निर्मित करने व चलाने हेतु कितनी धनराशि अलग-अलग आवंटित की गयी थी ? उसमें से कितना धन खर्च हो चुका है ? क्या विद्युत उपकेन्द्र बनकर तैयार हो चुके हैं ? यदि हां, तो वहां अभी तक विद्युत संयत्र लगाकर चालू न किये जाने का क्या कारण है ? यह कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भेटुवा उपकेन्द्र के लिए रु0 28 लाख आवंटित हुआ था और लगभग रु0 25 लाख खर्च हुआ है । भादर एवं संग्रामपुर उपकेन्द्रों एवं संबंधित लाइनों के निर्माण हेतु लगभग रु0 90 लाख आवंटित किया गया है और इसके निर्माण पर अब तक लगभग रु0 35 लाख व्यय हो चुका है ।

भेटआ उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण 6-3-90 को हो चुका है । भादर एवं संग्रामपुर दोनों उपकेन्द्रों की लाइनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है । दोनों उपकेन्द्रों पर कन्ट्रोलरूम एवं आवास बन चुके हैं और स्ट्रक्चर तथा फेंसिंग लगा दिए गए हैं । अभी तक ट्रांसफार्मर, स्वीचगियर लाइटनिंग अरेस्टर तथा आइसोलेटर उपलब्ध न होने के कारण उपकेन्द्र चालू नहीं किये जा सके हैं ।

कार्य का पूर्ण होना सामान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विधान सभा क्षेत्र अमेठी विकास क्षेत्र भादर, संग्रामपुर, भेटुआ, अमेठी में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने की मांग

135–श्री हरिचरण यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमेठी विकास क्षेत्र भादर, संग्रामपुर, भेटुवा, अमेठी में ग्रामीण विद्युतीकरण में कितने गांवों में कितने खम्भे गड़ चुके हैं तथा उन पर कितना व्यय हुआ है ? क्या वर्ष 1990-91 में इन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र अमेठी के विकास क्षेत्र भादर, संग्रामपुर, भेटवा व अमेठी के सभी राजस्व ग्राम पहले ही एल0 टी0 मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं । परन्तु इन विकास खण्डों के पुरवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है । वर्ष 1989-90 में 305 पुरवों का विद्युतीकरण किया गया था तथा 173 पुरवों में विद्युतीकरण हेतु कुल 2837 खम्भे गाड़े गए थे जिन पर लगभग रु0 7,37,620 व्यय हुआ ।

संसाधनो की कमी के कारण वर्ष 1990-91 में उक्त पुरवों के विद्युतीकरण का कोई कार्य सम्भव नहीं हो सका है ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास क्षेत्र अमेठी, भेटुवा तथा बरतली के ग्राम पिन्डोरिया में स्थापित ट्रांसफार्मरों को ठीक करने की मांग

136–श्री हरिचरण यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिन्डोरिया विकास क्षेत्र भटवा तथा मौनहा बरतली विकास क्षेत्र अमेठी सुल्तानपुर के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम पिन्डोरिया का 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर माह मार्च, 1990 में खराब हुआ था और उसी माह बदल दिया गया था। ग्राम में विद्युत व्यवस्था जारी है।

ग्राम नैनहा बरतली का 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर वर्ष 1980 में ग्राम के विद्युतीकरण के पश्चात जल गया था। इस ग्राम में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अतः ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही नहीं की गयी। ग्राम में कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र आने और औपचारिकताएं पूर्ण होने पर क्षति-ग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदल दिया जायेगा।

137–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ खण्ड द्वितीय शारदा नहर लखनऊ के षष्टम उपखण्ड में कार्यरत अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शत्रुहन प्रसाद को उत्पीड़ित किए जाने की शिकायत

138–श्री सुन्दर लाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड द्वितीय शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत षष्टम उपखण्ड में कार्यरत अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शत्रुहन प्रसाद को सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 22-5-90 को मारा पीटा गया और उसके साथ छुआछूत का भेदभाव करके नल से पानी लेना बन्द करवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट तार संख्या 557/दिनांक 22-5-90 द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को दी गयी है ? यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शत्रुहन प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का टेलीग्राम संख्या-557 प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता ने सहायक अभियन्ता श्री राय एवं कुछ पुलिस वर्दीधारी लोगों के विरुद्ध कलाई घड़ी, स्टोर की चाबी एवं नकदी छीनने तथा मारपीट करने की शिकायत की थी न कि छुआछूत और भेदभाव के संबंध में।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जांच से टेलीग्राम में लगाए गए आरोप सही पाए गए बल्कि मामला विभागीय पाया गया एवं इसमें किसी पुलिस कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

उ0 प्र0 के सार्वजनिक उपक्रमों में पदोन्नति पर उठाए गए प्रतिबन्ध को लागू करने की मांग

139–श्री अमरनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्मिक अनुभाग–2 से निर्गत शासनादेश संख्या 20/24/1989, कार्मिक-2, दिनांक 7-2-90 द्वारा पदोन्नति पर उठाए गए प्रतिबन्ध को उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में लागू किए जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उत्तर प्रदेश शासन/निदेशालय (दोनों अथवा दोनों में से कोई एक) द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाना वांछनीय तथा अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या ब्यूरो/निदेशालय में आदेश जारी कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या मुख्य मंत्री जी के टेलेक्स संख्या 0/6454/सी0एम0-2-89, दिनांक 27-12-89 का अनुपालन सुनिश्चित न करने के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या 20/24/1989-कार्मिक-2, दिनांक 7 फरवरी, 1990 राज्याधीन सेवाओं में भर्ती पर लागू होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में ओवरस्टाफिंग को देखते हुए

शासनादेश संख्या-1184/44-2-14/च0स0/1987, दिनांक 30-11-87 द्वारा पूर्व से ही इन उपक्रमों में कार्मिकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इसे विशेष परिस्थितियों में ही शिथिल किया जा सकता है । यह टेलेक्स शासकीय कार्यालयों पर ही लागू था । इसमें लगाए गए भर्ती पर प्रतिबन्ध को शासनादेश संख्या 20/24/1989-कार्मिक-2, दिनांक 24 सितम्बर, 1990 द्वारा हटा लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 उदय प्रताप सिंह के पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह को नौकरी देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

140–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह के पुत्र अनिल कुमार सिंह जो मृतक आश्रित हैं, को नौकरी देने हेतु उनके पत्रांक सी0 एम0 (वि0को0)एम-1-व/33-109/90, द्वारा कृषि निदेशक को लिखे गए पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

श्री अनिल कुमार सिंह के बारे में कोई पत्र नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य कताई मिलों एवं मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी के पत्र पर कृत कार्यवाही

141–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या उद्योग मंत्री को श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जिला अध्यक्ष, उ0 प्र0 कांग्रेस आई श्रम प्रकोष्ठ का दिनांक 16-12-1989 का कोई पत्र जो उ0 प्र0 राज्य कताई मिलों एवं मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

142–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

[2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर कताई मिल के प्रबन्ध निदेशक तथा मजदूर यूनियन के साथ हुए समझौते को रद्द किया जाना

143–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर कताई मिल में दिनांक 19 मई, 1990 को कोई समझौता प्रबन्ध निदेशक का उक्त मिल की मजदूर यूनियन के साथ हुआ था जिसका तजकिरा उद्योग मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य माह जून, 1990 में सदन के पटल पर श्री रामलखन वर्मा विधायक के काम रोको प्रस्ताव पर दिए गए वक्तव्य में भी किया है, पर जिला प्रशासन के किन-किन अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं ? उक्त समझौते को सदन के पटल पर रखने की कृपा करते हुए मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त समझौता किसके आदेश से रद्द किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तथाकथित समझौते पर जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के हस्ताक्षर हैं । समझौते की मूल प्रति श्रमिक अपने साथ

ले गये थे, एवं उसकी कोई अन्य प्रति नहीं बनायी गयी थी । अतः उक्त समझौते को सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है । चूंकि उक्त समझौते पर जबरन प्रबन्ध-निदेशक के हस्ताक्षर कराये गये थे, अतः वह समझौता/सहमति पत्र अवैधानिक था । समस्त घटना का आंकलन करने के पश्चात् कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी बैठक में तथाकथित समझौते को अस्वीकार कर दिया ।

144–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध अंकित रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

145–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध नगरपालिका अकबरपुर के प्रधान लिपिक द्वारा कोई रिपोर्ट माह अगस्त, 1990 में थाना कोतवाली में लिखायी है ? यदि हां, तो किस धारा में तथा क्या-क्या आरोप हैं ? संबंधित रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री बादशाह हुसैन, प्रधान लिपिक, नगरपालिका, अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा अगस्त, 90 में नहीं वरन् दिनांक 31-7-90 को श्री लालजी तिवारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अकबरपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0-407/90 धारा 409 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया । प्राथमिकी में पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यालय को आवश्यक पत्रावलियां एवं सामान रख लिये जाने के आरोप लगाये गये थे ।

अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग में कार्यरत इंजीनियरों को परिषद् का सदस्य बनाये जाने की मांग

146–डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के गठन के पश्चात् सन् 1970 तक सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता जो सिविल इंजीनियर होते थे, परिषद् के सदस्य रहे हैं ? यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग को इस तरह के कार्यरत वरिष्ठ सिविल इंजीनियर को सदस्यता से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या वरिष्ठता के आधार पर विद्युत विभाग में कार्यरत इंजीनियरों को परिषद् का सदस्य बनाया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के गठन के पश्चात सिंचाई विभाग के एक प्रमुख अभियन्ता दिनांक 1-8-61 से 30-9-67 तक परिषद् में पदेन सदस्य तथा एक अन्य मुख्य अभियन्ता दिनांक 26-11-67 से 27-3-69 तक सदस्य एवं अध्यक्ष पद पर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (अध्यक्ष के अधिकार और सेवा शर्तें) नियमावली, 1967 के नियम 16 के साथ पठित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई एक्ट) 1948 की धारा-5 के अन्तर्गत शासन को किसी भी व्यक्ति को राज्य विद्युत परिषद् में सदस्य/अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने का अधिकार है । ये पद सेवा संवर्गीय पद नहीं हैं और प्रोन्नति के पद भी नहीं हैं । इन पदों पर नियुक्ति शासन के विवेक व नियम पर निर्भर करती है । अतः इसमें किसी को न तो वंचित किए जाने का प्रश्न उठता है और न वरिष्ठता के आधार पर ही सदस्य बनाए जाने का ।

जनपद बांदा के थाना बिसन्डा के ग्राम कौरी के भू0 पू0 प्रधान श्री बिनइया की मृत्यु की मांग

147—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना बिसन्डा में ग्राम कौरी में दिनांक 4-7-89 को श्री बिनइयां पुत्र श्री हीरालाल भू0 पू0 ग्राम प्रधान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी ? क्या मृतक की लाश का पोस्ट मार्टम कराया गया ? यदि हां, तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष बिसन्डा ने बिना पंचनामा व पोस्ट मार्टम कराए उक्त लाश को जलवा दिया ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच जनपद के बाहर के किसी उच्च पुलिस अधिकारी से कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बिजइया के पेट में दर्द से आकस्मिक मृत्यु हो गयी थी जिसका अन्तिम संस्कार गांव में कर दिया गया । इस संबंध में थाना बिसण्डा पर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न होने के फलस्वरूप पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया । अतः जनपद के बाहर की पुलिस से जांच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् उ0 प्र0 के अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर हुए टी0 ए0, डी0 ए0 में व्यय की जांच

148—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश में 450 अधिशासी अभियन्ताओं के ट्रांसफर किए गए हैं ? क्या यह सही है कि कुछ को 8—10 माह में कुछ को 1 वर्ष में, कुछ को एक लगायत तीन वर्षों में स्थानान्तरित किया गया है ? उक्त स्थानान्तरण में टी0 ए0, डी0 ए0 में कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राज्य विद्युत परिषद् में स्थानान्तरण सत्र 1990 में कुल 338 अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किए गए हैं । ये स्थानान्तरण निर्धारित स्थानान्तरण नीति के आधार पर ही किए गए हैं ।

परिषद् मुख्यालय/विभिन्न कार्यालयों में टी0 ए0/डी0 ए0 पर किए गए व्यय का मासिक ब्यौरा संकलित रूप में रखा जाता है जिसमें स्थानान्तरण तथा अन्य प्रयोजनों हेतु, सभी श्रेणी के सेवकों द्वारा, की गयी यात्राओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होता है । अतएव केवल अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण में टी0 ए0/डी0 ए0 पर हुए व्यय का विवरण अलग से देना सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी में स्थित विद्युत स्टेशन नेवादा मंगारी ब्लाक पिंडरा की विद्युत सप्लाई ठीक करने की मांग

149—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन नेवादा मंगारी ब्लाक पिंडरा, वाराणसी की विद्युत सप्लाई 15 मई से 20 जून, 1990 तक बाधित रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि 9 जून से 16 जून, 90 तक पावर सप्लाई सिर्फ एक घंटे से दो घंटे कर दी गयी थी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर नेवादा सब विद्युत स्टेशन को ठीक करने तथा मंगारी बाजार के खराब पड़े तारों को बदलने एवं विद्युत सप्लाई को ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विद्युत उपकेन्द्र नेवादा मंगारी की विद्युत आपूर्ति प्रश्नगत अवधि में केवल 17 व 18 मई को कुछ अवधि के लिए बाधित रही ।

विद्युत आपूर्ति में बाधा का मूल कारण 132 के0वी0 सारनाथ उपकेन्द्र से 33 के0वी0 मेन सप्लाई का आकस्मिक कटौती के कारण बन्द होना रहा है ।

जी नहीं ।

नेवादा उपकेन्द्र में ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे आपूर्ति में बाधा पड़ती हो । कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए तारों को बदल कर विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के थाना नेवढ़िया की श्रीमती सुगिया पत्नी श्री मुन्नी लाल दर्ज रिपोर्ट की जांच

150–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुगिया पत्नी मुन्नी लाल गांव हाड़ी, थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर ने ता0 19-4-90 व 20-4-90 को लिखित रिपोर्ट एस0 ओ0 नेवढ़िया, जौनपुर को धमकाने, मारने तथा गेहूं फूंक देने के संबंध में दी थी ? क्या यह सही है कि थाना में उक्त रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और एस0 पी0 जौनपुर के आदेश से ता0 11-5-90 को रिपोर्ट थाने में लिखी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती सुगिया पत्नी मुन्नी लाल, ग्राम हाड़ी थाना नेवढ़िया द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं 20 अप्रैल, 1990 को थाना नेवढ़िया पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था ।

चूंकि दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं 20 अप्रैल, 1990 को श्रीमती सुगिया द्वारा थाना नेवढ़िया पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था, अतः रिपोर्ट लिखे जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह सही है कि एस0पी0, जौनपुर के आदेश से दिनांक 11, मई, 1990 को थाना नेवढ़िया पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 435/323/506 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 117/90 पंजीकृत किया गया ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र मिश्रिख में स्थित किसान सेवा सहकारी समिति में धोखा धड़ी के संबंध में कृत कार्यवाही

151–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी अधिकारी किसान सेवा सहकारी समिति, कुतुबनगर, सीतापुर का एक पत्र थाना पिसावा क्षेत्र मिश्रिख, सीतापुर के क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उक्त समिति में धोखा धड़ी कर सरकारी धन का गोलमाल करने से संबंधित तथ्यों को उजागर कर तथा चेक सं0–227571 द्वारा फर्जी चेक बनाकर छंगा पुत्र कढ़िले को खाद देना दिखाकर धन को हड़प लेने से संबंधित दिनांक 20-10-88 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार किसान सेवा सहकारी समिति कुतुबनगर, सीतापुर के सहकारी धन का धोखाधड़ी कर गोलमाल करने से संबंधित पत्र दिनांक 20-10-88 थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी थाना पिसावां क्षेत्र मिश्रिख, सीतापुर को संबोधित अवश्य था किन्तु उक्त पत्र तकनीकी अधिकारी श्री लालजी द्वारा उन्हें न देकर अपने विभागाध्यक्ष को दिया गया था अतएव क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । इस आशय की लिखित तहरीर भी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी है । मामले में विभागीय जांच विचाराधीन है ।

श्री शान्ती सवरूप शर्मा पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ प्रताप शर्मा, निवासी कुतुबनगर, थाना पिसांवा के पेड़ों के कटान संबंधी शिकायत पर कार्यवाही

152–श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शान्ती स्वरूप शर्मा पुत्र स्व0 बैजनाथ प्रसाद शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी कुतुबनगर, थाना पिसांवा के लगभग 5000 (पांच हजार रुपये) धनराशि के पेड़ उक्त ग्राम के निवासी श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री जंग बहादुर द्वारा जबरदस्ती कटवा लिए जाने की शिकायत उनके आवेदन-पत्रों द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दिनांक 25-7-89, 9-9-89, 12-9-89 एवं 17-9-89 को प्रेषित किये जाने के बाद भी अभी तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार आवेदक श्री शान्ती स्वरूप शर्मा के तीन पत्र दिनांक 26-7-89, 27-9-89 एवं 18-11-89 को प्राप्त हुए । प्रथम पत्र की जांच से पाया गया कि आवेदक तथा विपक्षी श्री भानु प्रताप सिंह की जमीनें आसपास स्थित हैं जिसमें यूकिलिप्टस के लगे पेड़ों को दोनों पक्ष अपने-अपने बता रहे थे । परगनाधिकारी के आदेशानुसार उक्त भूमि की पैमाइश की गयी और विवादित पेड़ विपक्षी श्री भानु प्रताप सिंह की जमीन पर लगे पाये गये जिन्हें पैमाइश के उपरान्त विपक्षी ने निजी कार्य हेतु कटवा लिये ।

द्वितीय पत्र की पुनः जांच की गई जिसमें उक्त पेड़ विपक्षी के ही पाये गये ।

तृतीय पत्र दिनांक 18-11-89 को आवेदक ने स्वयं उपस्थित होकर दिया जिसमें सीताराम, राजकुमार, देवेन्द्र व भूपेन्द्र सिंह द्वारा आवेदक को मारने-पीटने तथा रु0 2000/- व पोलिंग का बक्सा छीनना, अंकित था, के संबंध में थाना पिसांवा पर मु0अ0सं0-208/89 धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी विवेचना से उक्त घटना का होना नहीं पाया गया । अतः विवेचना जुर्म खारिज करते हुए अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 20-11-89 द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके अतिरिक्त श्री शान्ती स्वरूप शर्मा को कोई अन्य पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

जनपद वाराणसी में स्थित अस्सी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की मांग

153–श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति उनकी जन्म स्थली वाराणसी स्थित अस्सी क्षेत्र में लगाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में विद्युत परिषद् बालिका हाई स्कूल अनपरा में प्रधानाचार्या की नियुक्ति विषयक

154–श्री शिवप्रताप शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् बालिका हाई स्कूल अनपरा, सोनभद्र में अप्रशिक्षित एवं हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव न रखने वाली महिला को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत यह नियुक्ति की गई है ? क्या चयन करते समय शिक्षा विभाग का कोई प्रतिनिधि चयन समिति की बैठक में उपस्थित था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नियुक्ति को रद्द कर पुनः चयन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की तहसील खलीलाबाद में अवयस्क रेनू नागर के साथ हुए बलात्कार में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

155–श्री शिवप्रताप शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 17 अप्रैल, 1990 को खलीलाबाद, जनपद बस्ती में एक 16 वर्षीया लड़की रेनू नागर के साथ कुछ लोगों ने जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, बलात्कार किया है ? क्या बलात्कार के बाद रेनू नागर को बांधकर रेल पटरी पर डाल दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप घुटने के ऊपर से उसके दोनों पैर कट गए हैं ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सत्य है कि दिनांक 17-4-90 को कु0 रेनू नागर के साथ बलात्कार किया गया परन्तु उसमें कोई पुलिस कर्मी शामिल नहीं था ।

जी हां ।

दिनांक 17-4-90 को रात्रि में 11 बजे कु0 रेनू नागर जब शौच के लिए अपने घर के पीछे खेत में गई, उस समय उसका पड़ोसी प्रमोद कुमार गुप्ता उसे चाकू दिखाकर प्लेट फार्म से लगे दक्षिण-पश्चिम गोदाम के पास ले गया जहां मु0 हनीफ पुत्र पोलादन मिला । कु0 रेनू का मुंह बन्द करके मु0 हनीफ उसे अपनी झुग्गी में ले गया और वहां से वे उसे उत्तर वाले गोदाम के पीछे ले गए जहां मु0 हनीफ व प्रमोद कुमार गुप्ता ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बाद में जान से मारने की नीयत से उसे रेल की पटरी पर डाल दिया जिससे उसकी दोनों टांगें कट गईं ।

नामजद अभियुक्त हनीफ को दिनांक 7-5-90 को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे अभियुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने दिनांक 10-5-90 को न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया । उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 28-5-90 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जोकि विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद बुलन्दशहर में स्थित अमर सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कालेज लखावटी के वार्षिक सम्मेलन में हरिजनों का धर्म परिवर्तन

156–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सईद अब्दुल सत्तार, प्रधानाचार्य, अमर सिंह, पोष्ट ग्रेजूएट कालेज, लखावटी, जिला बुलन्दशहर की अध्यक्षता में ग्राम अजीजाबाद, जनपद बुलन्दशहर में 2 मार्च, 90 को हुए वार्षिक सम्मेलन में हरिजनों का धर्म परिवर्तन कराया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन इसकी जांच कराकर श्री सत्तार के खिलाफ कार्यवाही करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 2 मार्च, 1990 को ग्राम अजीजाबाद, जनपद बुलन्दशहर में इस्लामी मदरसा का वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसमें सईद अब्दुल सत्तार, प्रधानाचार्य अमरसिंह डिग्री कालेज लखावटी ने भाग लिया था । सम्मेलन में श्री गंगावासी पुत्र श्री किशनदयाल जाटव तथा श्री मानक चन्द ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था परन्तु 4-5 दिन बाद गांव जालौन में आयोजित पंचायत में पुनः इन दोनों व्यक्तियों ने हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया और हिन्दू धर्मावलम्बियों की तरह ही रह रहे हैं ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

157–श्री हरिचरण यादव–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 197 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट

158–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 सितम्बर, 89 को बदायूं में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट में किसको दोषी बताया गया है एवं भविष्य के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । जांच प्रचलित है ।

जनपद बरेली के मो0 हजियापुर के निवासी श्री गंगाराम पुत्र श्री छदम्मी लाल विद्युत करेन्ट से हुई मृत्यु के आश्रित को अनुदान देने की मांग

159–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गंगाराम पुत्र छदम्मी लाल निवासी मो0 हजियापुर, बरेली की मृत्यु बिजली के खम्भे से करेन्ट लगने से हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गंगाराम के गरीब परिवार को 25 हजार रुपये का अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री गंगाराम पुत्र श्री छदम्मी लाल की नहीं वरन श्री गंगा चरन पुत्र श्री छदम्मी लाल निवासी हजियापुर बरेली की मृत्यु स्टे वायर में अचानक विद्युत प्रवाह हो जाने के फलस्वरूप, उसके सम्पर्क में आने के कारण दिनांक 30-5-90 को प्रातः 4.50 बजे हुई थी ।

परिषद् के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-12-90 द्वारा मृतक श्री गंगा चरन के परिवार को रुपये दस हजार मात्र की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आवासीय भवनों में विद्युत अनुरक्षण कार्य का कराया जाना

160–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आवासीय एवं अनावासीय भवनों के विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु मुख्य अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक ने कोई माप दण्ड निर्धारित किए हैं ? यदि हां, तो कब से और क्या इसी माप दण्ड के अनुसार विद्युत अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो विद्युत अनुरक्षण कार्य किस आधार पर कराया जाता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार विद्युत अनुरक्षण कार्य कराये जाते हैं ।

जनपद लखनऊ के संजयगांधी नगर, प्राग नारायण रोड बालू का अड्डा की निवासी कु0 उषा के अपहरण की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग

161–श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कु0 ऊषा, निवासी संजय गांधी नगर, प्राग नारायण रोड, बालू का अड्डा लखनऊ उम्र 8 वर्ष का दिनांक 7-2-89 को अपहरण करके हत्या कर दी गयी थी और जिसकी रिपोर्ट मु0अ0सं0 134/89, दिनांक 8-2-89 को हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस हत्याकांड की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महराजदीन यादव निवासी संजय गांधी नगर बालू अड्डा लखनऊ द्वारा दिनांक 8-2-89 को कु0 ऊषा की गुमशुदगी की सूचना पर थाना हजरतगंज पर अ0सं-134/

89 अंतर्गत धारा 364/302/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । कु0 उषा का शव दिनांक 9-2-89 को बरामद होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग धारा 302/364/201/376 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया । इस अभियोग की विवेचना कोतवाली हजरतगंज पुलिस द्वारा महिला प्रकोष्ठ अपराध अनुसंधान विभाग के सहचर्य से प्रारम्भ की गयी । विवेचना से अभियुक्तों का पता न चलने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी ।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर पदोन्नति से भरे जाने की मांग

162–श्री देवतादीन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में इस समय संयुक्त निदेशक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और कितने ? रिक्त पदों पर पदोन्नति पाने वाले अग्रिम वरिष्ठतम अधिकारी का क्या नाम है ? रिक्त पदों पर पदोन्नति करके नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त रिक्त पदों पर कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां । दो पद रिक्त हैं । एक पद दिनांक 2-1-88 से रिक्त है तथा दूसरा पद दिनांक 24-2-89 से रिक्त है ।

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, अतः वरिष्ठतम अधिकारी का नाम बताया जाना अभी सम्भव नहीं है । अन्तिम वरिष्ठता सूची का तैयार न होना तथा संबंधित सेवा नियमावली का प्रख्यापन न होना ।

वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिए जाने और संबंधित सेवा नियमावली को प्रख्यापित कर दिए जाने के पश्चात प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना महानगर में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मांग

163–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना महानगर, लखनऊ में पंजीकृत अपराध संख्या-521 दिनांक 4-12-85 में किन-किन अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमा चलाने हेतु आदेश दिया गया और किन-किन अभियुक्तों की चार्जशीट कोर्ट में भेजी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना महानगर में अभियुक्त कान्स0 76 ए0 पी0 वीरेन्द्र सिंह तथा कान्स0 360 ए0 पी0 राजबली पुलिस लाइन लखनऊ के विरुद्ध अपराध संख्या 521 दिनांक 4-12-85 को पंजीकृत किया गया । विवेचना से दोनों अभियुक्त दोषी पाए गए तथा इनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा रहा है ।

जनपद बहराईच के थाना पयागपुर के ग्राम सरसा के निवासी श्री बाबादीन के सुरक्षा के संबंध में प्रश्न-कर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

164–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-90 जो श्री बाबादीन निवासी ग्राम सरसा थाना पयागपुर जनपद बहराईच की सुरक्षा और अवैध कब्जा हटाने तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में था, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, सदर बहराईच द्वारा कराई गई । जांच से पाया गया कि श्री बाबादीन के घर से सटा श्री लोध डोम व उसके पुत्रगण मुन्ना लाल आदि का मकान और जमीन है । श्री लोध ने बाबादीन के दीवार से सटाकर नांद व मड़हा बना रखा था, जिसे हटा दिया गया है । दोनों पक्षों में सुलह हो गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के प्रत्येक विकास खण्ड की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराने की मांग

165–श्री दयाराम भास्कर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज व फूलपुर व मिर्जापुर और मुहम्मदपुर में प्रत्येक विकास खण्ड के किस-किस हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 31 जुलाई, 1990 तक हो चुका है? क्या यह सही है कि उक्त विकास खण्डों में अनेक गांवों में खम्भे तो गाड़ दिये गये हैं किन्तु तार के अभाव में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत विकास खण्डों की जिन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण 31 जुलाई, 1990 तक हो चुका है उनकी सूची संलग्न है ।

केवल विकास खण्ड फूलपुर में 8 तथा मार्टिनगंज में 11 ग्रामों में खम्भे गाड़ दिये गये हैं परन्तु तार के अभाव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है । विकास खण्ड मिर्जापुर और मुहम्मदपुर में ऐसा कोई ग्राम नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 88 पर)

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अंतर्गत ग्राम सुर्ता टोला करबनिया के श्री सुन्दर बेलवार की हत्या से संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

166–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर वि0 सभा क्षेत्र बांसगांव अन्तर्गत ग्रा0 सुर्ता टोला करबनिया में दिनांक 18-2-84 की रात्रि में श्री सुन्दर बेलवार की हत्या स्थानीय पुलिस द्वारा सुनियोजित ढंग से की गई, जिसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 शाखा गोरखपुर द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत मामले की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई । जांच में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में विद्युतीकरण कराने की मांग

167–डा0 मोहम्मद उल्लाह चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में पिछले 9 वर्षों से किसी भी गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में पिछले 5 वर्षों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 47 एवं एल0टी0 लाइन बिछाकर 22 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा को ग्राम सिदावली एवं ठाकुरद्वारा में सब स्टेशन लगाने की मांग

168–डा0 मोहम्मद उल्लाह चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम सिदावली एवं ठाकुरद्वारा में 132 के0 वी0 का सब स्टेशन लगाने का प्रस्ताव सन् 1973-74 विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा यहां पर 132 के0 वी0 का सब स्टेशन कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम सिदावली में 132 के0 वी0 सब-स्टेशन लगाने का प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना (74-79) के अन्तर्गत संशोधित प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था परन्तु तकनीकी एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से इसका छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी समायोजन नहीं हुआ । पुनः तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगाने का प्रस्ताव वर्ष 1989 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनुमोदन हेतु भेजा गया था । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से उक्त 132 के0 वी0 सब-स्टेशन ठाकुरद्वारा का अनुमोदन दिसम्बर, 1990 में प्राप्त हुआ ।

उक्त विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना एवं लक्ष्य निर्धारण करना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम रेहटा माफी में विद्युत करेन्ट से मृतक के परिवार के सहायतार्थ अनुदान देने की मांग

169–डा0 मोहम्मद उल्लाह चौधरी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम रेहटा माफी, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में के विद्युत कर्मी ने एक गांव के व्यक्ति को एक बिजली के खम्भे पर चढ़ा दिया जिससे करेन्ट लगकर उसकी मृत्यु हो गयी ? क्या सरकार उस विद्युत कर्मी के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा मृतक के परिवार को सहायतार्थ अनुदान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह सही है कि ग्राम रेहटा माफी, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद के निवासी अब्दुल क्यूम की विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 2-7-90 को ग्राम चांद खेड़ी डिलारी के पास मृत्यु हो गयी थी ।

मृतक एक बाहरी व्यक्ति था जो अनाधिकृत रूप से विद्युत परिषद् के कर्मचारियों की रजामंदी से कार्य कर रहा था । विद्युत परिषद् को दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु कह दिया गया है ।

जनपद बाराबंकी के कृषि रक्षा केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा नकली दवा तथा गबन के आरोपों की जांच

170–श्री दया शंकर–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा केन्द्र बाराबंकी के कुछ कर्मचारियों द्वारा नकली कृषि रक्षक दवायें बेचने एवं कृषकों को मिलने वाले अनुदान में लाखों रुपयों का गबन करके अभिलेखों में हेरा-फेरी करने के आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग/विजीलेन्स विभाग द्वारा कराए जाने के लिए जिला कृषि अधिकारी व जिलाधिकारी बाराबंकी ने फरवरी, व मार्च, 1989 में कृषि निदेशालय व शासन से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो फरवरी, 1990 तक जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) कृषि भवन, लखनऊ द्वारा जुलाई, 1989 से ही विवेचना की जा रही है ।

उ0 प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम हल्द्वानी नैनीताल के प्रबन्ध निदेशक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

171—श्री अफजाल अंसारी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम हलद्वानी नैनीताल के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र जून 90 के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली अपने आदेश एम0-1-व-79/919/जून 90 के द्वारा एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शंकर सिंह—

श्री अफजाल अहमद अन्सारी का शिकायती पत्र दिनांक 27 जून, 90 माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश संख्या-सी0एम0वि0 को/एम0-1-व-80/920/90 दिनांक 2 जुलाई, 90 के साथ प्राप्त हुआ।

इन शिकायतों की जांच कराई गई थी । शिकायतें सही नहीं पाई गयीं ।

गोण्डा जनपद के छटनीशुदा कृषि अमीनों तथा चपरासियों के बकाया अवशेषों का भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही

172—श्री खुर्शीद अहमद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 2रे गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-139 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अमीनों तथा चपरासियों को रु0 15,903.95 पैसे जो भुगतान हेतु बकाया था, का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

प्रश्नगत कर्मचारियों से सम्बन्धित बिल जो पूर्व सप्रेक्षण हेतु महालेखाकार उ0 प्र0 को भेजा गया था वह अभी तक वापस नहीं आया है । प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के पशुधन अधिकारी द्वारा श्री बुट्टन राम च0 श्रे0 कर्मचारी का स्थानान्तरण

173—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पशुधन अधिकारी गाजीपुर द्वारा श्री बुट्टन राम च0 श्रे0 कर्मचारी का स्थानान्तरण दि0 31-5-90 को आदेश संख्या 590 के अन्तर्गत हुआ था और उक्त आदेश में पुनः संशोधन करते हुए उनका स्थानान्तरण पुनः 15-6-90 को आदेश सं0 817 के अन्तर्गत किया गया ? क्या यह स्थानान्तरण शासनादेश के विरुद्ध हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह स्थानान्तरण हरिजन कर्मचारी के उत्पीड़न की दृष्टिकोण से किया गया है ? क्या मंत्री जी इसकी पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद बोस—

जी हां ।

जी नहीं ।

स्थानान्तरण जनहित में शासनादेशों के अनुरूप किया गया है उत्पीड़न के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के प्रथम व द्वितीय खण्ड में की गई नियुक्तियों के संबंध में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

174–श्री खुर्शीद अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् वितरण खण्ड प्रथम व द्वितीय गाजीपुर में 31 अप्रैल, 89 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या विगत दो माह में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या नव नियुक्तियां छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मचारियों में से की गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी ? इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई पद रिक्त नहीं है ।

तथापि मई 1990 में दो नियुक्तियां की गयी हैं।

जी हां ।

मात्र दो नियुक्तियां की गयी हैं । इसके लिये तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार हैं । उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है ।

कानपुर देहात में ऊर्जा संबंधी उपकरणों की आपूर्ति

175–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1990 से 25 जुलाई, 1990 तक कानपुर देहात की ऊर्जा संबंधी समस्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु कौन-कौन व कितने कितने उपकरण बिजली बोर्ड द्वारा दिए गए हैं तथा कितने कितने और कौन-कौन उपकरणों की आवश्यकता अभी बनी हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी तार कटिंग हुई है और हाईडिल के मुख्य अभियन्ता ने कितने-कितने और कौन-कौन उपकरणों की मांग बिजली बोर्ड उत्तर प्रदेश से कब-कब की है ? मांग सूची में से कितनी आपूर्ति बिजली बोर्ड द्वारा की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1-1-90 से 25-7-90 तक की अवधि में कानपुर देहात के ऊर्जा संबंधी कार्यों हेतु परिषद् द्वारा संलग्न सूची-1 के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं और संलग्न सूची-2 के अनुसार अभी आवश्यकता है ।

उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्रवार तार-कटिंग का विवरण संलग्न सूची-3 में दर्शाया गया है और अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर द्वारा परिषद् के भण्डार संगठन से विभिन्न तिथियों में सूची-4 के अनुसार मांग की गयी । मांग सूची के अनुसार समस्त सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 90 पर)

जनपद आजमगढ़ के अवर अभियन्ता विद्युत परिषद् खण्ड प्रथम में मृत श्री द्वारिकानाथ सिंह के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग

176–श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कार्यस्थल पर अवर अभियन्ता विद्युत परिषद् खण्ड प्रथम में श्री द्वारिका नाथ सिंह की मृत्यु दिनांक 3-11-89 को हुई थी? यदि हां, तो क्या उनके परिवार वालों को अभी तक मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, श्री द्वारिका नाथ सिंह के परिवार वालों को मुआवजा मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दिया जाना है । इस संबंध में उनको आवश्यक आदेश दे दिए गये हैं ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण

177–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 279 मंझनपुर इलाहाबाद के

ब्लाक वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या निर्धारित था और उनके विरुद्ध उपलब्धियां क्या थीं ? अवशेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र 279 मंझनपुर में विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
सरसवां	35
मंझनपुर	34
कौशाम्बी	39

वर्ष 1990-91 में विकास खण्डवार ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि
सरसवां	2	–
मंझनपुर	2	–
कौशाम्बी	3	1

वर्तमान वर्ष के लक्ष्य के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 1991 तक हो जाने की सम्भावना है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक वार किसानों के पम्पिंग सेटों को तत्काल ऊर्जीकृत करने की व्यवस्था

178–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में खण्ड विकास क्षेत्र (ब्लाक) वार में मई, 1990 तक पम्पिंग सेट (निजी नलकूप) के ऊर्जीकृत करने के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे और उनके ऊर्जीकृत न होने के कारण क्या हैं ? क्या किसानों की अपूरणीय क्षति को देखते हुए शासन उक्त पम्पिंग सेटों को तत्काल ऊर्जीकृत करने की व्यवस्था करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी जनपद में निजी नलकूपों के आवेदकों जिन्होंने मई, 1990 तक सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली थी, की विकास खण्डवार संख्या निम्नवत् है :–

विकास खण्ड	संख्या
1–पिंडरा	79
2–बड़ागांव	46
3–चोलापुर	75
4–हरहुआ	29
5–चिरईगांव	46
6–का0 विद्यापीठ	42
7–आराजी लाइन	71
8–सेवापुरी	39
9–सरियावां	13
10–भदोही	24
11–ज्ञानपुर	27
12–डीघ	24
13–औराई	23

संसाधनों की कमी के कारण उपरोक्त आवेदकों के नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं हो सका ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की लेखा शाखा द्वारा प्रशिक्षित शिक्षुओं को सेवा में लेने की मांग

179–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की लेखा शाखा द्वारा प्रशिक्षित तीन शिक्षुओं को सेवा में लिए जाने के संबंध में श्री शफीकुर्रहमान, एम0 एल0 ए0 के पत्र दिनांक 28-3-90 व 29-3-90 मुख्य लेखा अधिकारी एवं अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् तथा तीनों प्रशिक्षित शिक्षुओं का संयुक्त प्रार्थना-पत्र श्री रविदास मेहरोत्रा, एम0 एल0 ए0 के पत्र सहित मुख्य मंत्री को दिनांक 9-6-1990 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो संदर्भित प्रकरण में शासन/परिषद् द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लेखा शाखा द्वारा प्रशिशित शिशुक्षुओं को छोड़कर अनेकों नये अभ्यर्थियों की सीधी भर्तियां की गयी हैं जो श्रम अनुभाग-6 के शासनादेश सं0–735/36-6-15 (टी)-79 दिनांक 12-11-1979 के पैरा-2 में उल्लिखित निर्देशों के प्रतिकूल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त परिषद् में कोई नई भर्तियां नहीं की गयी हैं ।

परिषद् की लेखा शाखा में माह दिसम्बर 1989 में कुछ दैनिक श्रेणी लिपिकों की नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गयी थी । उस समय उपरोक्त तीनों शिक्षुओं का प्रशिक्षण काल समाप्त नहीं हुआ था । इनका प्रशिक्षण काल दिनांक 2-1-90 के पूरा हुआ, जिसके उपरान्त परिषद् की लेखा शाखा में कोई नई भर्ती नहीं की गयी है । अतः शासनादेश सं0 735-36-6-15(टी)-79 दिनांक 12-11-79 के पैरा-2 में उल्लिखित निर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन प्रसार निरीक्षकों को नवीन वेतनमान तथा अनुमन्य मकान किराये भत्ते का भुगतान

180–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन प्रसार निरीक्षकों (पशुधन प्रसार अधिकारियों) को निदेश पशुधन ने रु0 1400-2300 के वेतमान दिए जाने की संस्तुति समिति को दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? कब तक नवीन वेतन-मान दे दिया जायेगा ? क्या अभी इनको पूर्व वेतनमान 1200 से 2040 दिया जा रहा है ? क्या इनको पूर्व काल में अनुमन्य मकान किराया भत्ता तथा निश्चित यात्रा भत्ता दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

जी हां ।

समता समिति ने स्वीकार नहीं किया ।

जी हां ।

शासनादेश के तहत अनुमन्य मकान किराया भत्ता/ग्रामीण व नियत यात्रा भत्तों का भुगतान किया जा रहा है ।

पशुपालन विभाग के निदेशक, अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के पुनरीक्षित वेतनमान की आहरण अवधि

181–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन विसंगति (विषमता) समिति द्वारा पशुपालन

विभाग के निदेशक, अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का व्यय किस तिथि से अनुमन्य कराया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

जी हां ।

दिनांक 1-1-1986 से ।

पशुधन प्रसार निरीक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने की मांग

182–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पशुधन प्रसार निरीक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान 1-1-86 से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समिति के निर्णयों को सरकार ने लागू कर दिया है ? यदि हां, तो इसे विभागीय अधिकारियों द्वारा न लागू किए जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

पशुधन प्रसार निरीक्षक के पदों का पशुधन प्रसार अधिकारियों के संवर्ग में संविलियन शासकीय आदेश दिनांक 3 मार्च, 1990 द्वारा कर दिया गया है । पुनरीक्षित वेतनमान की तिथि निर्धारण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

कृषि अभियंत्रण शाखा वर्ग एक के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

183–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 फरवरी, 1990 का पत्र उ0 प्र0 के कृषि विभाग के कृषि अभियंत्रण शाखा वर्ग एक के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है तथा कब तक उक्त पदोन्नति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह–

कथित पत्र दिनांक 16 फरवरी , 1990 का प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में राज्य विद्युत परिषद् की जीप पर मृत महिला के परिवारजनों को मुआवजा देने की मांग

184–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14-5-90 को स्थान पिंडरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी में राज्य विद्युत परिषद् वाराणसी की जीप नं0 यू0 एस0 जेड0 9597 एक ट्रक से लड़ गयी जिसकी वजह से जीप पर बैठी अलका नाम की तवायफ जो स्थान चांदा थाना चांदा जिला सुल्तानपुर की थी की मौके पर मृत्यु हो गयी जिसका मुकदमा थाना फूलपुर वाराणसी में दर्ज है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने चेयरमैन राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश से 17-5-90 को मिलकर पत्र दिया था और मृतका के परिवार वालों को एक लाख रु0 का मुआवजा देने तथा कार्यवाही करने की मांग भी की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या एक लाख रु0 मृतका को दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राइवेट जीप संख्या यू0 एस0 जेड/9597 दिनांक 14-5-90 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जो राज्य विद्युत परिषद् की नहीं थी ।

उक्त प्राइवेट जीप राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किराये पर महीने में 26 दिन के लिए अनुबंधित थी और दिनांक 14-5-90 को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय अवकाश पर कार्यमुक्त थी ।

जी हां ।

परिषद् का उत्तरदायित्व न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी । तथापि परिषद् की सतर्कता शाखा द्वारा जांच की जा रही है ।

जी नहीं । इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना

185–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्ष 1990-91 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्ष की तुलना में कितना है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 279 मंझनपुर में पूर्व लक्ष्य के अनुसार 1988-89 तथा 1989-90 में प्रतिवर्ष ब्लाकवार ग्रामीण विद्युतीकरण में कितने ग्राम चयनित किए गये थे ? क्या चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में वर्ष 1990-91 में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्व वर्ष 1989-90 की तुलना में निम्नवत है :–

मद	वर्ष 1989-90	वर्ष 1990-91
1–केन्द्रीय विदयुत प्राधिकरण की परिभाषानुसार ग्रामों का विद्युतीकरण	2365	2550
2–एल0टी0लाईन बिछाकर ग्रामों का विद्युतीकरण	2365	3000
3–हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	2221	2870

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र 279 मंझनपुर में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था :–

विकास खण्ड	वर्ष 1988-89	वर्ष 1989-90
1–कौशाम्बी	1–रक्सवारा	1–धमसिरा
	2–मकदमपुर ढोकरहा	2–गुरौली उपरहार
2–मंझनपुर	1–गोविरसहाय	1–इम्बाहीमपुर
	2–उभरा	2–छिपिरछा
	3–यूसुफपुर रारा	3–पवारा
3–सरसवां	1–पूरब सौरावां	1–अजरौली
	2–टिकरी नागी	2–लौगावा

वर्ष 1989-90 के विकास खण्ड मंझनपुर के चयनित ग्राम पवारा के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और दोनों वर्षों के शेष सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

जनपद इलाहाबाद के थानों में हुए अपराधों का विवरण तथा रोकथाम की मांग

186–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में 1 जनवरी, 1990 से 20 अगस्त, 1990 तक कितनी हत्यायें, डकैतियां, लूट तथा अन्य किस्म के अपराध थानावार हुए हैं ? उन अपराधों को रोकने हेतु अब तक क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद इलाहाबाद में 1 जनवरी, 1990 से 20 अगस्त, 1990 तक हत्या, डकैती, लूट तथा अन्य किस्म के अपराधों की थानावार सूची संलग्न है ।

उपर्युक्त अपराधों को रोकने हेतु गश्त तेज कर दी गई है एवं सम्भावित स्थानों पर पिकेट ड्यूटी एवं रात्रि में गाड़ी बन्दी की व्यवस्था की गई है । रंजिशवश हत्याओं की रोकथाम हेतु दोनों पक्षों को कड़े निर्देश एवं न मानने पर निरोधात्मक कार्यवाही करने के आदेश अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को दे दिए गए हैं ।

(देखिए नत्थी ''छ'' पर आगे पृष्ठ 93 पर)

थानाध्यक्ष भोजपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा श्री सरफराज पुत्र फैयाज, का लूटमार संबंधी रपट दर्ज न करने संबंधी शिकायत

187–श्री मो0 रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय फैयाज के यहां सशस्त्र डकैती हुई थी उसी समय इस गांव के राम प्रसाद पुत्र गनपत सेनी, मोहन पुत्र गनपत सेनी, अब्दुल हसन पुत्र आशाक हुसैन, गुलाम रसूल, अहमद हकीम पुत्र बुला के घरों पर भी लूटपाट की गयी थी तथा पुलिस द्वारा रपट दर्ज न करने की सूरत में इन लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बयान हल्फी देकर मुकदमा कायम करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी श्री सरफराज पुत्र फैयाज हुसैन नि0 ठीकरी, थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद ने दि0 10-3-89 को थाना भोजपुर पर अपनी तहरीर में चार बदमाशों द्वारा असलहों के साथ अपने घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देकर लूटपाट करने तथा बदमाशों ने उसी के गांव के 4 अन्य घरों में लूटपाट करने की सूचना अंकित कराई जिसके आधार पर थाना भोजपुर पर मु0 अ0 सं0 81/89 धारा 394 भा0 दं0 वि0 चार अज्ञात सूरत शिनाख्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । बाद में वादी एवं लूटपाट से प्रभावित अन्य लोगों ने प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र दिए, जिस पर जांचोपरान्त मुकदमा धारा 395/397 में तरमीम किया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष भोजपुर द्वारा की जा रही है । अपराध पंजीकरण में थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी का कोई दोष नहीं है । तत्कालीन थानाध्यक्ष भोजपुर श्री राजेन्द्र सिंह का इस जनपद से स्थानान्तरण हो चुका है ।

काशीपुर जनपद नैनीताल में सम्पर्क राहत कार्य हेतु हैचरियों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की शिकायत एवं जांच की मांग

188–श्री मो0 रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या0 134 के उत्तर के क्रम में क्या पशुपालन एवं मत्स्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर नैनीताल में हैचरियों के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि में अनियमितताओं की जांच शासन

के परीक्षाधीन थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस घोटाले में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर दोषी तत्कालीन परियोजना अभियंता व अवर अभियंता को निलम्बित कर दिया गया था तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । अन्य अधिकारियों के प्रकरण संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित किए गये हैं । जांच प्रचलित है ।

कृषि विपणन विभाग में रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

189–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 1ले बुध के प्रता0 प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सन् 1984 में उक्त दोनों कर्मचारियों (श्री इन्द्र पाल सिंह व श्री ईसम सिंह) ने कृषि विपणन सेवा के लिए अपना विकल्प दिया था तो वे उसी संवर्ग के क्यों नहीं माने गये जबकि उन का नाम कृषि विपणन सेवा वर्ग-1 संवर्ग की सूची में रखा गया था और उस सूची को कृषि विपणन निदेशक ने जारी किया था तथा कृषि निदेशक ने उक्त दोनों कर्मचारियों का नाम कृषि विभाग से अपने एक आदेश द्वारा हटा दिया था ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां । विकल्प दिया गया था । इन दोनों कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में विपणन निदेशक स्तर पर की गयी कार्यवाही त्रुटी पूर्ण थी, इसलिए इन्हें कृषि विपणन सेवा संवर्ग में नहीं माना गया ।

यह कहना गलत है कि दोनों कर्मचारियों का नाम कृषि विभाग से हटाया गया ।

190–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 195 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

191–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में शोधन का प्रस्ताव

192–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में शोधन का प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशक के अ0 शा0 पत्रांक-कृ0 विनि0-4986/1998 दिनांक 31-12-1986 द्वारा कृषि सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शंकर सिंह–

जी हां ।

वर्तमान व्यवस्था जो मंडी अधिनियम, 1964 के प्रादिधानानुसार लागू है, में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर के ग्राम-नेवादा नरपति के हरिजन श्री श्याम लाल पुत्र श्री देशराज के आरोपी डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

193–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री श्याम लाल, हरिजन, निवासी ग्राम-नेवादा नरपति, थाना-कासिमपुर जनपद-हरदोई का प्रार्थना-पत्र जो उनके पुत्र श्री देशराज का आपरेशन स्थानीय डा0 सोवरन लाल, निवासी ग्राम भैंसोड़ा गौरी दायम थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई द्वारा आपरेशन करते समय आपरेशन के अन्दर 2 इंच का चाकू डाल देने के संबंध में है, प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ अगस्त, 1990 में पुलिस अधीक्षक हरदोई तथा सचिव, गृह विभाग, उ0 प्र0

शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर जिम्मेदार डाक्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल पुत्र बराती निवासी ग्राम नेवादा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई के प्रार्थमा पत्र के आधार पर थाना कासिमपुर पर मु0अ0सं0-8/91 अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया तथा आरोपी डाक्टर सोबरन लाल को गिरफ्तार किया गया ।

विवेचना प्रचलित है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम मदारी खेड़ा के पहाड़ी लोध की हत्या का प्रयास तथा दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

194–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि ग्राम शम्भू खेड़ा मजरा मिरीकलां, तहसील पुरवा जनपद उन्नाव में माह अगस्त 1989 के अंतिम सप्ताह में भूमिधरी हरिजन किसानों के तालाब (दहनई) में श्री राम नरेश पुत्र रघुबर द्वारा जबरन मछलिया मरवाई गयीं तथा इनके साथी श्री राज मोहन उन्नाव के आदमियों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किए गए एवं मदारी खेड़ा के पहाड़ी लोध नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में कोई रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) थाना में दर्ज की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार राम नरेश पुत्र रघुवर द्वारा माह अगस्त, 1989 के अन्तिम सप्ताह में तालाब से मछलियां दिनांक 28-7-89 को एस0डी0एम0 से पट्टा प्राप्त करने के पश्चात मरवाई गयी थी, न कि जबरन । राजमोहन मछली बेचने का व्यापार करता है वह राम नरेश आदि से मछली खरीदने हेतु मिलता रहता है ।

दिनांक 28-8-89 को कुसेहर उर्फ पहाड़ी लोध की सूचना पर थाना पुरवा में अपराध संख्या निल धारा 307 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया और थाना असोहा पर कागजात भेजे गये जिस पर मु0अ0सं0 68/89 धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ ?

स्थापित समान्वित भूमि एवं जल संरक्षण समिति जनपद बांदा में परियोजना अधिकारी के स्थान पर भूमि संरक्षण अधिकारी से कार्य संचालित करने की मांग

195–डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 से शासन द्वारा एक समन्वित भूमि एवं जल संरक्षण समिति की स्थापना की गयी थी जिसमें लघु सिंचाई, वन विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग के कार्य किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ करने के निर्देश थे और सभी विभागों के कार्यों के नियंत्रण के लिए एक परियोजना अधिकारी कम उप निदेशक (भू0 सं0) की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद बांदा के क्षेत्र में उपरोक्त परियोजनाधिकारी कम उप निदेशक (भू0 सं0) के तहत केवल भूमि संरक्षण का कार्य ही चल रहा है जो केवल भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा संचालित किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या शासन मितव्यता को ध्यान में रखकर उक्त परियोजनाधिकारी को हटाकर केवल भूमि संरक्षण अधिकारी से कार्य संचालित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री शंकर सिंह–

जी नहीं ।

बहु-अनुशासनिक भूमि एवं जल प्रबन्ध की तीन इकाईयों का गठन किया गया था ।

जी हां ।

बहु-अनुशासनिक भूमि एवं जल प्रबन्ध इकाईयों के लिये ऐसा ही है ।

जी नहीं ।

परियोजना अधिकारी तीनों विभागों के कार्य व्लापों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करता है । भूमि संरक्षण इकाई केवल भूमि संरक्षण कार्यों की देख रेख करती है ।

मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए बहु-अनुशासनिक इकाई को उनके पैतृक विभाग को वापस करने का अनुरोध कृषि विभाग से किया जा चुका है ।

(12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है, 1 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 10 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है तत्पश्चात् 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-311 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री मुईद अहमद जी की है, दूसरी सूचना श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) और श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है, तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी दादा जी की है, चौथी सूचना सर्वश्री कल्याण सिंह, सत्य प्रकाश विकल, डा0 दिनेश जौहरी और श्री सुन्दरलाल दीक्षित जी की है, पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की और छठी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी और श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा जी की है, दूसरी सूचना श्री शेख मोहम्मद सुलेमान जी की है, तीसरी सूचना श्री पंचानन राय जी की है और चौथी सूचना श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी की है ।

श्री अध्यक्ष के कक्ष में सभी दलों के नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष–

इस संदर्भ में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे कक्ष में सभी दलों के सम्मानित नेतागण उपस्थित हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से आज विस्तार से वार्ता होगी और उसमें एक ऐसा समाधान निकाला जायेगा, जिससे यह सदन सुचारु रूप से और शान्तिपूर्वक अपने कार्यों को सम्पादित कर सके । इसलिए आज हम कल दिनांक 24-1-1991 को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
23 जनवरी, 1991 ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

अनुपूरक सामग्री

दिनांक 15 मई, 1990 तक निम्नांकित मा0 मंत्रियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित बंगले आवंटित किए गए थे और उनमें रह रहे हैं, किन्तु इन मा0 मंत्रियों ने उन्हें विधायक की हैसियत से आवंटित कक्ष जो स्तम्भ–4 पर अंकित है, का कब्जा भी नहीं छोड़ा है और अपना अध्यासन बनाए रखा :––

क्रम सं0	मा0 मंत्री का नाम	आवंटित बंगला	विधायक निवासों का कक्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	बेनी प्रसाद वर्मा	10 माल एवेन्यू	115, वि0 नि0–1
2	राम शरण दास	2, माल एवेन्यू	17/20, वि0 नि0–5
3	असलम खां	15, कालीदास मार्ग	सी–3, पार्क रोड
4	शतरुद्ध प्रकाश	13-ए-माल एवेन्यू	सी–6, पार्क रोड
5	बर्फिया लाल ज्वाठा	14, कालीदास मार्ग	19, वि0 नि0–1
6	रेवती रमण सिंह	9, माल एवेन्यू	ए-1,बटलर पैलेस कालोनी
7	विक्रमादित्य पाण्डे	12, माल एवेन्यू	7, वि0 नि0-1- सी
8	आजम खां	4, कालीदास मार्ग	34, वि0 नि0-2 पुराना
9	अवधेश प्रसाद	11, माल एवेन्यू	जी-4-बी- वि0नि0–3

उक्त में से मा0 मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने विधायक निवास–3 स्थित कक्ष संख्या-जी-4, बी का कब्जा दिनांक 11-6-90 को छोड़ दिया था तथा मा0 मंत्री सुखदा मिश्रा को 4, लालबहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया था, किन्तु उक्त बंगले का कब्जा मा0 मंत्री को नहीं मिल पाया। अतः वे विधायक निवास–4 स्थित कक्ष संख्या–27 जो उन्हें आवंटित था में ही रह रही थीं, साथ ही उन्होंने विधायक निवास–4 स्थित कक्ष संख्या–35 पर भी अध्यासन बनाए रखा। जिन मा0 विधायकों के पास दो कक्ष हैं, उन्हें नियमानुसार एक ही कक्ष आवंटित किया गया था, किन्तु उन्होंने जबरन अन्य कक्षों पर भी कब्जा कर लिया, जिनकी सूची संलग्नक–1 पर अवलोकनीय है। इन मा0 विधायकों को अनेक बार विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष छोड़ने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु तीन मा0 विधायकों को छोड़ कर किसी ने भी कक्ष रिक्त नहीं किया। मा0 विधायकों के पास अतिरिक्त कक्ष के कारण अन्य मा0 विधायकों जिनकी सूची संलग्नक–2 पर अवलोकनीय है, को कब्जा नहीं दिलाया जा सका, इस प्रकार विभाग द्वारा आवंटन नियमानुसार किया गया और नियमानुसार ही कब्जा दिलाया गया। अतः आवंटन व कब्जे में ढिलाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

संलग्नक—1

एक से अधिक कक्ष (अनधिकृत) रखनेवाले विधायकों की सूची

क्रम सं0	मा0 विधायक का नाम	आंवटित आवास	अनधिकृत आवास
	सर्वश्री		
1	अजय प्रताप सिंह	1101, मंत्री आवास	114, वि0नि0—1
2	लालता प्रसाद यादव	71, रायल होटल	64, वि0 नि0—1 अब रिक्त कर दिए हैं।
3	मोतीलाल देहलवी	58,वि0नि0-1	59 ,"ख" वि0 नि-1
4	जगदीश लाल	204, मंत्री आवास	54,वि0 नि0—1
5	मुक्तिनाथ यादव	72, रायल होटल	156, वि0नि0-1
6	राम कुमार वर्मा	704, मंत्री आवास	179, वि0 नि0—1
7	लालजी वर्मा	703, मंत्री आवास	10, वि0 नि0—1
8	यदुनाथ सिंह	903—ए, ओ0सी0आर0	166, वि0 नि0—1
9	राम चन्द्र बक्श सिंह	बी—3, पार्क रोड	73, वि0 नि0-1
10	राम बचन यादव	8, वि0नि0-1	141, वि0 नि0-1 अब रिक्त कर दिये हैं।
11	रेयाज अहमद	503, मंत्री आवास	142, वि0 नि0-1
12	अमीर आलम खां	903, मंत्री आवास	24, वि0नि0-2 पुराना
13	रमाकान्त यादव	92, वि0नि0-2 पुराना	89, वि0 नि0-2 पुराना
14	अकबर हुसैन बाबर	55-वि0नि0-2 पुराना	32, वि0 नि0-2 पुराना
15	सुन्दर लाल, दीक्षित	50, वि0 नि0-3	139, वि0 नि0-1
16	गुलाब सिंह	एच-8, पार्क रोड	35, वि0 नि0-1, 6—1—90 को रिक्त किया।
17	भोला पाण्डे	ए-1, पार्क रोड	55-वि0 नि0-5
18	समीउल्लाह	बी-101, ओ0सी0आर	160, वि0नि0-1
19	सरस्वती प्रताप सिंह	1304, मंत्री आवास	303, बी-ओ0सी0 आर0
20	महराज सिंह	के-1, पार्क रोड	49, वि0 नि0-1
21	रवीन्द्र राघव	1301, मंत्री आवास	4, वि0 नि0-2 पुराना
22	रविदास मेहरोत्रा	108, वि0नि0-2 नया	143, वि0नि0-1
23	उमानाथ सिंह	301, मंत्री आवास	62, वि0नि0-2 पुराना
24	काशी सिंह ऐरी	106, बी-ओ0सी0आर0	75, वि0नि0—1
25	अकबाल हुसैन	88/89, वि0नि0-1	501-ए, ओ0सी0आर0
26	कमलेश पाठक	199, वि0नि0-1	8/9, डालीबाग कालोनी
27	ओम प्रकाश गुप्त	3, सी0, वि0नि0—1	9- सी-वि0 नि0—1
28	रविकान्त गर्ग	43, वि0नि0-5	206- बी0,ओ0सी0आर0

संलग्नक–2

उन मा0 विधायकों की सूची जिन्हें आवास आवंटित नहीं हुए हैं अथवा आवंटित आवासों का कब्जा नहीं मिल पाया है

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम	आवंटित आवास	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	राम कुमार शुक्ल, सदस्य, वि0 स0, लखनऊ	6, वि0नि0–1 सी	6, वि0 नि0–1 सी आवंटित किया गया है इन्होंने कब्जा नहीं लिया स्वयं के आवास में रह रहे हैं।
2	भोपाल सिंह, सदस्य, वि0स0 मेरठ।	179, वि0नि0–1	कब्जा नहीं लिया गोमती होटल में रह रहे हैं।
3	केशरी नाथ त्रिपाठी, सदस्य, वि0 स0, इलाहाबाद, दक्षिण।	35, वि0नि0–1	राज्य अतिथि गृह में रह रहे हैं कब्जा नहीं लिया।
4	शारदा प्रसाद रावत, सदस्य, वि0 स0, सहजनवा।	34, वि0नि0–1	गोमती होटल में रह रहे हैं कब्जा नहीं लिया।
5	विपिन बिहारी, सदस्य, वि0स0, हरदोई।	202, मंत्री आवास	कब्जा नहीं मिला, गोमती होटल में में रह रहे हैं, बाद में 143 वि0 नि0–1 आवंटित किया गया किन्तु मंत्री आवास का ही कक्ष चाहते हैं।
6	रामलखन यादव, सदस्य, वि0स0, पल्टी, प्रतापगढ़।	203, ओ0सी0आर0	कब्जा नहीं मिला गोमती होटल में में रह रहे हैं यही आवास चाहते हैं।
7	श्रीमती दीपा कौल, सदस्य, वि0 परिषद्,	..	स्वयं के आवास में रहती हैं।
8	राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, वि0सा0, इलाहाबाद,	ए–9, पार्क रोड	राज्य अतिथि गृह में रह रहे हैं कब्जा नहीं मिला यही आवास चाहते हैं।
9	डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश सदस्य, वि0 परिषद्।	55, वि0 नि0–4	कब्जा नहीं लिया राज्य अतिथि गृह में रहती है बड़ा आवास चाहती हैं।
10	अरविन्द सिंह, सदस्य, वि0 परिषद्, वाराणसी।	59, वि0नि0–1	कब्जा नहीं लिया रा0 अ0 गृह में रहते हैं।
11	सतीश सिंह राठौर, सदस्य विधान परिषएद्, मथुरा।	54, वि0नि0–1	कब्जा नहीं लिया।
12	ज्ञानचन्द द्विवेदी, सदस्य, वि0, परिषद् वाराणसी।	160, वि0नि0–1	कब्जा नहीं लिया राज्य अतिथि गृह में रह रहे हैं।
13	रणजीत सिंह जूदेव, सदस्य, वि0 स0, हमीरपुर।	जे-4, पार्क रोड	कब्जा हीं मिला स्वयं के आवास मे रह रहे हैं।
14	अशोक पाण्डे, सदस्य, वि0स0, सुल्तानपुर।	61, वि0नि0–4	कब्जा नहीं मिला राज्य अतिथि गृह में रह रहे हैं यही आवास चाहते हैं लो0 नि0 वि0 के, रेस्ट हाउस में रह रहे हैं

1	2	2	4
15	सत्यप्रकाश सोनकर, सदस्य वि0स0 बनारस	—	लो0 नि0 वि0 के रेट हाउस में रहे हैं ।
16	राजा मो0 अमीर मो0 खां, सदस्य, वि0स0, सीतापुर ।	—	आवास नहीं लेंगे, निजी आवास में रहते हैं ।
17	जयराज गौतम, सदस्य, वि0स0, सुल्तानपुर ।	ए-8 पार्क रोड	कब्जा नहीं मिला 7, विक्रमादित्य मार्ग, में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तां 0प्र0सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित 21-सूत्रीय कार्यक्रम

क्र0सं0	सूत्र
1	स्वच्छ एवं प्रभावी शासन की स्थापना एवं भ्रष्टाचार निवारण।
2	सार्वजनकि उद्यमों पर प्रभावी नियंत्रण।
3	सत्ता का विकेन्द्रीकरण।
4	साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करना।
5	अल्पसंख्यक वर्गों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना।
6	सीमान्त और दलित समुदायों/अनुसूचित जातियों/जनजातियों/बंधुवा मजदूरों/सीमान्त किसानों शिल्पकारों आदि हेतु न्यायपूर्ण व्यवहार।
7	महिलाओं को समान दर्जा-महिलाओं हेतु कल्याणकारी योजनाएं।
8	युवा वर्ग हेतु रोजगार योजनाएं—काम का अधिकार।
9	वृद्धों, निराश्रितों, विकलांगों एवं विधवाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा।
10	किसान समुदाय और ग्रामीण समाज हेतु व्यवस्थित कार्यक्रम।
11	श्रमिकों का कल्याण।
12	समान शिक्षा।
13	सभी के लिए स्वास्थ्य।
14	पीने का पानी।
15	घर एक अधिकार।
16	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
17	उद्योगों का विकास—रोजगार के अवसर।
18	शिशु-देश के भविष्य-पोषाहार।
19	बुनकरों हेतु योजना।
20	गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना।
21	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतां0 प्र0 सं0 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी की संख्या	कार्य अवधि का विवरण
1	दिनांक 82 से जुलाई, 83, मई 84 से जुलाई 84 अक्टूबर 87 एवं अक्टूबर 89 से अब तक ।
2	मार्च 83 से सितम्बर, 83 दिसम्बर, 83 से जून 84, मई 86 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर, 89 से अब तक ।
3	दिसम्बर 83 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
4	जनवरी 84 से अक्टूबर 87 तक तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
5	जनवरी 85 से अक्टूबर 87 तक तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
6	अप्रैल 85 से दिसम्बर 85, मार्च 86 से अक्टूबर, 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
7	मई 85 से जनवरी, 86 मार्च 86 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर, 89 से अब तक ।
8	नवम्बर 85 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
9	दिसम्बर, 85 फरवरी 86 से नवम्बर 86, अप्रैल 87 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर, 89 से अब तक ।
10	दिसम्बर 85 से जुलाई 86, सितम्बर 86 से दिसम्बर 86, अगस्त 87 एवं अक्टूबर, 89 से अब तक ।
11	दिसम्बर 85 से फरवरी 86, अप्रैल 86 से मई 87, अगस्त 87 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
12	नवम्बर 85 से जुलाई 86, नवम्बर 86 से जनवरी 87, अप्रैल 87 से जुलाई 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
13	फरवरी 86 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
14	मार्च 86 से जून 86, अगस्त 86 से अक्टूबर 86 अप्रैल 87 से जुलाई 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
15	मार्च 86 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर, 89 से अब तक ।
16	अप्रैल, 87 से जुलाई 87, तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
17	जुलाई 86 से नवम्बर 86, जून 87 से अक्टूबर 87 तथा अक्टूबर 89 से अब तक ।
18	अप्रैल 87 से अक्टूबर 87 एवं अक्टूबर 89 से अब तक ।
19	20 अप्रैल, 89 से कार्यरत ।
20	श्री अरविन्दकुमार दैनिक श्रमिक 8 जून, 1990 से निदेशालय में कार्यरत हैं इससे पूर्व वह शासन के कृषि (4) अनुभाग में कार्यरत थे अतएव 8 जून, 1990 से पूर्व की कार्य अवधि का विवरण शासन में ही उपलब्ध है ।
22	इसके अतिरिक्त एक दैनिक श्रमिक श्री पूरन चन्द्र उपाध्याय शासन के कृषि (4) अनुभाग में कार्यरत हैं । अतएव इनकी कार्य अवधि का विवरण भी शासन में ही उपलब्ध है ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतां0 प्र0 सं0 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

जनपद वाराणसी में जनवरी, 1990 से अक्टूबर 1990 तक हत्यायें, चोरी, डकैती, छिनैती तथा अन्य घटनाओं का थानावार विवरण :

क्र0सं0	थाना का नाम	हत्या	चोरी	डकैती	छिनैती	अन्य
1	दशाश्वमेध ..	—	65	—	—	47
2	चौक ..	5	49	—	2	69
3	कोतवाली ..	3	42	—	1	42
4	भेलूपुरा ..	1	80	—	3	95
5	चेतगंज ..	2	62	—	6	70
6	सिगरा ..	3	93	2	2	158
7	लक्सा ..	5	12	1	—	21

घटनाओं में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या एवं बरामद किए गए माल (रु0 में) का थानावार विवरण

क्र0सं0	थाना का नाम	गिरफ्तारी	आत्मसमर्पण	बरामद माल (रु0 में)
1	दशाश्वमेध ..	5	—	1,35,039.00
2	चौक ..	31	—	53,049.00
3	कोतलाली ..	17	—	1,21,466.00
4	भेलूपुरा ..	29	—	1,09,220.00
5	चेतगंज ..	43	6	1,70,100.00
6	सिगरा ..	18	—	2,39,700.00
7	लक्सा ..	9	12	56,900.00

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतां0 प्र0 सं0 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

31 जुलाई 1990 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

विकास खण्ड मार्टीनगंज

ग्राम का नाम

1—सिकरोर सहबरी
2—युसुफपुर खानपुर
3—असई मोलनापुर
4—खिजिरपुर
5—कुरियांवा
6—पत्तेपुर
7—कैरागहनी
8—निकासीपुर
9—भाटों
10—मकदुमपुर
11—बरौना
12—महुजा नेवादा
13—सोहौली
14—वसीकपुरी
15—रेंहुआर
16—कुम्भ

विकास खण्ड—फूलपर

1—खानजहांपुर
2—कतार
3—विलरामऊ
4—सजई
5—पालिथा अटाई
6—शाहपुर
7—अमरेथू
8—चकदीन शुक्ल
9—बीबीगंज
10—एथेपुर
11—चमांवा
12—बसपुर
13—शेषपुर पिपरी
14—ससना
15—मड़वार
16—मानपुर
17—मक्खापुर
18—हथनोरा कला
19—पियहाना
20—चकनरी
21—उदपुर
22—फुलपुर (देहाती)
23—मडुरिया
24—सिंगारपुर
25—बुढ़ापुर कुतुबअली
26—पतिहरा
27—चकबा
28—चकिया चक मुर्तुजा
29—ललवा
30—समुन्दरपुर
31—पल्थी
32—दरियापुर
33—अलाउद्दीनपुर
34—सैखवलिया
35—संग्रामपुर
36—उसरगांव
37—महुवाराकल
38—महुवाराखुर्द
39—खरसनखुर्द
40—पक
41—बखरा

विकास खण्ड मिर्जापुर

1—सीधासुल्तानपुर
2—बनबीरपुर
3—करीमपुर
4—खानपुर
5—जगदीशपुर
6—पवईलाडपुर
7—कोइरौलाखुर्द

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खण्ड मुहम्मदपुर

1--उत्तर गांव
2--कलन्दरपुर
3--इब्राहीमपुर
4--दयालपुर खास
5--अलीपुर
6--सिरसोल
7--खालिसपुर
8--बिलनमिर्जापुर
9--पिताम्बरपुर
10--कोहरौरा
11--रसूलपुर माफी
12--मोहम्मदपुर
13--रानीपुर रजमों
14--शिवराजपुर
15--गौरी
16--जमालपुर
17--रामपुर अन्दाई
18--बहादुरपुर

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

सूची—1

1-1-90 से 25-7-90 तक की अवधि में कानपुर देहात को ऊर्जा संबंधी समस्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु जिन उपकरणों की अपूर्ति परिषद द्वारा की गई है, की सूची :—

क्र0सं0	समान का नाम	मात्रा	
1	पी सी सी पोल 4.5 मीटर	537	
2	ए सी एस आर वीजल कन्डक्टर	88.124	किमी0
3	ए सी एस आर	5.041	किमी0
4	11 के वी डिस्क इन्सुलेटर	203	सं0
5	11 के वी पिन	616	"
6	11 के वी जी आई पिन	879	"
7	11 के वी डिस्क फिटिंग	236	"
8	एल टी सेकिल इन्सुलेटर	1322	"
9	जी आई स्टे राड	506	"
10	11 के वी टी पी एम ओ	21	"
11	11 के वी स्टील क्रास आर्म	168	"
12	25 के वी ए ट्रान्सफारमर	77	"
13	63 के वी ए ट्रान्सफारमर	3	"
14	जी एस स्टे वायर 7/10	1.905	टन
15	जी0 आई वायर 6 नं0	1.113	टन
16	जी आई वायर 10 नं0	0.676	"
17	चैनल 100×50 एम एम	1.532	"
18	चैनल 125×65 एम एम	1.121	"
19	एंगिल 65×65×6 एम एम	1.025	"
20	एंगिल 50×50×6 एम एम	0.150	"
21	सीमेन्ट	25 बोरी	
22	जी आई तार 8 एस डब्ल्यू जी	0.624	टन

सूची—2

जिन-जिन उपकरणों की कानपुर देहात में अभी भी आवश्यकता बनी हुई की सूची :

क्र0सं0	सामान का नाम	इकाई	मात्रा
1	पी सी सी पोल 8.5 मीटर	सं0	563
2	ए सी एस आर डीजल कन्डक्टर	किमी0	119, 610
3	एस सी एस आर रैकून कन्डक्टर	किमी0	7310
4	11 के वी डिस्क इन्सुलेटर	सं0	19
5	11 के वी पिन	"	227
6	11 के वी जी आई पिन	"	50
7	एल टी सैकिल इन्सुलेटर	"	584

विधान सभा

1	2			3	4
8	जी आई स्टे राड	..	..	सं0	109
9	अर्थिंग राड	..	..	,,	598
10	11 के पी टी पी एम ओ	..	..	,,	44
11	11 के वी स्टील क्रसल आर्म	..	..	,,	92
12	बारबेड वायर	..	..	किग्रा0	234
13	63 के वी ए ट्रान्सफारमर	..	..	सं0	9
14	जी एस स्टे वायर 7/10	..	..	टन	0.422
15	जी आई वायर नं0 6	..	..	टन	5,372
16	चैनेल 125×65 एम एम	..	..	टन	1,830
17	एंगिल 75×75×6 एम एम2	..	..	टन	0,375
18	एंगिल 50×50×6 एम एम2	..	..	टन	0.375
19	सीमेन्ट	..	..	बोरी	439
20	जी आई 8 एस डब्ल्यू जी	..	..	टन	0.377

सूची—3

1-1-90 से 25-7-90 तक प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रानुसार तार कटिंग की सूची :

क्रम सं0	विधान सभा क्षेत्र				तार कटिंग	
1	भोगनीपुर	..	..	..	.. 2535	मीटर
2	चौबेपुर	..	..	..	.. 28255	,,
3	घाटमपुर	..	..	..	.. 6500	,,
4	डेरापुर	..	..	..	.. 3200	,,
5	राजपुर	..	..	..	.. 3970	,,
6	बिल्हौर	..	..	..	.. 4750	,,
7	सरवन खेड़ा	..	..	..	.. 23940	,,

सूची—4

अधिशासी अभियन्ता (वितरण) कानपुर द्वारा विभिन्न तिथियों मे की गई तार की मांग की सूची :

दिनांक	13-1-90	2300	मीटर	दिनांक	25-5-90	1100	मीटर
,,	19-9-90	700	,,	,,	24-5-90	700	,,
,,	22-1-90	2500	,,	,,	31-5-90	5100	,,
,,	31-1-90	950	,,	,,	6-6-90	500	,,
,,	15-2-90	1300	,,	,,	27-8-90	1500	,,
,,	23-2-90	400	,,	,,	29-6-90	1400	,,
,,	20-3-90	850	,,	,,	4-7-90	3570	,,
,,	29-3-90	735	,,	,,	7-7-90	600	,,
,,	6-4-90	3800	,,	,,	9-7-90	1000	,,
,,	7-4-90	1180	,,	,,	14 7-90	2800	,,
,,	11-4-90	1200	,,	,,	18-7-90	2200	,,
,,	13-4-90	4600	,,	,,	19-7-90	1350	,,
,,	16-5-90	500	,,	,,	20-7-90	700	,,
,,	17-4-90	4575	,,	,,	23-7-90	5500	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		1	2	3	
दिनांक	26-4-90	750	मीटर	दिनांक	24-7-90	250	मीटर
,,	30-4-90	2400	,,	,,	25-7-90	5820	,,
,,	1-5-90	500	,,	,,	27-7-90	1300	,,
,,	2-5-90	550	,,	,,	28-7-90	600	,,
,,	3-5-90	1500	,,	,,	30-7-90	3640	,,
,,	14-5-90	1330	,,				
,,	21-5-90	1000	,,				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतां0 प्र0 सं0 186 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर

जनपद इलाहाबाद में घटित दिनांक 1-1-90 से 20-8-90 तक का विवरण

दिनांक 1-1-90 से 20-8-90 तक घटित अपराधों का विवरण थानावार जनपद इलाहाबाद।

क्रम सं0	थाना	हत्या	डकैती	लूट	अन्य	भा/दं0वि
1	कोतवाली ..	2	—	7	12	
2	खुल्दाबाद ..	7	5	10	224	
3	शाहगंज ..	2	2	5	112	
4	करेलीस्कीम ..	—	—	—	10	
5	कीडगंज ..	1	—	2	02	
6	मुट्ठीगंज ..	3	1	3	88	
7	अतरसुइया ..	5	—	3	64	
8	कर्नलगंज ..	10	2	14	475	
9	जार्जटाउन ..	7	—	6	194	
10	धूमनगंज ..	15	—	6	42	
11	सिविल लाइन ..	2	1	14	257	
12	कैन्ट ..	2	1	5	81	
13	नैनी ..	7	—	5	243	
14	दारागंज ..	4	—	2	134	
15	सोरांव ..	12	1	3	189	
16	नवाबगंज ..	10	4	4	167	
17	होलागढ़ ..	3	1	1	54	
18	मऊआइमा ..	4	7	6	133	
19	मंझनपुर ..	5		1	89	
20	पश्चिम रीरी ..	5	1	—	67	
21	करारी ..	6	1	7	99	
22	कौशम्बी ..	2	2	1	24	
23	हंडिया ..	1	1	6	304	
24	सरायमरेज ..	3	1	—	84	
25	उतरांव ..	3	1	1	51	
26	फूलपुर ..	3	3	2	140	
27	सरांयइनायत ..	5	—	5	113	
28	थरवई ..	3	—	—	53	
29	बहरिया ..	2		2	82	
30	कोखराज ..	6	—	5	136	
31	सैनी ..	12		1	142	
32	मोहब्बतपुर पेन्गा ..	2	—	3	22	
33	पूरामुक्ती ..	2	2	4	68	
34	सराय अंकित ..	5		4	89	
35	पिपरी ..	1	1	3	60	
36	चरवा ..	4	1	3	62	

1	2		3	4	5	6
37	मेजा	..	5	1	2	102
38	मांडा	..	4	2	3	112
39	कोरांव	..	2	—	2	70
40	करछना	..	6	1	2	90
41	खीरी	..	—	—	—	54
42	बारा	..	4	—	1	50
43	धूरपुर	..	8	1	5	69
44	लालापुर	..	3	—	—	37
45	शंकरगढ़	..	8	—	4	45
46	कौधियारा	..	1	2	3	44

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 532 वि0 सभा (908)–1991-572